लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र
Fourteenth Session]

[खंड 55 में अंक 51 से 60 तक हैं
Vol. LV contains Nos. 51 to 60]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 54---शुक्रवार, 6 मई, 1966/16 वैशाख, 1888 (शक)

No. 54—Friday, May 6, 1966/Vaisakha 16, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	7961

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.			
1513	मोटर गाड़ी बनाने के कारखाने	Automobile Factories	7961–63
1514	बम्बई-दिल्ली तथा बम्बई-हावड़ा डीलक्स ट्रेन सर्विस	Bombay-Delhi and Bombay-Howrah Deluxe Train Service .	7963–65
1515	मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाना	Machine Tool Factory in Madhya Pradesh.	7965–66
1516	मैंगनीज का निर्यात	Export of Manganese .	7967–68
1517	मशीनों तथा कलपुर्जों का निर्माण	Manufacture of Machinery and Components . . .	7968–71
1518	जोर्डन के साथ व्यापार करार	Trade Pact with Jordan . .	7971–73
1519	खादी का फालतू स्टाक	Surplus Stock of Khadi . .	7973–77
1520	सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporations .	7977–78
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
26	चाय का निर्यात	Exportof Tea	7978–81

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1521	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	7981–82
1522	सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति	Ancillary Industries Sub-Committee.	7982
1523	राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से पुस्तकों का आयात	Importof Books throughS.T.C.	7982
1524	नेपाल में कपड़ा मिल	Textile Mill in Nepal .	7982–83
1525	कारों की बिक्री	Sale of Cars	7983

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of the Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—70 L. S./66.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1526	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters .	7983
1527	पश्चिम रेलवे में छोटी (नैरो गेज) लाइनें	Narrow-Gauge Lines on Western Railway.	7983–84
1528	निर्यात संवर्धन पुरस्कार	Export Performance Awards	7984
1529	कपड़े के दाम	Prices of Cloth	7984
1530	न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्टरी, बंगलौर	New Government Electrical Factory, Bangalore . . .	7985
1531	लघु उद्योग निगम	Small Scale Industries Corporation	7985–86
1532	सूती कपड़े का मूल्य-नियंत्रण	Price Control of Cotton Cloth .	7986
1533	पटना में तांबा पकड़ा जाना	Seizure of Copper at Patna	7986
1535	मद्रास में स्टेनलैस स्टील परियोजना	Stainless Steel Project in Madras	7987
1536	निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के दाम	Prices of Exportable Goods	7987
1537	कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र	Kandla Free Trade Zone	7988
1538	फालतू वैगन क्षमता	Excess Wagon Capacity	7988
1539	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	7988
1540	विश्व बैंक से ऋण	Loan from the World Bank .	7989

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4883	केरल में रेलवे लाइनों के साथ-साथ की भूमि .	Land along Railway Lines in Kerala	7989
4884	खेती के औजारों का निर्माण	Manufacture of Agricultural Implements	7989
4885	बैलाडिल्ला और विशाखापत्तनम के बीच रेलवे लाइन	Rail Link between Bailadilla and Vishakhapatnam . . .	7989
4886	सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड	Cotton Textile Consultative Board	7990
4887	वायुदाबी यंत्र (न्यूमैटिक इन्स्ट्रूमेंट) कारखाना	Pneumatic Instrument Factory .	7990
4888	गडरा रोड़ से मुनाबाद तक रेलवे लाइन	Railway line from Gadra Road to Munabao	7990
4889	ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors . .	7990–91
4890	कोयला सलाहकार परिषद्	Coal Advisory Council	7991
4891	बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel	7991

ता० प्र० संख्या Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4892	दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी	Thefts in Khadi Gramodyog Bhawan, Delhi	7991–92
4893	लखनऊ तथा वाराणसी के बीच रेलवे स्टेशनों पर बिजली	Electricity at Railway Stations between Lucknow and Varanasi	7992
4894	माल लाने ले जाने के संबंध में भाड़े में रियायत	Freight Concession on Movement of Goods	7992
4895	केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन	Central Small Industries Organisation	7993–94
4896	कागज के रिम	Ream of Papers . . .	7994
4897	रेल गाड़ियों के डिब्बों में साइक्लोस्टाइल्ड इश्तहार	Cyclostyled notices in the Railway Compartments	7994
4898	बख्तियारपुर स्टेशन पर रेल का पुल	Railway Bridge at Bakhtiarpur .	7995
4899	रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D. A. to Railway Workers .	7995
4900	नारियल का निर्यात	Export of Coconut	7995
4901	रेलवे में कल्याण निरीक्षक	Welfare Inspectors on Railways .	7996
4902	सहायक सेविवर्गाधिकारी (असिस्टैंट पर्सनल आफिसर्स) तथा सहायक कल्याण अधिकारी	Assistant Personnel Officers and Assistant Welfare Officers .	7996
4903	दक्षिण-पूर्व रेलवे के स्टेशनों का स्वरूप परिवर्तन (रिमाडलिंग)	Remodelling of Stations on S.E. Railway.	7996–97
4904	उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योगों का विकास	Development of Handloom Industries in U.P.	7997
4905	उत्तर प्रदेश के लिये नालीदार जस्ती चादरें	G. C. Sheets for U.P. . .	7997
4906	उत्तर प्रदेश को अधिकारी इस्पात (स्टैनलैस स्टील) की आवश्यकता	Stainless Steel requirements for U. P.	7997–98
4907	चीराफाड़ी (सर्जिकल) के औजारों के लिये विशेष इस्पात	Special Steel for Surgical Instruments	7998
4908	निर्यात प्रोत्साहन योजना	Export Incentive Scheme . . .	7998–99
4909	हावड़ा स्टेशन पर टिकट घर (बुकिंग आफिस)	Booking Office at Howrah Station	7999
4910	उत्तर बिहार में अखबारी कागज और कागज की लुग्दी बनाने का कारखाना	Newsprint and Paper Pulp Factory in North Bihar	7999
4911	ब्रम्हपुर में फ्लैग स्टेशन	Flag Station at Brahmpur .	8000

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4912	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	8000
4913	पश्चिम रेलवे की गाड़ियों में चलने वाला बदमाशों का गिरोह	Gang of Bad Characters operating in Trains on the Western Railway	8001
4914	चाय उद्योग की लाभ देयता	Profitability of Tea Industry	8001–02
4915	आसाम में पर्ती लकड़ी (प्लाईवुड) उद्योग	Plywood Industry in Assam	8002–03
4916	पंजाब में हस्तशिल्प उद्योग	Handicrafts Industry in Punjab	8003
4917	भारतीय फिल्मों का निर्यात	Export of Indian Films	8003–04
4918	केन्या के साथ व्यापार समझौता	Trade Agreement with Kenya	8004
4919	गन्दे घने बाल और चमड़ी सफाई सम्बन्धी (फैल मोंगेरिंग) उद्योग	Fell Mongering Industry	8004
4920	भावनगर डिवीजन के भूतपूर्व लेखा लिपिक द्वारा भूख हड़ताल	Hunger Strike by Ex-Accounts Clerk, Bhavnagar Division	8004–05
4921	होशियारपुर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill in Hoshiarpur	8005–06
4922	इलाहाबाद में लोको शैड स्टोर में आग लगने की घटना	Fire in Loco-Shed Store at Allahabad	8006
4923	भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान रेलवे लाइनों का बन्द किया जाना	Closure of Railway Lines during Indo-Pak. Conflict	8006
4924	पश्चिम जर्मनी में एक पाइप-लाइन की वैल्डिंग करने का ठेका	Welding Contract for a Pipeline in West Germany	8006–07
4925	आसाम में सीमेंट कारखाना	Cement Factory in Assam	8007
4926	विदेशों में व्यापार आयुक्त	Trade Commissioners Abroad	8007
4928	भारत उत्पादिता वर्ष	India Productivity Year	8008
4929	आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्क	Reservation and Enquiry Clerks	8008
4930	तालाण्डू स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्रदर्शन	Demonstration at Talandu Station (E. Railway)	8008–09
4931	रेलपथ निरीक्षक (पी० डब्ल्यू० आई०)	P. W. Is.	8009
4932	रेलपथ निरीक्षक (परमानेंट वे इंस्पैक्टर्स) तथा कर्मान्त निरीक्षक (इंस्पैक्टर्स आफ वर्क्स)	P. W. Is. and I. O. Ws.	8009–10
4933	भारी गैस-सिलिंडरों का निर्माण	Manufacture of Heavy Gas Cylinders	8010

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4934	मझौला हाल्ट	Majhaula Halt . .	8010
4935	उड़ीसा में कागज बनाने के कारखाने	Paper Mills in Orissa . .	8010–11
4936	उड़ीसा का औद्योगिक विकास	Industrial Development of Orissa	8011
4937	यात्री किराया तथा माल भाड़ा	Passenger Fare and Goods Freight	8011
4938	उत्तर रेलवे में कारीगर कर्मचारी	Artisan Staff on the Northern Railway	8011–12
4939	पश्चिम रेलवे में कमर्शल क्लर्कों का तबादला	Transfer of Commercial Clerks on the Western Railway . .	8012
4940	पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे गार्ड	Railway Guards of N.E. Railway	8012
4941	केरल में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Kerala .	8012–13
4942	गुजरात में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Gujarat .	8013
4943	गुजरात में मशीनी औजार कारखाना	Machine Tool Plants in Gujarat .	8013–14
4944	अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति	All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society	8014
4945	उत्तर रेलवे के अधिकारियों का दिल्ली में नियुक्त रहना	Stay of Officers of Northern Rly. in Delhi	8015
4946	कलकत्ता-बम्बई डाकगाड़ी के भोजन-यान में आग लग जाना	Fire in Dining Car of Calcutta-Bombay Mail . . .	8015
4947	रेलवे में सहायक सेविवर्गाधिकारी (असिस्टैंट पर्सनल अफसर) तथा सहायक कल्याण-अधिकारी	A.P.Os. and A.W.Os. on the Railways	8015–16
4948	तिरुनेलवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन	Tirunelveli-Kanyakumari-Trivandrum Railway Line . .	8016
4949	इटारसी स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over-Bridge at Itarsi Station	8017
4950	इटारसी स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय	Enquiry Office at Itarsi Station .	8017–18
4951	ब्रम्हपुर में झंडी स्टेशन	Flag Station at Brahmpur Station	8018
4952	मैसूर राज्य में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Mysore State	8018
4953	बंगलौर में अंगूर की शराब (वाइन) बनाना	Manufacture of Wine in Bangalore	8018–19
	विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
	सदस्य के भाषण के सम्बन्ध में कथित गलत समाचार छापने के बारे में 'स्टैट्समैन' से पत्र	Letter from the Statesman re: Alleged incorrect reporting of Members' Speech . .	8019
	पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र भेंट किये जाने के बारे में	Re: Presentation of Portrait of Pandit Jawaharlal Nehru .	8019
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	8020–21

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
सदस्य की रिहाई— (श्री अ० कु० गोपालन)	Release of Member— (Shri A. K. Gopalan)	8021
लोक लेखा समिती— तिरेपनवां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee— Fifty-third Report . .	8021
सभा का कार्य	Business of the House	3021–23
गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने की योजना समाप्त करने के बारे में वक्तव्य—	Statement re: Discontinuance of Blanking off of alarm chains in trains—	
श्री स० का० पाटिल	Shri S. K. Patil	8024
भसावल के गुडस् यार्ड में विस्फोट के बारे में	Re : Explosion in Goods Yard at Bhusaval	8024–26
वक्तव्य में अशुद्धि के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा उसका उत्तर—	Statement under Direction 115 re : Inaccuracy in statment and reply thereto—	
श्री दाजी	Shri Daji	8026
श्री सु० कु० डे	Shri S. K. Dey . . .	8026–27
केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के बारे में संकल्प—	Resolution re : Continuance of President's Rule in Kerala—	
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	8028–29
श्री रंगा	Shri Ranga .	8030
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee . .	8031–32
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindara Varma .	8032–33
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A.N. Vidyalankar .	8033–34
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिती—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
अठासीवां प्रतिवेदन	Eighty-eighth Report	8034
आपात की उद्घोषणा तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प—अस्वीकृत—	Resolution re : Proclamation of Emergency and Defence of India Act—*Negatived*—	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	8034–35
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf .	8035–36
श्री दाजी	Shri Daji .	8036
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	8036–37
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee .	8037–38

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma .	8038
श्री रंगा	Shri Ranga	8039
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	8039-40
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye .	8040
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	8040–41
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Muhammad Ismail	8041
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan .	8041
श्री नन्दा	Shri Nanda .	8041–43
भारत-अमरिकी प्रतिष्ठान के बारे में संकल्प—	Resolution re : Indo-U.S. Foundation—	
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee .	8043–44
राजस्थान विधान-सभा के सदस्यों के विधान सभा से निकाल दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re: Expulsion of Rajasthan M. L. As. from Vidhan Sabha—	
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	8044

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 6 मई, 1966/16 वैशाख, 1888 (शक)
Friday, May 6, 1966/Vaisakha 16, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को श्री दयाल दास भगत के दु:खद निधन के बारे में सूचित करना है। उनका 1 मई, 1966 को कानपुर में 92 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ।

वह वर्ष 1946 से 1950 के दौरान भारतीय संविधान-सभा के सदस्य थे। हमें इस मित्र के देहावसान का बहुत दुख है और मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेजने के लिये यह सभा मेरा साथ देगी।

शोक प्रकट करने के लिये यह सभा कुछ समय के लिये मौन खड़ी रहे।

तत्पश्चात सदस्य कुछ देर के लिये मौन खडे रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Automobile Factories

+

***1513. Shri Subhodh Hansda :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the reaction of Government to the suggestion made by the President of the All-India Automobile and Ancillary Industries Association at its annual general meeting held on the 20th December, 1965 that Automobile Factories instead of manufacturing components themselves should leave the work to the ancillary industries ;

(b) whether it is a fact that the ancillary industries can produce better components at a cheap rate as compared to those manufactured by the automobile factories; and

(c) if so, whether any steps are being taken in this regard?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6241/66।**]

श्री सुबोध हंसदा : क्योंकि पुर्जों का मूल्य देश में प्राप्य माल पर निर्भर करता है इसलिये क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार का माल तथा इस्पात हमारे देश में प्राप्य है अथवा नहीं और क्या इसका मूल्य आयात किए गए माल के मूल्य की तुलना में कम होगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मोटर गाड़ियां बनाने के काम में आने वाला कुछ प्रकार का इस्पात देश में प्राप्य नहीं है। इस्पात की इन किस्म का आयात होता है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मूल्य माल की किस्म तथा बाज़ार के भाव पर निर्भर करते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : मोटर-गाड़ी उद्योग में पुर्जे आदि बनाने के लिये विशेषकर छोटे पैमाने के उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सारे देशभर में बहुत से छोटे पैमाने के उद्योग हैं और जब कभी भी वह लाइसेंस आदि के लिये प्रार्थना-पत्र भेजते है उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। 45 उद्योग इससे लाभ उठा चुके हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सहायक उद्योगों की तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग उसी किस्म के तथा उतने ही मूल्य के पुर्जे बना सकते हैं और क्या उन्हें कोई प्राथमिकता दी जाती है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हां, श्रीमान्।

श्री रा० बरुआ : क्या सहायक-उद्योग सम्बन्धी उप-समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; यदि हां, तो अब क्या स्थिति है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : सहायक-उद्योगों के लिये बहुत-सी उप-समितियां नियुक्त की गई हैं और अनेक बार उनकी बैठकें हुई हैं परन्तु उन्होंने सभी अपने प्रतिवेदनों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस समय सहायक उद्योगों द्वारा मोटर-गाड़ियों के पुर्जों की मांग किस सीमा तक पूरी की जाती है तथा यह कार्य सहायक उद्योगों पर छोड़े जाने के फलस्वरूप मोटरगाड़ियों के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मोटर-गाड़ी उद्योग विकास परिषद् ने 1965-66 के लिये वार्षिक उत्पादन अस्थायी रुप से 25 करोड़ रुपये का निर्धारित किया था परन्तु वास्तविक उत्पादन 40 करोड़ रुपये का हुआ है।

Shri Vishram Prasad : May I know the percentage of the Steel components imported at present and the time by which they would be manufactured indigenously?

श्री संजीवय्या : पुर्जों के आयात के लिये 783 लाख रुपये तथा कच्चे माल के आयात के लिये 24 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

श्री रामनाथन चेट्टियार : सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय कर रही है कि सहायक उद्योगों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य न बढ़ें ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : सहायक उद्योगों के मूल्यों के ढांचे की जांच लागत लेखा अधिकारी द्वारा की गई थी और अब यह प्रस्ताव है कि लागत का ढांचा प्रशुल्क आयोग को सौंपा जाये ।

Bombay-Delhi and Bombay-Howrah Deluxe Train Service

+

*1514. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Balakrishnan :
Shri Ram Harkh Yadav :

Will the Minister of **Railway** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to make the present bi-weekly deluxe train service between Bombay and Delhi a daily service ;

(b) whether there is also a proposal to start a Deluxe train service between Bombay and Howrah ; and

(c) if so, when the proposal will be implemented.

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). It has been decided to acquire four additional air-conditioned rakes with the intention of increasing the frequency of New Delhi-Bombay and New Delhi-Howrah biweekly air-conditioned expresses to tri-weekly services and for the introduction of a weekly air-conditioned service between Bombay and Madras, Madras and Howrah and Howrah and Bombay via Nagpur. On present indications, the additional air-conditioned rakes are expected to be ready for use by the end of 1966, or early 1967. The afore-mentioned proposal is expected to be given effect to in early 1967.

Shri Madhu Limaye : May I know whether the compartments of the Deluxe train would be manufactured indigenously or they would be imported?

Dr. Ram Subhag Singh : It is proposed to manufacture them in the Integral Coach Factory, Perambur.

Shri Madhu Limaye : May I know the extent of 3rd class accommodation available in Bombay-Delhi deluxe train and also whether it is a fact that the number of this 3rd class passengers is so large that they are put to much inconvenience; if so, whether Government propose to make this service a daily service?

Dr. Ram Suhbag Singh : Actually the occupation of those trains is 70 per cent from New Delhi to Howrah, 63 per cent from New Delhi to Bombay and 40 per cent from New Delhi to Madras; this includes first class coaches and third class air-conditioned coaches etc.

Shri Yashpal Singh : Thousands of passengers have to wait at the Station to get a seat in these trains and they have to try for months together for the same. May I know whether this difficulty would be removed particularly in Bombay-Delhi and Bombay-Howrah trains?

Dr. Ram Subhag Singh : This train is known as Air-conditioned Chairs train. Not to speak of thousands of passengers, there are not even 100 who have to wait.

श्री बालकृष्णन : इन गाड़ियों में भीड़ कम करने के लिये इनमें अधिक डिब्बे लगाये जाने क्या का कोई प्रस्ताव है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने अभी कहा अधिकतम "आकुपेशन" 70 प्रतिशत है और मद्रास की ओर यह केवल 40 प्रतिशत है।

डा० रानेन सेन : यह डीलक्स गाड़ियां बहुत लोकप्रिय हो गई है और इनकी सर्विस बढ़ाने का प्रस्ताव सभा में किया गया है। यदि यह गाड़ियां देश में बन सकती हैं तो इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : वातानुकूल संयंत्र आयात किया जायेगा और गाड़ी देश में बनेगी। और भी जिन पुर्जों की आवश्यकता होगी, उन्हें आयात किया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : On a point of order. I had asked the percentage of the material to be produced indigenously and that to be imported.

Dr. Ram Subhag Singh : As this would be the first thing of its type, the details would be available in the month of June when the order would be placed.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government propose to run a deluxe train for Patna?

Dr. Ram Subhag Singh : It has been decided to run the deluxe train *via* Gaya so far. As far as Patna is concerned, air-conditioned coaches have been provided in Amritsar-Howrah and 12-Down trains.

श्री कपूर सिंह : पंजाबी सूबे के महत्व को देखते हुए, क्या सरकार दिल्ली और अमृतसर के बीच डीलक्स सर्विस को, यदि रोज नहीं, तो कम से कम सप्ताह में दो बार चलाने का विचार कर रही है; यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि आप जानते हैं अभी तक यह गाड़ी दिल्ली और अमृतसर के बीच सप्ताह में एक बार चलती है। जब स्थिति में कुछ सुधार होगा तो इसकी जांच की जायेगी।

Shri Bade : Shri Madhu Limaye had asked about the running of a deluxe service between Delhi and Bombay. I want to know whether Government propose to run a Deluxe or a Janta train there. Deluxe train is meant for rich people while Janata train is for the poor. I would request Shri Madhu Limaye to impress on the Government that it should run a Janata train instead of a Deluxe train.

Mr. Speaker : Please allow us to go on in Deluxe at this moment.

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने कहा है कि जून में आर्डर दिया जायेगा, अतः इसमें एक वर्ष लग जायेगा। तब तक 'सदर्न एक्सप्रेस' की तरह क्या कोई 'वैस्टर्न एक्सप्रेस' भी चलाने का विचार है जो सप्ताह में दो दिन डीलक्स के रूप में चलेगी और बाकी दिन 'वेस्टर्न एक्सप्रेस' के रूप में, जिससे बम्बई-दिल्ली रुट में यात्रियों की जो भारी भीड़ होती है उसको लाभ पहुंचाया जा सके ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सुझाव की ओर भी उचित ध्यान दिया जायेगा परन्तु जो मैंने कहा है वह दिसम्बर, 1966 अथवा अगले वर्ष की जनवरी तक पूरा हो जायेगा।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : बम्बई और हावड़ा के बीच डीलक्स सर्विस चलाने के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय की कठिनाइयों को देखते हुए मैं मंत्री महोदय को रेलवे स्थायी समिति के, रेलवे सलाहकार समिति के बनने से बहुत पहले, बहुत पुराने निर्णय की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया था कि बम्बई और हावड़ा में एक जनता-सर्विस तुरन्त चलाई जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने एक ऐसे ही प्रश्न को पहले ही इजाजत नहीं दी है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उनके विचार में विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण डीलक्स गाड़ियों के चलाने में सरकार कठिनाई अनुभव कर रही है।

मध्य प्रदेश में मशीनी औजार कारखाना

*1515. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री ज्वा० प्र० जोतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री पाराशर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में एक मशीनी औजार कारखाना खोलने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : यद्यपि यह अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० द्वारा मध्य प्रदेश में मशीनी औजारों का एक नया कारखाना स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी तक उसके निर्माण के समय तथा तफसीलों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री बडे : माननीय मंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में भी एक कारखाना स्थापित किया जायेगा। क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि इसे कहां स्थापित किया जायेगा और यह मामला कब से सरकार के पास लम्बित है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी तक कोई स्थान निश्चित नहीं किया गया है।

श्री मं० रं० कृष्ण : देश में अगले 10 वर्षों में कितने जटिल मशीन-औजारों की आवश्यकता पड़ेगी ? कितनी प्रतिशतता मंत्रालय वर्तमान मशीन औजारों का विस्तार करके पूरी करेगा और कितनी प्रतिशतता नये मशीन-औज़ार कारखाने खोल कर ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी तक खोले गये कारखाने भिन्न प्रकार की मशीनें तैयार कर रहे हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है हमारा विचार चौथी योजना के अन्त तक 63 करोड़ रुपये का उत्पादन करने का है।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : इस समय हम 25 करोड़ रुपये के मशीनी-औजारों का उत्पादन कर रहे हैं और 32 करोड़ रुपये के मशीनी औज़ार आयात कर रहे हैं। चौथी योजना के अन्त तक हमें प्रति वर्ष 108 करोड़ रुपये के मशीनी-औजारों की आवश्यकता पड़ेगी। हम सरकारी क्षेत्र में 63 करोड़ रुपये के मशीनी-औजारों का उत्पादन कर सकेंगे और बाकी का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार ने उन विभिन्न प्रकार के मशीनी औज़ारों का निर्धारण किया है जिनकी चौथी योजना में आवश्यकता पड़ेगी ; यदि हां, तो क्या इन विभिन्न प्रकार के औज़ारों के निर्माण के सम्बन्ध में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में आवंटन किया गया है ? अथवा क्या मंत्री महोदय हवाई किले बना रहे हैं ?

श्री संजीवय्या : जी नहीं। योजना आयोग के परामर्श से सारे प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया और फिर लक्ष्य निश्चित किये गये।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं कि सरकार ने दृढ़ निर्णय किया है कि चौथी योजना में कम से कम प्रत्येक राज्य में एक मशीन-औज़ार कारखाना स्थापित किया जाये और यदि हां, तो इन कारखानों को स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या सरकार ने राज्यों की पूर्ववर्तिता निश्चित की है ?

श्री संजीवय्या : हमने सरकारी क्षत्र में प्रत्येक राज्य में एक एक कारखाना खोलने का निर्णय नहीं किया है।

हमने केवल यह निणय किया है कि चौथी योजना में सरकारी क्षेत्र में दो नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे। एक मध्य प्रदेश में और दूसरा उत्तर प्रदेश में। इसके अतिरिक्त, केरल में कालमसेरी में, पंजाब में पंजौर में और हैदराबाद के वर्तमान कारखानों की क्षमता को दुगुना कर दिया जायेगा। जहां तक पूर्ववर्तिता का सम्बन्ध है, क्षमता को दुगुना करने के कार्यक्रम को नये कारखानों पर प्राथमिकता दी जायगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या उनको पता है कि कुछ मशीन औजार बहुत अधिक मात्रा में तैयार किये जाते हैं और कुछ मशीन औजारों की बहुत कमी है ? ऐसा लगता है कि कोई समन्वय अथवा उचित उत्पादन योजना नहीं है। क्या उत्पादन का इस प्रकार आयोजन करने के लिये कोई उचित समिति है कि यह विद्यमान स्थिति न रहे और हम कुछ मशीन औजारों का निर्यात कर सकें ?

श्री संजीवय्या : वास्तव में हम कुछ मशीनों का निर्यात कर रहे हैं और शायद हमें कुछ अच्छी और पेचीदा मशीनों का आयात करना पड़े। यह कहना ठीक नहीं कि कोई आयोजना नहीं की जा रही है। एक विकास परिषद् है जो इस प्रश्न पर विचार करती है। योजना आयोग के विशेषज्ञ भी सहायता करते है।

Shri Rameshwaranand : I want to know whether it is a fact that the opinion of Indian public about the machines and tools produced in the country is that they are inferior to the machines and tools produced in America, England, Germany etc. Cannot the Government manufacture machines and tools in the new factories which might prove better than the foreign one's?

श्री संजीवय्या : जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा हम कुछ मशीन-औजारों का निर्यात कर रहे हैं। जब तक कि यह अच्छे किस्म के न हों हम अन्तर्राष्ट्रीय मार्किट में प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकते। अभी तक जो मशीन औज़ार हमने सप्लाई किये हैं उनके बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

Shri Rameshwaranand : What attempts have been made to clear this notion that whatever is produced in India is inferior?

श्री संजीवय्या : यह हमारा दुर्भाग्य है यदि कहीं ऐसी भावना है क्योंकि अन्य जगह तो यह भावना है कि हमारे औजार बहुत उत्तम होते हैं।

मैंगनीज का निर्यात

*1516. **श्री सुबोध हसदा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज का निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाइश है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या हमारे मैंगनीज का मूल्य प्रतियोगितामूलक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मैंगनीज़ अयस्क की खपत वाले विभिन्न महत्वपूर्ण देशों में बिक्री बढ़ाने के लिए एजेन्सी सम्बन्धी प्रबन्ध कर लिए गए हैं। उनकी आवश्यकताओं तथा वहां के बाज़ार के रुखों के अनुमान भी लगा लिए गए हैं। निर्यात के लिए देश में मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता, ऋण सुविधाएं तथा तकनीकी जानकारी की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) विश्व बाज़ार के मूल्यों में कुछ सुधार हुआ है परन्तु ये अब भी हमारी लागतों से कम हैं। मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात को धातु तथा मैंगनीज़ व्यापार निगम द्वारा करके यह कठिनाई दूर की जा रही है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या 1964-65 और 1965-66 के सम्बन्ध में पृथक पृथक आंकड़े दिये जा सकते हैं। क्या इन दोनों अवधियों के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य पूरे हो गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : इसके लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था क्योंकि इसे बेचना हमेशा कठिन रहा है। 1965 में 10.7 लाख टन मैंगनीज़ निर्यात किया गया था और 1964 में 14.9 लाख टन। वर्तमान कठिनाई यह है कि यद्यपि खरीदने वाले देशों से इसकी बहुत मांग है परन्तु हमारे पास मैंगनीज़ अयस्क की कमी है। अतः अब हम मैंगनीज़ का निर्यात एम० एम० टी० सी० द्वारा करते हैं और मैंगनीज़ की खान के मालिकों को हम अधिक मैंगनीज़ अयस्क का उत्पादन करने के लिये कई सुविधायें देते हैं।

श्री सुबोध हंसदा : यह बताया गया है कि निर्यात एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जायेगा। क्या गैर-सरकारी निर्यातकों को समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : गैर-सरकारी खानों के मालिकों को वंचित नहीं कर दिया जायेगा। गैर-सरकारी खानों के मालिकों और मैंगनीज के निर्यातकों की सहायता से मैंगनीज़ का निर्यात एम० एम० टी० सी० द्वारा किया जायेगा।

श्री रामकृष्णन : विश्व की मण्डी में मैंगनीज़ अयस्क की क्या मांग है ? क्या यह ऊंचे दर्जे के अयस्क के लिये है अथवा नीचे दर्जे के अयस्क के लिये ?

श्री मनुभाई शाह : कम से कम पिछले पांच वर्षों से मैंगनीज़ अयस्क कम निकाला जा रहा था। अब अमरीका और अन्य देशों में एक नई प्रक्रिया बनाई गई है और मैंगनीज़ अयस्क की मांग में फिर वृद्धि हो गई है। 28 लाख टन से अब विश्व में इसकी मांग 45 लाख टन हो जायेगी। मुख्य मांग ऊंचे दर्जे के मैंगनीज़ अयस्क के लिये है, जिसे ओरियेन्टल मिक्सचर कहा जाता है, और जो बहुत लोकप्रिय है।

परन्तु एक नीचे दर्जे का मिक्सचर भी है जिसे गोवा का काला लोहा कहते हैं।

श्री ब० कु० दास : क्या मैंगनीज़ अयस्क सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां ; समिति ने सिफारिश की थी एम० एम० टी० सी० के साथ एक परामर्श-दात्री समिति होनी चाहिए जो सलाहकार के रूप में कार्य करे। हमने उस समिति का गठन कर लिया है। तत्पश्चात् हमने खान तथा धातु मंत्रालय के परामर्श से बोर्ड आफ ट्रेड का अध्ययन किया। अतः मैंगनीज़ अयस्क खानों के विकास तथा आधुनिकीकरण हेतु तथा नये क्षेत्रों में मैंगनीज़ का खनन करने के लिये हम मुक्तहस्त सहायता दे रहे हैं।

श्री तिमय्या : मुझे हाल ही में पता चला है कि मैंगनीज़ अयस्क की खोज केवल सरकार ही कर सकती है। क्या मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लिये, गैर-सरकारी खानों के मालिकों तथा सरकार द्वारा, कोई लक्ष्य निश्चित किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मैंने पहले बताया हम विकास की क्षमता में तेजी ला रहे हैं ; अतः कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह सब गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में तैयार किये जाने वाले मैंगनीज़ अयस्क के विभिन्न दर्जों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यह सच है कि जहां नई खानों का विकास किया जाना है वहां हम सरकारी क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। परन्तु हमने गैर-सरकारी खानों के मालिकों को मैंगनीज़ अयस्क के विकास से नहीं रोका है और हम चाहते हैं कि दोनों क्षेत्र इस अयस्क के विकास के लिये कन्धे से कन्धा मिला कर चलें।

Manufacture of Machinery and Components

*1517. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many factories are not getting essential machinery and parts for want of foreign exchange;

(b) whether it is also a fact that as a result thereof many factories are on the verge of being closed down ; and

(c) whether Government propose to formulate any scheme for the manufacture of all the required machinery and parts in the country itself ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : वर्तमान विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण, आयातित मशीनों, पुर्जों और कच्चे माल की आवश्यकताएं सभी मामलों में पूर्ण अंश तक पूरी नहीं की जा सकती। कुछ कारखानों को अपने एककों को आयातित कच्चे माल की कमी के कारण पूरी क्षमता से कार्य करने में कठिनाई हो रही है।

(ग) आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और आयातित मशीनों और पुर्जों पर निर्भरता को यथासम्भव कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

Shri Bibhuti Mishra : From the statement it appears that some factories are finding it difficult to run their units to full capacity because of the shortage of imported raw material. I want to know the extent of our difficulty and the number of factories which have stopped and if they have not stopped, the number of factories whose capacity has come down and the amount likely to be spent for importing the material from outside for running these factories to full capacity. I would also like to know the amount of foreign exchange involved and how far our production would increase ?

Mr. Speaker : Many questions have been combined in one.

Shri Bibhuti Mishra : He does not reply to a, b, c, d, e, f and if the question is a big one then he raises objection, when both of us are living in the same house.

श्री कपूर सिंह : जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र ने उठाया है और जो स्थिति आपने बताई है उन दोनों में अन्तर है। उन्होंने एक से अधिक अनुपूरक प्रश्न पूछे है जबावी मेरे माननीय मित्र ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा है, जिसके कई भाग हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री विभुति मिश्र से सहमत हूं कि यह एक ही बात है।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : आजकल वास्तविक कठिनाई विदेशी मुद्रा के बारे में है। इसीलिये आयात प्रतिस्थापन के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई, जिसके प्रोफेसर वी० के० आर० वी० राव सदस्य है। इसके अतिरिक्त, सचिवों की एक तदर्थ समिति भी नियुक्त की गई है। प्रविधिक विकास के महा-निदेशक भी आयात प्रतिस्थान के प्रश्न पर निरंतर विचार करते रहते है। इन सब समिति के प्रयत्नों के कारण, केवल इंजीनियरिंग उद्योग में हमने 10.62 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इसी प्रकार, रासायनिक उद्योग में हमने 14.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इंजीनियरिंग उद्योग में अगले छः महीनों के अन्दर जब हम विशेष इस्पात बना सकेंगे तो हम 25 से 30 करोड़ रुपया बचा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, मैंने सभा में पहले भी कहा था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की दिसम्बर, 1965 में एक बैठक हुई थी और वह आयात प्रतिस्थापन के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये सदैव प्रयत्नशील रहते है।

उनमें से कुछ कारखानों में क्षमता से आधा काम हो रहा है, कुछ में उससे भी कम काम हो रहा है और कुछ बन्द भी हो गये हैं। वास्तव में, इंस्टीट्यूट आफ अप्लाइड इकानोमिक्स रिसर्च ने कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में 1961 तथा 1964 के बीच इस प्रश्न का अध्ययन आरम्भ किया था। उन्होंने कहा है कि बेकार क्षमता 60 से 70 प्रतिशत तक है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार, श्री वी० के० रामस्वामी तथा अमरीकी अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण के सम्भरण सलाहकार श्री डी० सी० पाउटस पर सम्मिलित एक अन्य समिति नियुक्त की थी और उसने कुछ उद्योगों का अध्ययन भी किया है। मेरे पास एक लम्बी सूची है जिसमें यह दिखाया गया है कि यह उद्योग कहां तक प्रभावित हुए है।

अध्यक्ष महोदय : एक अनुपूरक प्रश्न तथा उसके उत्तर को पांच मिनट लग गये है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the amount of foreign exchange required to keep the factories going ?

श्री संजीवय्या : इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु कुछ दिन पहले मेरे सहयोगी, वाणिज्य मंत्री बता रहे थे कि कच्चे माल के आयात पर 700 करोड़ रुपये व्यय किये जाने हैं।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या उन पुर्जों तथा मशीनी औजारों के उत्पादन की क्षमता बढ़ती रही है जबकि वर्तमान कारखानों के लिए पर्याप्त माल उपलब्ध नहीं था ?

श्री संजीवय्या : यह ठीक है। हमारे पास वर्तमान उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नहीं है। परन्तु उसके साथ ही हम अपनी गति नहीं रोक सकते। हमें नये उद्योग आरम्भ करने हैं और आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान में वस्तुओं का पता लगाने का प्रयत्न करना है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार बड़ी मात्रा में प्रयोग किये जाने वाले को आयातित फालतु पुर्जों की मुख्य मदों के बारे में कोई जानकारी है तथा क्या इस वर्ष के अन्त में स्पेशल एलाय स्टील प्लांट और हैवी इलेक्ट्रीकल प्लांट के साथ हम उनकी मात्रा में कमी कर सकते हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री संजीवय्या : इस समय मैं आकड़े नहीं दे सकता। आंकड़े प्राप्त करने के बाद बताये जायेंगे।

श्री कंडप्पन : माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए अत्यावश्यक कच्चे माल का रिज़र्व पूल बनाने के बारे में कहा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है ?

श्री संजीवय्या : मैंने रिज़र्व पूल बनाने के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। जहां तक छोटे पैमाने के उद्योगों का सम्बन्ध है, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त को बड़ी मात्रा में माल मिलता है और वह विभिन्न राज्य सरकारों को माल देते है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : यह बात कहां तक सच है कि इन सहायक उद्योगों की स्थापना आयोजित रूप में नहीं की गई है जिसका परिणाम यह है कि जहां तक मुख्य उद्योगों का सम्बन्ध है, उनको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां है उदाहरणार्थ स्थान, परिवहन आदि सुविधायें और निकटतम स्थानों से माल प्राप्त करने की कठिनाइयां ।

श्री संजीवय्या : कुछ हद तक यह ठीक है कि सहायक उद्योग आरम्भ नहीं किये गये हैं। उदाहरण के लिये हैवी इलैक्ट्रीकलज़, भोपाल को लीजिये। हमें पुर्जों तथा सामान की बड़ी मात्रा में आवश्यकता है जिनका निर्माण सुविधा से ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में हो सकें जहां सहायक उद्योग आरम्भ किये जा सकें, हमने उपक्रमों को इस ओर आकर्षित करने का भरसक प्रयत्न किया है परन्तु इसमें सफल नहीं हो सके। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ हैदराबाद में हाल ही में कार्य आरम्भ हुआ है और हमने सरकारी क्षेत्र के सभी प्रबन्धकों को सहायक उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए हिदायतें दी हैं ताकि छोटे पुर्जों और सामान का उत्पादन हो सके। परन्तु हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़, हैदराबाद के प्रबन्धक कहते हैं कि आरम्भ में यह जानना बहुत ही कठिन है कि कितने पुर्जों तथा फालतु सामान की आवश्यकता होगी। इसलिये, एक वर्ष के बाद वे बता सकेंगे। इस दौरान, हम सहायक उद्योग स्थापित करने के लिए भी उपाय करेंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि प्रत्येक राज्य के लिए सहायक उद्योगों के लिए उप-समितियां बनाई गई है और उन उप-समितियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने अभी अन्तिम प्रतिवेदन नहीं दिया है। जब उनसे अन्तिम प्रतिवेदन मिल जायेंगे तो हम जानकारी दे सकेंगे।

Shri Bade : The factories, which were set up during last two years, have got the indigenous machinery, but they have not got the imported machinery so far. May I know whether it is due to the fact that foreign exchange from U.K. is not available and American exchange is dearer?

श्री संजीवय्या : जी हां, कुछ मामलों में स्वदेशी मशीनरी उपलब्ध है और उसे प्राप्त किया जाता है। आयातित मशीनरी के बारे में कुछ कठिनाई है परन्तु हम उन्हें यथासम्भव शीघ्र प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कितने कारखाने बन्द हुए हैं और उनमें कार्य कर रहे कितने श्रमिकों की छंटनी की गई है . . . .

श्री कपूर सिंह : इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या यू० एस० ए० का फारेन इक्सचेंज महंगा पड़ता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री संजीवय्या : मैं यह नहीं कह सकता कि कौनसा अधिक महंगा पड़ता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : कारखानों के बंद होने के परिणामस्वरूप प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी देने के क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री संजीवय्या : माननीय मित्र पुराने श्रम-नेता हैं और वह जानते है कि जब कोई कारखाना बन्द होता है तो विधि के अन्तर्गत श्रमिक जबरी छुट्टी के लिए प्रतिकर के अधिकारी होते हैं और यदि यह छंटनी का मामला हो, तो वे छंटनी के लिए प्रतिकर आदि के अधिकारी होते है।

श्री अ० प्र० शर्मा : विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण कितने कारखाने बन्द हो गये हैं ?

श्री संजीवय्या : मैं यह जानकारी अभी नहीं दे सकता।

डा० रानेन सेन : भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारे उद्योग में यह संकट बढ़ गया था जब सरकारी अधिकारियों के साथ इंजीनियरों द्वारा स्थानापन्न उद्योगों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया था। उसके परिणामस्वरूप यह पता लगा था कि इंजीनियरी उद्योगों तथा रसायन उद्योग दो ऐसे उद्योग थे जिन पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ था। बड़े पैमाने का यह आन्दोलन जब उप-समितियों तक सीमित रह गया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के सामने ऐसी कोई योजना है कि इस बारे में पुनः ऐसी भावना पैदा की जाये ताकि पुर्जे तथा सामान देश के अन्दर बनाया जा सके ?

श्री संजीवय्या : मैं माननीय सदस्य से बिलकुल सहमत हूं। कुछ दिन पहले मैंने वक्तव्य दिया था कि हम वैज्ञानिकों तथा तकनीशियनों को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा एक राष्ट्रीय आविष्कार संवर्धन बोर्ड भी बना हुआ है और प्रत्येक छः मास के बाद वे कुछ पुरस्कार देते हैं परन्तु मैं अनुभव करता हूं कि जो लोग कठिन परिश्रम से कार्य करते हैं और जो आयात स्थानापन्न के मामले की ओर ध्यान देते हैं, उन्हें भी पुरस्कार दिया जाना चाहिये।

जोर्डन के साथ व्यापार करार

*1518. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री फिरोदिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और जोर्डन की सरकार ने हाल में दिल्ली में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : हाल में ही किसी नये व्यापार करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। हलांकि जोर्डन के साथ वर्तमान व्यापार करार पर जुलाई 1963 में हस्ताक्षर हुए थे, फिर भी इसको 15 नवम्बर, 1964 को अम्मान में एक सलेख पर हस्ताक्षर करके उसे 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिये बढ़ा दिया गया था। भारत जोर्डन से मुख्यतः राक फास्फेट मंगाता है जिसका प्रयोग फास्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। भारत जोर्डन को पटसन, चाय, इंजीनियरी का सामान, औषधियां तथा कपड़ा इत्यादि जैसी वस्तुएं भेजता है। हाल में ही मार्च, 1966 में जब जोर्डन का प्रतिनिधिमंडल भारत आया था तो व्यापार करार के अनुच्छेद 8 के अन्तर्गत स्थापित की गई एक संयुक्त समिति ने दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार की प्रगति का पुनरीक्षण किया था।

श्री प्र० चं० बरुआ : जोर्डन के साथ व्यापार संतुलन की स्थिति क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : व्यापार संतुलन दोनों ओर लगभग एक करोड़ रुपये है। चार वर्ष पूर्व यह 40 से 45 लाख रुपये था।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह भी सच है कि हम जोर्डन से कुछ मशीनरी का आयात कर रहे हैं। यदि हां, तो उस मशीनरी के मूल्य अन्य देशों से आने वाली मशीनरी की तुलना में कैसे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जोर्डन में मशीनरी का कोई उत्पादन नहीं होता। जोर्डन से केवल राक फास्फेट का आयात होता है ?

श्री फिरोडिया : निर्यात के इस करार के अन्तर्गत कौन कौन सी गैर-परम्परागत वस्तुएं होंगी ?

श्री मनुभाई शाह : गैर-परम्परागत वस्तुएं लगभग 20 लाख रुपये की हैं और वे वस्तुएं इंजीनियरी वस्तुएं, छत के पंखे, सिलाई की मशीनें, मशीनी औज़ार और बिजली का सामान है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जोर्डन ने काश्मीर के तथाकथित मामले पर तथा पिछले संघर्ष के मामले पर पाकिस्तान का खुला समर्थन किया है, क्या सरकार विदेशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करते समय इन राजनैतिक बातों को ध्यान में रखती है ?

श्री मनुभाई शाह : हम घटनाओं पर ध्यान रखते है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या सरकार व्यापारियों का एक शिष्टमण्डल जोर्डन भेजने की विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, आने वाले कुछ सप्ताह में जोर्डन के एक शिष्टमंडल के यहां आने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यहा से कुछ व्यापारियों को जोर्डन भेजने का विचार है ?

श्री मनुभाई शाह : हम भी विचार कर रहे हैं परन्तु अब जोर्डन सरकार दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि चाहती है। इसलिए, वे एक शिष्टमंडल भेजना चाहते हैं। हमने पिछले वर्ष एक शिष्टमंडल भेजा था। अब हमें उनका शिष्टमंडल के यहां आने की आशा है।

श्री हरि विष्णु कामत : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने जोर्डन तथा पश्चिमी एशिया के अन्य अरब देशों के साथ व्यापार समझौते किये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि अपने मित्र देश इसराइल के साथ सरकार के व्यापार समझौता करने में क्या रुकावट है ? यह दोनों देशों को अधिक लाभदायक हो सकता है।

श्री मनुभाई शाह : इस सभा में इस विषय पर कई बार चर्चा की गई है।

श्री हरि विष्णु कामत : जी नहीं।

श्री मनुभाई शाह : विदेश नीति

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का मामला है। इस पर वाद-विवाद हो चुकी है। सरकार को इस बारे में निर्णय लेना है। वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या इसका यह अर्थ है कि उनका इस मामले में कोई दखल नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल के दौरान नीति के मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री कपूर सिंह : क्या जोर्डन ने इस बात का आश्वासन दिया है कि यदि एकबार फिर भारत-पाकिस्तान का संघर्ष हो जा जिसको हर व्यक्ति टालना चाहता है तो वह समझौते की शर्तों का पालन करेगा ?

श्री मनुभाई शाह : व्यापारिक समझौते में इन मामलों पर विचार नहीं किया जाता। ये मामले सामान्यतया राजनैतिक हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने कहा है कि यह एक नीति का मामला है। यदि हम पूर्व जर्मनी के साथ जिसके साथ हमारे राजनैतिक सम्बन्ध नहीं है और नहीं वाणिज्यिक सम्बन्ध है, व्यापारिक समझौता कर सकते हैं तो हम इसराईल के साथ व्यापारिक समझौता क्यों नहीं कर सकते ? यह नीति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में हम तर्क-वितर्क जारी नहीं रख सकते। यह नीति गलत भी हो सकती है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इसमें तर्क की कोई बात नहीं है। वह प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि पूर्वी जर्मनी के साथ व्यापारिक समझौता किया जा सकता है जिसके साथ हमारे राजनतिक सम्बन्ध नहीं है, तो इसराइल के साथ व्यापारिक समझौता क्यों नहीं कर सकते ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को मालूम है दूसरे देशों के साथ व्यापारिक अथवा आर्थिक अथवा राजनैतिक सम्बन्धों के बारे में अवस्थाएं हैं। कुछ देश एक अवस्था में आते है तथा दूस देश दूसरी अवस्था में आते हैं। विदेशों के साथ व्यापारिक समझौता विदेशी नीति का ही एक अंग होते है।

श्री हरि विष्णु कामत : मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इसके पक्ष में हैं परन्तु कुछ अन्य लोग इसके पक्ष में नहीं हैं।

खादी का फालतू स्टाक

*1519. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में खादी संस्थाओं द्वारा बनाई गई खादी तथा हाथ से काते गये धागे के फालतू स्टाक को खरीदने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें तथा निबंधन क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : प्रत्येक राज्य में फालतू स्टाक की मात्रा क्या है ?

श्री शफी कुरेशी : खादी तथा ग्राम उद्योगों के बारे में चौथी योजना के कार्यकारी दल के प्रतिवेदन के अनुसार 31 मार्च, 1964 को संस्थाओं के पास कुल 13 करोड़ रुपये की खादी का स्टाक था जिनमें से 7–8 करोड़ रुपये की सूती खादी तथा 4–4½ करोड़ रुपये की ऊनी खादी थी।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या इस बारे में सरकार ने कोई तदर्थ प्रबन्ध अथवा कुछ नीति बनाई है जिसका भविष्य में अनुसारण किया जायेगा ?

श्री शफी कुरेशी : जैसा मैंने पहले बताया है यह मामला सरकार के विचाराधीन है, इस मामले पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लिया जायेगा।

Shri Raghunath Singh : I would like to know whether this surplus stock has accumulated because the khadi has become very costly and the people do not have the capacity to purchase it? The 'Kurta' which could be prepared in four rupees earlier is now prepared in sixteen rupees.

Mr. Speaker : Why are you showing your 'Kurta' ?

Shri Shafi Qureshi : No Sir, the actual position is absolutely the reverse of it. Now-a-days very high quality khadi is being produced. We have got in our stock sub-standard khadi worth about three lakhs of rupees only.

Shri P. L. Barupal : There are about half a dozen khadi co-operative societies in Rajasthan. Cloth manufactured by those Societies is also lying in stock. I want to know whether this cloth would also be included in this stock.

श्री मनुभाई शाह : मैं अपने साथी के उत्तर के आगे कुछ और कहना चाहता हूं । हमारे स्टाक में तीन करोड़ रुप की ऐसी खादी है जिसको रियायत पर बेचना पड़ेगा । मैं सभा को यह प्रभाव नहीं देना चाहता कि यह खादी थोड़ी ही है । इस तीन करोड़ रुपये के निपटान के बारे में खादी आयोग तथा सरकार के बीच पिछले 12 महीनों से बातचीत हो रही है ।

Shri Rameshwaranand : In addition to other things which have already been said I would like to tell that an inferior quality thread is being used in the Khadi. In spite of that it is washed with the acid and as a result thereof it does not last long and the cloth gets worn quickly. I want to ascertain whether people are not buying it only because it is not durable? If so, whether same instructions have been issued to the Khadi Stores to remove this defect.

Shri Manubhai Shah : To some extent the hon. member is right. The question is . . .

Shri Rameshwaranand : On that day also hon. Minister said that I had not used the correct word. Today again he is saying that I am not correct . . .

Shri Manubhai Shah : I have said that to some extent hon. member is right. I would, however, draw the attention of the hon. member to the fact that Khadi is being manufactured on such a large scale on decentralised basis that ten lakh and fourteen thousand families are earning their livelihood therefrom. As such there are more human considerations and weaknesses. It has been the effort of the Khadi Commission to improve the quality. Only the people who are wearing khadi can tell that its quality is continuously being improved. But in view of the new interests such as 'Ambar Charkha' which also produced large quantities of khadi, the quality has become slightly inferior.

Shri Tyagi : What amount of money has so far been given to Khadi Commission for this work and how far is it economical to engage labour in uneconomic works?

Shri Manubhai Shah : At the moment I do not have full figures. Actually, the Report is laid on the Table of the House every Year. Approximatlely 150-175 crores of rupees . . .

Shri Tyagi : 150 Crores of rupees.

Shri Manubhai Shah : It has been by way of grants and loans over many years.

Shri Tyagi : Is it all grant or loan also?

श्री मनुभाई शाह : अनुदान और ऋण दोनों को मिला कर। मैं समझता हूं कि इसका एक भाग एक अनदान है। मैं एकदम बिना जानकारी के निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। इसे गिरे हुए स्तर के स्टॉक से माननीय सदस्य को एक सामान्य निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये। मैं माननीय सदस्य की इस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं। एक ओर उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है, दूसरी ओर रोजगार भी बढ़ रहा है जो कि खादी जैसे विकेन्द्रीकृत उद्योग के पीछे एक मूल विचारधारा है। और इसके महान सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों के मुकाबले में केवल इसको केवल नाममात्र राज्य-सहायता दी जाती है।

श्री त्यागी : राज्य-सहायता कितने प्रतिशत दी जाती है ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले इन वर्षों में हमने लगभग 70–80 रुपया दिया है और ये आंकड़े मैं पहले कई बार दे चुका हूँ। प्रतिवर्ष विभिन्न कार्यों के लिये राज्यों को जो अनुदान दिये जाते है उनमें राज्य-सहायता की राशि लगभग 4–5 करोड़ रु० होती है। इस उद्योग से जितने व्यक्तियो को रोज़गार मिला है उसके मुकाबिले में यह कुछ भी नहीं है।

श्री रंगा : यह नहीं समझ लिया जाना चाहिये कि यह सभा, इस उद्योग के पीछे जो विचारधारा है, उसके विरुद्ध है। क्या खादी बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिये कोई पग उठा रहा है कि धागे की तनाव क्षमता को बनाये रखा जाये तथा खादी कपड़े के टिकाऊपन को बनाये रखा जाये; एक समय यह तनावक्षमता बहुत ऊंची थी। आज खादी मील के बने कपड़े की तुलना में कम टिकाऊ है।

श्री मनुभाई शाह : खादी के विचार का माननीय सदस्य ने जो दृढ़ समर्थन किया है उसके लिये मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि खादी की तनावक्षमता कम हो गई है। परन्तु यह सच है कि चूंकि हम अम्बर चरखे पर नये प्रवेशकों को प्रशिक्षण देते है, इसलिये हो सकता है बड़ी संस्था के कारण कुछ माननीय कमजोरियां हों, और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि खादी आयोग की अनुमति से हम एक पुनर्विलोकन समिति का गठन कर रहे हैं जो कि खादी कार्यक्रम और ग्राम उद्योग कार्यक्रम के संपूर्ण कार्य की जांच करेगी। इस समिति में मैं इस सभा के माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों के कुछ मंत्रियों और खादी बोर्डों के कुछ सभापतियों और स्वतन्त्र अर्थशास्त्रियों को निमन्त्रित कर रहा हूं ताकि 20 या 25 व्यक्तियों की समिति सारे पहलुओं की जांच कर सके।

Shri Prakash Vir Shastri : Like Bharat Sewak Samaj Khadi Commission is another favourite organisation of Government of India over which as the hon. Minister just now stated, Rs. 175 crores have been spent. May I know whether the Public Accounts Committee have given some remarks about the misuse of funds in their annual Report regarding Khadi Commission; if so, whether despite the remarks made by P.A.C., crores of rupees are being given to Khadi Commission in the same manner or efforts have been made to give funds to thrifty organisations like Gandhi Ashram?

Shri Manubhai Shah : The hon. Member has raised several questions in one. जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है हमने कोई लाडली संस्था नहीं बनाई है। खादी भारतीय स्वतन्त्रता का लिबास रही है और यह शासक दल के महान उद्देश्यों में से एक रही है . . . (अन्तर्बाधायें)

श्री रंगा : हम यह सब नहीं चाहते।

अध्यक्ष महोदय : उनको व्याख्या करने दीजिये।

श्री रंगा : लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में जो कुछ कहा गया है उसके बारे में उनको उत्तर देना चाहिये ।

श्री मनुभाई शहा : मैं उसी बारे में बताये जा रहा हूं . . .**(अन्तर्बाधा)**

श्री कपूर सिंह : सरकारी धन का अपव्यय क्यों किया जा रहा है इसका उत्तर दिया जाये ?

श्री रघुनाथ सिंह : इसका अपव्यय नहीं किया जा रहा है बल्कि यह रुपया ग्रामों में जा रहा है . . . **(अन्तर्बाधायें)** ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को इन प्रश्नों का उत्तर देने दिया जाये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : परन्तु क्या उनको किये गये प्रश्नों का उत्तर देने के लिये कहेंगे ? वह कहते है कि खादी आजादी की वर्दी है आदि आदि ।

श्री मनुभाई शाह : मैं सभा को आश्वासन देता हूं सरकार की नीति से, जिसका वित्तीय तथा आर्थिक तौर पर पूर्ण पुनर्विलोकन हम करते रहते है, किसी प्रकार के विभेद के कारण हम अपनाये गये मार्ग से हटने वाले नहीं है . . . . **(अंतर्बाधायें)** ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को सुना जाना चाहिये । उनके उत्तर देने के पश्चात ही कुछ आपत्ति की जा सकती है। परन्तु उनके समाप्त करने से पूर्व ही बाधा डाली जा रही है। पहले उनको अपना उत्तर पूरा करने दीजिये और यदि वह संतोषजनक नहीं होता है और यदि कुछ अन्य बातों के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हुई तो मैं अवश्य ही उसकी अनुमति दूंगा ।

श्री मनुभाई शाह : प्रति वर्ष लोक लेखा समिति के टिप्पणों के बारे में जो कार्यवाही की जाती है उसको सरकार के एक सामान्य संकल्प द्वारा सभा के समक्ष रख दिया जाता है। अन्तिम प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ है। मैंने पहले ही सभा को आश्वासन दिया है कि जहां तक आयोग के सामान्य कार्य का सम्बन्ध है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के अलावा हम स्वयं खादी कार्यक्रम के पुनर्विलोकन के लिये इच्छुक हैं और इसलिये खादी आयोग के परामर्श के साथ उच्च शक्ति वाली एक समिति का गठन किया जा रहा हैं जिससे खादी आयोग के समस्त कार्य की जांच की जा सके और भविष्य के लिये नीति **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Parkash Vir Shastri : The question was very simple. Whether some reduction was effected in the allocation of funds after several reports by P.A.C. ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बताया है कि लोक लेखा समिति के जो भी टिप्पण हों, प्रति वर्ष उन पर उचित कार्यवाही की जाती है और उसके बारे में सभा को बताया जाता है। अन्तिम प्रतिवेदन ..... **(अन्तर्बाधायें)**

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि प्रतिवेदन मिल जाने के बाद भी धन दिया गया है।

श्री हेम बरुआ : यह संसद का अवमान है।

श्री रंगा : इसका यह अर्थ नहीं कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों का महत्व अब नहीं रहा है क्योंकि अगले वर्ष के लिये भी धन दे दिया गया है। लोक लेखा समिति की सिफारिशें स्थायी है और सरकार को उन सिफारिशों पर कार्यवाही करनी चाहिये तथा उस कार्यवाही से लोक लेखा समिति को अवगत कराना चाहिये । हम लोक लेखा समिति को इस तरीके से कमज़ोर नहीं बना सकते ।

Shri A. P. Sharma : Khadi worth crores of rupees was being purchased by the Railways. I want to know whether this process is still going on and if so, value of purchases still being made by Railway Ministry ?

Shri Manubhai Shah : I do not have the separate figures for railways. But all the Government department including Railway ministry are purchasing the khadi worth rupees one crore fifty lakhs to one crore seventy-five lakhs.

सरकारी क्षेत्र के निगम

*1520. **श्री जोकिम अल्वा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कितने सचिव इस समय सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखानों अथवा निगमों के प्रधान है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार संचार मंत्रालय के सचिव के पद को इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के प्रधान के पद के साथ मिलाने की पद्धति में कोई परिवर्तन करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) नौ ।

(ख) उड्डयन विभाग के सचिव ही इंडियन एयर लाइंस कारपोरेशन के अध्यक्ष है। वही विभाग इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि उनको उक्त पद पर बने रहना चाहिए अथवा नहीं ।

श्री जोकिम अल्वा : क्या मंत्री महोदय ने प्राक्कलन समिति के इस प्रतिवेदन को देखा है जिसमें यह राय प्रकट की गई है कि मंत्रालय के सचिव तथा इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष का पद एकही व्यक्ति को देना न तो उचित है और न ही ठीक है।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : जी हां, न केवल प्राक्कलन समिति ने बल्कि सरकार उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी सरकार को सिफारिश की है कि यह स्थिति असंतोषजनक है और कि इसको समाप्त किया जाना चाहिये इसलिये परीवहन मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया है कि वह इस सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

श्री जोकिम अल्वा : सरकार ने सचिवों विशेषकर इन्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों की, जो कि लोक उपयोगी समवायों के अध्यक्ष बने हुए हैं, सूची क्यों नही दी है ?

श्री संजीवय्या : मैं ने बताया कि उनकी संख्या 9 हैं । यदि आप आज्ञा दे तो मैं उनके नाम पढ़कर सुना देता हूँ । मैं उन के नामों की सूची सभा पटल पर रख दुँगा ।

अध्यक्ष महोदय : सूची सभा पटल पर रख दी जाये ।

Shri Madhu Limaye : This question is very important because if the office of Chairmanship of the I. A. C. or Air India is entrusted to the Secretary of the Ministry then the allegations made against these corporations would not be looked into by Government impartially. I wrote an eleven page letter to Secretary of this ministry wherein I had given same proofs. I want to know whether this question would be considered keeping in view this thing also ?

श्री संजीवैय्या : मैं अपने साथ के जो कि इस मंत्रालय के भारसाधक , के ध्यान में यह बात ला रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह केवल इन्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के मामले में ही नहीं है । क्या यह सच नही है कि सरकारी उपक्रमों के सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालयों के सचिवों की अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्त न केवल अवांछनीय है बल्कि अनुचित भी है और कि सरकार को यह प्रथा बन्द कर देनी चाहिये । क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है ?

श्री संजीवय्या : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि न केवल प्राक्कलन समिति ने बल्कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी इसी प्रकार की सिफारिश की है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : न केवल इस मामले विशेषकर बल्कि दूसरी नियुक्तियों के बारे में भी।

श्री संजीवय्या : प्राक्कलन तथा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति दोनों की सिफारिशों को ध्यान में रखकर, जहां कहीं भी सचिवों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है, इस समूचे प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

चाय का निर्यात

अ०सू०प्र० 26. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष विश्वमण्डी में चाय के प्रमुख संभारक का स्थान भारत की जगह लंका ने ले लिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस वर्ष इस स्थान को पुन: प्राप्त करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6242/66।]**

श्री प्र० चं० बरुआ : जहां तक चाय को सप्लाई का सम्बन्ध है जब से इसे अन्तर्राष्ट्रीय पेय माना गया है चीन तथा भारत ये विश्व का प्रमुख संभारक बनने के लिये मुकाबला चल रहा है और 1918 में जब चीन पिछड़ गया तब से विश्व मण्डी चाय का प्रमुख संभारक भारत ही रहा है। लगभग 50 वर्ष इस स्थिति पर रहने के पश्चात् यह स्थान भारत से श्रीलंका ने ले लिया है जोकि क्षेत्र तथा जनसंख्या में भारत के मुकाबले में एक बहुत ही छोटा देश है। इसलिये यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है उस के एक भाग में यह बताया गया है कि पिछले 8 वर्षों में चाय का उत्पादन तथा निर्यात धीरे धीरे बढ़ रहा है। परन्तु यदि विवरण के दूसरे भाग को देखें तो पता लगता है कि 1965 में.....

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है।

श्री प्र० चं० बरुआ : उसमे असंगति है। विवरण के एक भाग में बताया गया है कि चाय का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ रहा है। परन्तु उसी विवरण के दूसरे भाग में, जोकि मैं दिखाना चाहता हूँ.....

अध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल पर रखे गये विवरण के बारे में जानते हैं। आप केवल अनपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस लिये मै विभेद की व्याख्या करना चाहता हूँ क्योंकि माननीय सदस्यों को इस बारे में मालूम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है माननीय सदस्य न जानते हों परन्तु मंत्री महोदय को मालूम है।

श्री प्र० चं० बरुआ : 1956 में हम ने अपने उत्पादन को 150 लाख किलो ग्राम बढ़ाया है जबकि श्रीलंका ने भी अपने उत्पादन में इतनी ही वृद्धि की है। परन्तु जहां तक चाय के निर्यात का सम्बन्ध है.. ....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय नें विवरण सभा पटल पर रखा है और माननीय सदस्य सारा विवरण पढ़ रहे है।

श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण में बहुत सी बातें असगत ह। हमने लगभग 3 करोड़ 80 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात कम किया है। जबकि श्रीलंका ने अपने निर्यात मे 5 करोड़ किलोग्राम की वृद्धि की है। विवरण के प्रथम भाग में बताया गया है कि हम निर्यात में वृद्धि कर रहे हैं.....

श्री मनुभाई शाह : उत्पादन सम्बन्धी पिछले दस वर्ष के आंकड़े मैंने सभा पटल पर रख दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक मै सून पाया हूँ विवरण के एक भाग में बताया गया है कि उत्पादन में कुछ वृध्दी हुई है जबकि दूसरे भाग मे बताया गया है कि हम दूसरे देशों से पीछे रह गये हैं। इस परस्पर विरोधी बात की व्याख्या की जाये।

श्री मनुभाई शाह : यह दोनों बाते असंगत नहीं हैं। सभा की जानकारी के लिये मैंने विवरण उत्पादन सम्बन्धी पिछले 10 वर्ष में बताना चाहता हूँ कि उत्पादन मे 5 करोड़ 90 लाख किलोग्राम की वृद्धि हुई है। दस वर्ष पूर्व उत्पादन 30 करोड़ 80 लाख किलोग्राम था। पिछले वर्ष कुल उत्पादन 36 करोड़ 70 लाख किलोग्राम हुआ था। इसलिये विवरण में ठीक ही बताया गया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वास्तविक समस्या आन्तरिक उपभोग की है।

यदि सभा विवरण के स्तम्भ संख्या 2 पर ध्यान दे तो ज्ञात होगा कि आज से एक दशक पूर्व सन् 1956 में हमारे यहाँ उपभोग की मात्रा 7.1 करोड़ किलोग्राम थी जो अब दस वर्ष बाद बढ़कर 16 करोड़ 80 लाख किलोग्राम हो गई है। इसी कारण चाय का अधिक निर्यात कठिन हो गया है और यही वजह है कि भारत और श्रीलंका के द्वारा सन 1965 में किये गये निर्यात की तुलना में हमारे निर्यात की मात्रा कम है।

श्री प्र० चं० बरुआ : असंगति यह है कि निर्यात बढ नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदया : वे समाप्त कर चुके हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : मेरा दूसरा प्रश्न यह है। निर्यात घटने के कारण उपज में कमी और उपभोग की बढोतरी बताये गये हैं। यदि हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि सरकार ने चाय बागान के लिये ऋण योजना जिसका उद्देश्य चाय उपज को बढाना है, को और अधिक उदार बनाने के लिए विचार क्यों नही किया। उसने चाय के सम्बन्ध में एक निश्चित राजकोषीय नीति निर्धारित क्यों नहीं की? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया कि अन्य देशों में भारतीय चाय की मांग घटती जा रही है?

श्री मनुभाई शाह : सरकार ने हाल के वित्त विधेयक में चाय उद्योग को प्राथमिकता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष के बजट में वित्त मंत्री ने केवल इसी उद्योग को घिसाई छूट दी है। चाय उद्योगपतियों की ओर से कर में अब जो छूट की मांग की जा रही है उस पर भी सरकार विचार कर रही है।

श्री अ० चं० गुह : क्या यह सत्य है कि निर्यात में भी कमी के कारणों में से एक कारण यह भी है कि भारतीय चाय की कीमत श्रीलंका के चाय की कीमत से अधिक है? यदी हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाना चाहती है?

श्री मनुभाई शाह : यह सत्य है कि भारतीय चाय की कीमत श्रीलंका की उसी किस्म की चाय की कीमत से लगभग 5 प्रतिशत अधिक है। कारण स्पष्ट है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ बढ़ती हुई मांग के कारण चाय कम बच पाती है। श्रीलंका में जनसंख्या 80 लाख है और वहाँ 98.7 प्रतिशत चाय फालतू बचती है। इसलिये वहाँ की चाय की कीमत अवश्य ही कम होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : वक्तव्य के अन्त में एक बड़ी असंगत और आश्चर्यजनक बात कही गई है :

"भारत में निरन्तर बढ़ती हुई आन्तरिक खपत एक महत् एवं गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई क्योंकि इससे निर्यात किये जाने वाले अतिरेक की मात्रा कम होती जा रही है।"

क्या सरकार की यह नीति है कि भारत में चाय-पान को कम किया जाय और यदि हाँ, तो क्या सरकार यह चाहती है कि निकृष्ट कोटी की चाय भारतीय जनता को दी जाय और उत्तम प्रकारकी चाय क्या विदेशों को निर्यात किया जाय ?

श्री मनुभाई शाह : सचमुच ही यह चिन्ता का विषय है क्योंकि यह भारत के लिये विदेशी मुद्रा कमाने का एक बड़ा साधन है। साथ ही जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और श्रमिक वर्ग तथा अन्य व्यक्तियों का जीवन-स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। इसलिये हमें अपने यहाँ चाय के उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये अवश्य ही कुछ करना होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : यदि वे यह कहना ही चाहते हैं कि भारत में चाय-पान का विषय चिन्ताजनक बन गया है तो यह उन्हें किसी दूसरे ढंग से कहना चाहिये।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि एक समय भारत चाय निर्यात करने वालों में सर्वोपरि था और अब यह स्थान भारत की बजाय श्रीलंका ने ले लिया है, मैं यह जानना चाहूँगा कि सरकार ने भारत के लिये यह विशेष स्थान पुन: प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : पहले तो चाय बोर्ड के मातहत हमने चाय-वित्तपोषण सलाहकार योजना के अन्तर्गत किराया-खरीद, कृत्रिम सिंचाई और दीर्घ काल के लिये पुन: बाग लगाना और नये बाग लगाने के लिए आर्थिक सहायता को सम्मलित कर लिया है। दूसरे, वर्तमान वित्त विधेयक में मूल्य-ह्रास तथा 60 प्रतिशत विकास छूट देकर चाय उद्योग को और अधिक लाभप्रद बना दिया है। इसके अतिरिक्त खुली चाय पर 2 प्रतिशत और डिब्बो वाली चाय पर 5 प्रतिशत कर ऋण देने की पहले वर्ष के बजट में घोषणा की गई थी। इसके साथ ही चाय उद्योग को और अधिक आय मूलक बनाने के लिये सरकार सदैव अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता देने के विषय में विचार करती रहती है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि विदेशों में चाय का प्रचार श्री लंका और कीनिया के चाय उत्पादको के साथ मिलकर किया जा रहा है। क्या यह सत्य नहीं है कि हम न केवल श्रीलंका से बल्कि निकट भविष्य में कीनिया से भी इस क्षेत्र में पिछड़ जायेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : हम चाय के निर्यात से अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करना चाहते हैं। हम विश्व में चाय के सबसे बड़े उत्पादक हैं। कीनिया में तो विश्व की कुल चाय का 1 प्रतिशत भी पैदा नहीं होता। किन्तु कुछ वर्षों में यह देश भी प्रतियोगी बन सकता है। हम किसी भी अन्य देश की प्रगति को कुण्ठित नहीं कर सकते। हमें अपने यहाँ की प्रगति को बढाना है और यह हम कर रहे हैं।

श्री कण्डप्पन : चाय की उपज में और उसके निर्यात में कमी को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार ने देश में चाय उगाने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिये कुछ प्रयास किया है ? इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि अन्दमान द्वीप-समूह में चाय उगाने के सम्बन्ध में किय गये प्रयत्नों का क्या परिणाम रहा।

श्री मनुभाई शाह : जहाँ तक उपजाऊ भूमि अधिक मात्रा में मिलने का सम्बन्ध है, गेहूँ, चावल, चाय आदि किसी भी प्रकार की फसल के लिए ऐसी भूमि बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। इसलिये, वर्तमान चाय-बागान में प्रति एकड़ उत्पादनशीलता बढ़ाना ही हमारा ध्येय है। दूसरी ओर हम 40 से 50 वर्ष पुरानी झाड़ियों को दुबारा लगाना चाहते हैं जिन में फिर से ताज़गी आ जाने पर

अच्छी उपज देंगी । अधिक से अधिक हम यही कर सकते हैं। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि जहां तक उत्पादकता का सम्बन्ध है वहाँ तक तो हमारा स्थान विश्व में सर्वोच्च है । हमारे यहां उपज 1200 पौण्ड प्रति एकड़ है जबकि श्रीलंका में यह 900 पौण्ड और कीनिया में 850 पौण्ड प्रति एकड़ है। किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । हमें चाय के लिये और अधिक भूमि प्राप्त करनी है और विद्यमान चाय-क्षेत्रों में पुनारोपण करना होगा। अन्दमान द्वीप में बड़े पैमाने पर चाय लगाने से पहले वहाँ की ऋतु सम्बन्धी और अन्य परिस्थितियों का इस दृष्टि से अध्ययन करना आवश्यक है कि वे चाय-उत्पादन के लिये अनुकूल है या नहीं ।

Shri Yashpal Singh : Whether the Govt. have paid attention to the fact that the production of milk is declining. Due to this, those who were in the habit of taking milk have started drinking tea. Due to this we have lost our prestige. If it is so, whether Govt. is considering some measures for promoting the production of milk in order to surpass Ceylon again?

Mr. Speaker : Shri Kishen Pattnayak.

Shri Kishen Pattnayak : Whether it is fact that foreign owners of tea-plantations in India are investing huge sums of profit, they earn here, in tea plantation in Africa, if so, What steps the Govt. is taking to check this tendency?

Shri Manubhai Shah : What can the Government do to prevent somebody from doing something in a foreign country? We are trying to increase our own production.

Shri Kishen Pattnayak : They are doing this by earning huge profits here.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ट्रैक्टरों का निर्माण

*1521. **श्री रा० बरुआ :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी जोतों में प्रयोग में आने वाले सस्ते और हल्के ट्रैक्टरों की व्यवस्था करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या भारत की भिन्न भिन्न जलवायु के लिये उपयुक्त ट्रैक्टरों तथा हलों का निर्माण करने के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) से (ग) : कृषि संबंधी ट्रैक्टर मुख्यत: तीन वर्गों में आते हैं ; अर्थात

1. 20 अश्व शक्ति से कम के
2. 20 से 35 अश्व शक्ति तक के
3. 35 से अधिक अश्व शक्ति के

अनुमान है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी वर्गों के ट्रैक्टरों की वार्षिक मांग 40,000 तक पहुंच जायेगी। पांच फर्मों को कुल मिला कर हर साल 20 अश्व शक्ति से अधिक के 30,000 ट्रैक्टर और उपयुक्त उपकरण बनाने के लाइसेंस दिये जा चुके हैं। लाइसेंस पाने वाले सब कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। 20 अश्व शक्ति से कम के ट्रैक्टरों की मांग पूरी करने के लिए प्रतिवर्ष 12,000 ट्रैक्टरों और उनके उपयुक्त उपकरणों का उत्पादन करने में सक्षम

एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोलने का विचार है। इस प्रयोजन से पिछले वर्ष अगस्त में चेकोस्लोवाकिया के मेसर्स मोटोकोव से ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक करार किया गया था। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक यह रिपोर्ट तैयार हो जायेगी।

आमतौर पर शक्ति चालित हलों के नाम से विख्यात दो पहियों वाले ट्रैक्टर सामान्य रूप से 10 अश्व-शक्ति से कम के होते हैं। अनुमान है कि चौथी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक शक्ति चालित हलों की सालाना मांग 60,000 हो जायेगी। हर साल 3000 शक्ति चालित हलों का उत्पादन कर सकने वाले कारखाने में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है और इस कारखाने को हर साल 6000 शक्ति चालित हलों का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए काफी विस्तार करने की अनुमति दे दी गयी है। इसके अतिरिक्त पांच फर्मों को 57,000 हलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के बारे में आशय-पत्र दे दिये गये हैं। 27,000 ट्रैक्टरों के उत्पादन की दो अन्य योजनाएं सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जा चुकी हैं।

Ancillary Industries Sub-Committee

***1522. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Starred question No. 902 on the 1st April, 1966 and state :

(a) Whether the Ancillary Industries Sub-Committee has since submitted its report ;

(b) if so, the broad features of the recommendations made therein; and

(c) the decision taken by Government thereon?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) No, Sir. The Sub-Committee has so far held only one meeting. It is expected to hold several meetings before submitting its report.

(b) and (c). Do not arise.

राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से पुस्तकों का आयात

***1523. श्री फिरोडिया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकीय व्यापार निगम के माध्यम से पुस्तकों तथा सामयिक पत्रिकाओं का आयात करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इससे क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेपाल मे कपड़ा मिल

***1524. श्री पन्नालाल**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल का औद्योगिक विकास निगम भारत के मैसर्स बिड़ला ब्रदर्स को भारत-नेपाल औद्योगिक निगम के अन्तर्गत सेमरा में एक कपड़ा मिल स्थापित करने के लिये ऋण देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह ऋण कुल कितनी राशि का है ; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : नेपाल औद्योगिक विकास निगम, काठमाण्डू द्वारा मै० भारत नेपाल औद्योगिक निगम को, जिस का प्रबन्ध मे० बिड़ला ब्रदर्स (प्रा०) लि० द्वारा होगा, 37.5 लाख रुपये ऋण देने का प्रस्ताव है जिससे सूत और समापित कपड़ा बनाने के लिये नेपाल के सेमरा नामक स्थान में एक आधुनिक कताई-बुनाई सूती कपड़ा मिल की स्थापना की जायगी। उपर्युक्त धनराशि में से 32,81,250.00 रुपये की व्यवस्था 1964 में भारत सरकार द्वारा नेपाल सरकार को दिये गये ऋण में से करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है।

कारों की बिक्री

*1525. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फरवरी, 1966 से कारों के निर्माण में वृद्धि होने के कारण नई बुकिंग पर विभिन्न प्रकार की भारतीय कारों के दिये जाने में लगने वाला समय काफी घटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक, और नई बुकिंग पर विभिन्न प्रकार की कारों के दिये जाने मे कितना समय लगने की आशा है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : फरवरी, 1966 से केवल एक प्रकार की कार एम्बैसेडर का ही उत्पादन बढ़ा है। बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण कार मिलने के समय में काफी अंश तक कमी हो जाएगी। विभिन्न प्रकार की कारों के देने का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है।

स्कूटरों का निर्माण

*1526. **श्री सोलंकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बिड़ला इण्डस्ट्रीज ने 1200 रुपये प्रति स्कूटर लागत वाले स्कूटरों का निर्माण आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे स्कूटरों के निर्माण के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तथा उसकी प्राप्ति के मार्गोपाय क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : स्कूटर/स्वचालित साइकिलों का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के वास्ते कुल 189 प्रार्थना पत्र (बिड़ला ग्रुप के उद्योगों की पार्टियों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों समेत) प्राप्त हुए हैं। मैसर्स बिड़ला इन्डस्ट्रीज के नाम की किसी भी फर्म ने लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र नहीं दिया है। इन सभी प्रार्थना पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे में छोटी (नैरो गेज) लाइनें

*1527. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे को छोटी (नैरो गेज) लाइनों पर गाड़ियां चलाने से 20 प्रतिशत राजस्व का घाटा हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिम रेलवे में छोटी (नैरो गेज) लाइनों पर गाड़ियों को डीजल से चलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पश्चिम रेलवे के छोटी लाइन खण्डों की आमदनी 1963-64 और 1964-65 में परिचालन व्यय का क्रमशः 67 और 60 प्रतिशत रही।

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण डीजल से रेल गाड़ियां चलाना अभी केवल उन खंडों पर शुरू किया जा सका है जिन पर भाप चालित रेल गाड़ियों का आवागमन अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका था। किन्तु उपर्युक्त खण्डों की स्थिति ऐसी नहीं है।

निर्यात संवर्धन पुरस्कार

*1528. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन पुरस्कार आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : व्यापार बोर्ड ने नई दिल्ली में 30-4-66 को हुई अपनी 23वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार किया था कि उन निर्यातकों को जिनका व्यापार अत्यन्त उत्कृष्ट रहा है या जिनको सम्वर्द्धनात्मक प्रयास का श्रेय है, सरकार द्वारा ठोस रूप में मान्यता दी जानी चाहिये। बोर्ड ने स्वीकार किया कि फर्मों, संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों के लिये प्रति वर्ष प्रत्येक वर्ग (वर्ग 1 एवं वर्ग 2) में से प्रत्येक को दस राष्ट्रपति पुरस्कार देने प्रारम्भ किये जाये। सर्वोत्कृष्ट व्यापार पुरस्कार विजेताओं का चुनाव एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें प्रसिद्ध विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री होंगे।

मामला अब सरकार के विचाराधीन है। इस योजना के विषय में एक टिप्पणी सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 6243/66।]**

कपड़े के दाम

*1529. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन किस्मों के कपड़े पर कंट्रोल है, उन के कारखानों से निकलते समय के दामों और खुदरा दामों के बीच 18 प्रतिशत के वर्तमान अन्तर को हाल ही में बढ़ा कर 20 प्रतिशत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा आयुक्त द्वारा यह वृद्धि किन आधारों पर की गई है; और

(ग) दामों का यह अन्तर थोक और खुदरा व्यापारियों के बीच उचित ढंग से बांटा जाये, इसके लिए यदि कोई तरीका निकाला गया है, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : वितरण की लागत में वृद्धि, ब्याज की ऊंची दरें, बढ़े हुए रेलवे प्रभार, परिवहन के व्यय, वित्त की कठिनाइयां आदि को ध्यान में रखते हुए सरकार ने, कपड़े की नियंत्रित किस्मों के सम्बन्ध में, सूती कपड़ा व्यापार के लाभ को 18 प्रतिशत मिल के बाहर से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मिल के बाहर किया है। इसमें उद्देश्य यह रहा है कि कपड़े के खुदरा व्यापारियों को अपने लाभ के रूप में कम से कम 10 प्रतिशत मिलना चाहिये। इस उद्देश्य को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय, इसकी जांच श्री आर० जी० सरैया की अध्यक्षता में एक समिति कर रही है। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्टरी, बंगलौर

*1530. श्री हरि विष्णु कामत :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल फैक्टरी लिमिडेड, बंगलौर का प्रबन्ध पश्चिमी जर्मनी की एक फर्म को सौंपने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जर्मनी की उस फर्म का नाम क्या है तथा इस करार की शर्तें और निबंधन क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) दि न्यू गवर्नमेंट इलैक्ट्रिकल फैक्टरी लि० बंगलोर की व्यवस्था को एक नई कम्पनी को सौंपने का सुझाव है जिसमें राज्य सरकार, पश्चिमी जर्मनी की मैसर्स ए० ई० जी०, इन्टरनैशनल फाइनैंस कारपोरेशन, वाशिंगटन तथा जनता के शेयर निम्न अनुपात में होंगे :—

ए० इ० जी० . . .	40 प्रतिशत
मैसूर सरकार . . .	30 प्रतिशत
आई० एफ० सी० वाशिंगटन . .	11 प्रतिशत
जनता	19 प्रतिशत

(ख) और (ग) : मैसूर सरकार राज्य सरकार की दि न्यू गवर्नमैंट इलैक्ट्रीकल फैक्ट्री बंगलौर को सरकार के साधनों पर एक भारी वित्तीय भार समझती रही है। नई कम्पनी की प्रति दिन की व्यवस्था का भार एक व्यवस्था समिति के ऊपर होगा, जिसमें ए० ई० जी० के तीन निदेशक और मैसूर सरकार द्वारा दो निदेशक नियुक्त होंगे। अध्यक्ष मैसूर सरकार द्वारा नियुक्त होगा।

इन सुझावों पर अभी भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Small Scale Industries Corporation

*1531. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**

Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**

Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the terms and conditions on which machines and components are made available to the industrialists by the Small Scale Industries Corporation ;

(b) the arrangements made by the Corporation for the guidance of the industrialists about the sources of availability of machines and components which are purchased on instalment basis; and

(c) whether efforts have been made to see that such machines and components as are available on hire are exhibited and a list thereof prepared?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) Only machines are supplied on hire-purchase basis by the National Small Industries Corporation Limited. The main terms governing the supply of machines on hire-purchase basis at present are as follows :—

(i) Earnest money is charged at 20 per cent of the value of the machines except in the case of industrial furnaces where a higher rate of 30% is charged;

(ii) Interest is charged at 7 per cent per annum;

(iii) The period of repayment is within 7 years in respect of graded machinery and 5 years in respect of ungraded machinery the first instalment beginning a year after delivery and the second and subsequent instalments being payable half yearly thereafter;

(iv) Service charges are payable at 6 per cent of the value of the machines.

(b) The Corporation arranges supply of machines chosen by the applicants and as such does not furnish information about sources of supply. However, in rare cases where enquiries are made by the applicants, the Corporation furnishes information to the best of its knowledge without any commitment on its part.

(c) No, Sir, as this is not considered necessary or feasible.

Price Control of Cotton Cloth

*1532. **Shri Madhu Limaye :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Yashpal Singh : **Shri Yudhvir Singh :**
Shri Kapur Singh : **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri P. K. Deo : **Shri Bade :**
Shri P. C. Borooah : **Shri D. C. Sharma :**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion from the mill owners regarding the withdrawal of price control from cotton cloth; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi : (a) & (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Some suggestions have been received; but these have come from the trade or a few mill owners from time to time.

The object of the price and production contro s over the manufacture and sale of certain categories of mill-made cloth like dhoties, sarees, etc., is to ensure an adequate supply of cloth of popular varieties at reasonable prices for the common man. The Government, therefore, do not intend to disturb the present arrangements.

Seizure of Copper at Patna

*1533. **Vishwa Nath Pandey :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that copper weighing 50 maunds was seized while it was being despatched unlawfully through a railway parcel at Patna City station in November, 1965; and

(b) if so, the action taken against the persons concerned?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes Sir.

(b) A case has been registered at Govt. Railway Police Station, Patna under section 125 D.I.R. which is under investigation.

मद्रास में स्टेनलैस स्टील परियोजना

*1535. **श्री फिरोडिया :** क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान के सहयोग से मद्रास में एक स्टेनलैस स्टील परियोजना स्थापित किये जाने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना की क्षमता कितनी होगी और इस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : मद्रास अलाए एण्ड स्टेनलैस स्टील्स लिमिटेड को प्रति वर्ष 7,000 टन बेदाग इस्पात का उत्पादन करने के लिए मद्रास राज्य में एक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। तकनीकी सहयोग तथा अधिकांश उपकरण जापान से प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रायोजना पर कुल 850 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(ग) 284 लाख रुपये के लगभग।

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के दाम

*1536. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में इस बात पर विचार किया था कि भारतीय वस्तुओं की लागत अधिक होने के कारण वे विश्व बाजार में प्रतियोगिता नहीं कर सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन लागत को कम करने के संबंध में बोर्ड ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ग) बोर्ड की बैठक में और क्या-क्या निर्णय किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 30 अप्रैल, 1966 को हुई अपनी 23वीं बैठक में व्यापार बोर्ड ने एक लेख पर विचार किया जिससे यह प्रकट हुआ कि मुख्यत: कच्चे माल की कीमतों और मज़दूरी में वृद्धि होने, क्षमता का अल्प उपयोग होने तथा अन्य सम्बद्ध बातों के कारण भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में अधिकाधिक कमजोर होती जा रही हैं।

(ख) चूंकि लागत को कम करने का प्रश्न जटिल तथा समन्वित स्वरूप का है, अत: बोर्ड ने निर्णय किया कि दिल्ली में शीघ्र ही बुलाये जाने वाले कार्यकेन्द्र (वर्कशाप) के समक्ष यह लेख रखा जाये। यह कार्यकेन्द्र, जिसमें प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, निर्माता और औद्योगिक संगठन, निर्यातक, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि, लागत लेखाकार, विज्ञानविद और सरकारी प्रतिनिधि होंगे, लागत मानकों, सामग्री प्रबन्ध, अनुसन्धान, शिल्प विज्ञान और उत्पादन लागत में शामिल होने वाले अन्य सम्बद्ध तत्वों पर विचार करेगा। कार्यकेन्द्र संस्थागत प्रबन्ध के ढांचे अथवा अधिकारी वर्ग के बारे में भी बोर्ड को सिफारिश करेगा, जिसकी स्थापना इस समस्या को हल करने के लिये की जानी चाहिए।

(ग) 30-4-1965 को हुई व्यापार बोर्ड की 23वीं बैठक से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 6244/66।]**

कांडला अबाध व्यापार क्षेत्र

*1537. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला के अबाध व्यापार क्षेत्र के लिये निर्यात की दृष्टि से कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये ;

(ख) इस अबाध व्यापार क्षेत्र में कितने औद्योगिक कारखानों में उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ग) नये उद्योग स्थापित करने में देरी के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस योजना को सफल बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6245/66।]**

फालतू वैगन क्षमता

*1538. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के पास फालतू वैगन क्षमता है ;

(ख) क्या इससे भारत में वैगनों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो कितना ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कोयला खानों की इन आशंकाओं के बारे में निकले समाचारों की ओर भी गया है कि आगामी कुछ वर्षों में रेलें इस्पात कारखानों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये कोयला नहीं ढो सकेंगी ; और

(ङ) यदि हां, तो इन आशंकाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) यातायात कम आने के कारण 1965-66 के उत्तरार्ध में कुछ मालडिब्बों को बेकार खड़ा रहना पड़ा।

(ख) और (ग) : कुछ हद तक।

(घ) इस तरह की कुछ रिपोर्टें समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुई हैं।

(ङ) यह आशंका निराधार है। इस सदन में, और रेडियो एवं समाचार-पत्रों के ज़रिये यह बात ज़ोर देकर बतायी जा चुकी है कि रेलें कोयले की ढुलाई के लिए माल डिब्बों की सभी मांगें पूरी करने में समर्थ हैं।

नेपाल के साथ व्यापार

*1539. **श्री फिरोदिया :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के समय उनके साथ व्यापार सम्बन्धी सहयोग के बारे में बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : नेपाल के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान, संयुक्त उद्यमों के प्रश्न तथा साथ ही हमारे सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत द्वारा नेपाल को उपभोक्ता माल जैसे मोटर-गाड़ियों, मोटर साइकिलें, स्कूटर, साइकिलें, रेडियो, वस्त्र, सिले-सिलाये कपड़े, अच्छी किस्म की होजरी और अन्य विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के संभरण के प्रश्न पर सामान्य रूप से बातचीत की गई थी। यह बातचीत अगली व्यापार वार्ता में भी जारी रहेगी, जिसके लिये नेपाल महाराज की सरकार को अपना प्रतिनिधि मंडल भारत भेजने के लिये आमन्त्रित किया गया है। अभी तक नेपाल महाराज की सरकार द्वारा इसकी तिथि की कोई सूचना नहीं दी गई है।

विश्व बैंक से ऋण

*1540. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल में लगभग 6 करोड़ 60 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है ;

(ख) इस ऋण की वास्तविक शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस ऋण की राशि किन-किन परियोजनाओं में लगाई जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग) : रेलवे कार्यक्रम के संबंध में मुख्यतः 1966 में आवश्यक विदेशी मुद्रा के भुगतान को पूरा करने के लिए, विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था, इंटरनेशनल डेवेलपमेंट एसोसियेशन से सहायता मांगी गयी है। इस बात की सूचना अभी नहीं मिली है कि कर्ज में ठीक-ठीक कितनी रकम मिलेगी, कर्ज की मियाद और शर्तें क्या होंगी और उससे कौन-कौन सा सामान खरीदा जा सकेगा।

केरल में रेलवे लाइनों के साथ-साथ की भूमि

*4883. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पायंगाड़ी (केरल) रेलवे स्टेशन के निकट की भूमि खेती के लिये दे दी गई है ;

(ख) केरल में रेलवे लाइनों के साथ वाली कितनी एकड़ भूमि बेकार पड़ी हुई है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उस भूमि को खेती के लिये पट्टे पर देने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 171 एकड़।

(ग) जी हां। निकटवर्ती जमीन के मालिकों तथा रेल कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर उन्हें चालू फसल तक रेलवे की जमीन में खेती करने की अनुमति दी जाती है।

खेती के औजारों का निर्माण

4884. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र में खेती के औजार बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

बैलाडिल्ला और विशाखापत्तनम के बीच रेलवे लाइन

4885. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान को लौह-अयस्क भेजने की सुविधा के लिये बैलाडिल्ला और विशाखापत्तनम को मिलाने वाली कौन सी नई रेलवे लाइन बन कर पूरी हो गई है, तथा हाल ही में चालू कर दी गई है ;

(ख) नई रेलवे लाइन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मार्ग का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इसके निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (घ) : विशखापट्टणम् बन्दरगाह से निर्यात के लिए लौह अयस्क की ढुलाई के लिए बेलाडिल्ला से जगदलपुर-जेयपुर और कोरापुट के रास्ते कोट्टावलासा तक (448 कि० मी०) बड़ी लाइन की नयी रेलवे लाइन लगभग पूरी हो चुकी है। इस लाइन पर एन+3 लकड़ी, इस्पात और ढले हुए लोहे के स्लीपरों पर 90 पौंड की पटरियां बिछायी जा रही हैं। इस लाइन पर लगभग 56 करोड 67 लाख रुपये लागत आने का अनुमान है।

सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड

4886. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में सूती वस्त्र सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और इस नये बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके क्या कार्य हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।**[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6246/66 ।]**

वायूदाबी यंत्र (न्यूमैटिक इन्स्ट्रूमेंट) कारखाना

4887. **श्री मनोहरन :**

श्री अ० व० राघवन :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में यांत्रिक द्रवचालित तथा वायुदाबी यंत्र (मैकैनिकल हाइड्रौलिक एंड न्यूमैटिक इंस्ट्रूमेंट) कारखाना स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(ग) अब तक कितनी रकम खर्च की गई है और यह कारखाना कब आरम्भ किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) ज़मीन ले ली गयी है । योजना आयोग ने इस योजना को वार्षिक योजना में शामिल कर लिया है और बजट में अवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है । ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट तकनीकी द्वारा जांची जा चुकी है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा है ।

(ख) अस्थायी अनुमान के अनुसार 7.55 करोड़ रु० ।

(ग) अब तक केवल वही 3.70 लाख रु० व्यय हुए हैं जो ब्योरेवार परियोजना रिपोर्ट की लागत के रूप में मैसर्स प्रोम्मेश एक्स्पोर्ट को दिये गये हैं । आशा है कि यह कारखाना 1968-69 में किसी समय चालू हो जायेगा ।

Railway line from Gadra Road to Munabao

4888. **Shri Tan Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the railway line, which had been closed down from Gadra Road to Munabao on Jodhpur Division of the Northern Railway during Indo-Pakistan Conflict, has not been reopened so far;

(b) whether the residents of that place submitted a memorandum to Government for resuming train service from Gadra Road to Lilma; and

(c) when the passenger traffic on this line would be resumed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) No.

(b) Yes.

(c) As soon as the railway track etc, is repaired and necessary clearance from military authorities as also from Additional Commissioner of Railway Safety, is received, Every effort is being made to expedite it.

Manufacture of Tractors

4889. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether a proposal has been received from the Government of Maharashtra for the setting up of a factory in Maharashtra to manufacture agricultural tractors; and

(b) if so, whether Government have considered the request, keeping in view the urgent necessity of increasing the agricultural production and whether the request has been acceeded to?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) and (b). No proposals for the setting up of a factory for the manfacture of agricultural tractors has been received from the Government of Maharashtra. That Government have, however, requested that the public sector project for the manufacture of agricultural tractors being established by the Government of India should be located in that State. Similar requests have been received from other State Governments also. Government of India have not taken a final decision in the matter.

कोयला सलाहकार परिषद्

4890. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन किया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इस नई समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और इसका कार्यकाल कितना है; और

(ग) इसकी शक्तियां तथा कार्य क्या क्या है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) सब कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों तथा कुछ और कोयला खपत करने वाले राज्यों को शामिल करके परिषद् का संगठन बढ़ा दिया गया है ;

(ख) परिषद् की वर्तमान बनावट विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6247/66।]** मार्च 1966 से दो साल के लिये परिषद् की अवधि और बढ़ा दी गई है।

(ग) परिषद् के कार्य हैं कोयला सम्बन्धी समस्त सामान्य विषयों पर और विशेष रूप से विकास तथा प्रयोग सम्बन्धी समस्याओं की योजना तथा देश में कोयले के संसाधनों की सुरक्षा के विषय में सरकार को मंत्रणा देना।

बिना टिकट यात्रा

4891. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचंद्र उलाका :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में दक्षिण पूर्व रेलवे के किन सैक्शनों पर सबसे अधिक संख्या में यात्री बिना टिकट यात्रा करते पाये गये हैं ; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) हवड़ा-खड़गपुर-रायपुर-कंटाबांजी और बिलासपुर-अनूपपुर सैक्शनों पर।

(ख) उन सैक्शनों पर जांच का काम तेज़ कर दिया गया है। गाड़ियों को अचानक रास्ते में रोक कर अच्छी तरह जांच की जाती है और इस काम में पुलिस से भी सहायता ली जाती है।

दिल्ली के खादी ग्रामोद्योग भवन में चोरी

4892. **श्री लखमू भवानी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1955 से अप्रैल, 1966 तक की अवधि में खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कितनी चोरियां हुई तथा चोरियों में कुल कितनी राशि का माल चुराया गया ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा उसका क्या परिणाम निकला है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) :(क) अप्रैल, 1955 से अप्रैल, 1966 तक की अवधि में हुई चोरियों की कुल संख्या--चार; जितनी राशि का माल चुराया गया—रु० 15,338.10 ।

(ख) मामलों की रिपोर्ट पुलिस को कर दी गई थी जिसने तफतीशें की हैं। किन्तु चोरी गये माल का अब तक पता नहीं चला है ।

Electricity at Railway Stations between Lucknow & Varanasi

4893. Shri Ranabjai Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of railway stations on the main line between Lucknow and Varanasi which have been provided with electricity;

(b) the names of stations on the above-mentioned line where there is electricty in the cities or towns and can be extended to the stations;

(c) whehter there are electricity poles near Amethi station on the above-mentioned line but the Station has not been electrified; and

(d) when Government propose to electrify this station?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 13.

(b) Amethi is the only Railway Station where electricity is available near the city.

(c) Yes.

(d) Amethi station is expected to be electrified on or before 1-9-1966.

माल लाने ले जाने के संबंध में भाड़े में रियायत

4894. श्री राम हरख यादव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभावग्रस्त क्षेत्रों को माल ले जाने के लिये रेलों पर कुछ भाड़ा सम्बन्धी रियायत देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन रियायतों का ब्यौरा क्या है और किन-किन वस्तुओं के बारे में रियायतें दी जायेंगी ; और

(ग) क्या गोबर को बचाने के लिये जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, चारे तथा जलाने वाले कोयले को ले जाने के लिये कुछ विशेष रियायतें देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : कुछ विदेशी सरकारों और स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त वितरण के लिए भारत को दिये गये दूध के पाउडर, विटामिन की गोलियां, दवाइयों और मल्टी-विटामिन बिस्कुटों के परेषणों की, माल उतारे जाने वाले बन्दरगाह से प्रथम गन्तव्य स्थान तक, कोचिंग/माल गाड़ियों द्वारा मुफ्त ढुलाई की व्यवस्था करने के लिए रेल प्रशासन सहमत हो गये हैं। भाड़े में कोई और रियायत देने का विचार नहीं है ।

(ग) राज्य सरकारों के अनुरोध पर चारे की कमी की अवधि में रेल प्रशासन द्वारा चारे की ढुलाई के लिए विशेष रियायती दरें जारी कर दी जाती हैं ।

कोयले के लिए भाड़ा-दर में कोई कमी करने का विचार नहीं है, क्योंकि इसकी वर्तमान दरें पहले से ही बहुत कम हैं ।

केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन

4895. श्री अ० व० राघवन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन में कुल कितने राजपत्रित तथा अराजपत्रित तकनीकी पदाधिकारी हैं ;

(ख) प्रत्येक राज्य में ऐसे पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या प्रादेशिक व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और यदि हां, तो क्या राजपत्रित पदाधिकारी बड़ी संख्या में अब भी कार्यालयों में हैं ; और

(घ) क्या कुछ राज्यों में पदाधिकारियों की कमी के कारण उन राज्यों में लघु उद्योगों के विकास की गति में शिथिलता आ गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) :

	तकनीकी राजपत्रित पदाधिकारियो की संख्या	तकनीकी अराजपत्रित पदाधिकारियों की संख्या
	286	319
लघु उद्योग सेवा संस्थान तथा विस्तार केन्द्र		
अहमदाबाद	11	14
बंगलौर	12	14
बम्बई	18	24
कलकत्ता	27	28
कटक	8	6
नई दिल्ली]	35	32
गौहाटी	4	13
हैदराबाद	14	15
इन्दौर	10	14
जयपुर	12	13
कानपुर	25	26
लुधियाना	16	24
मद्रास	26	35
पटना	7	14
श्रीनगर	5	2
त्रिचुर	19	31
गोआ	5	4
प्रधान कार्यालय	30	10
जोड़	286	319

कर्मचारियों की ऊपर लिखी संख्या प्रत्येक संस्थान के लिए निश्चित है, लेकिन संस्थानों की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन किये जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ पद अभी रिक्त भी हैं ; इन पदों को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इन रिक्त स्थानों के लिए लोगों के मिलते ही संस्थानों की आवश्यकतानुसार उनको संस्थानों में नियुक्त कर दिया जायेगा।

(ग) प्रादेशिक संगठन के स्थान पर राज्यवार व्यवस्था 1959 में लागू की गई थी। उस समय तक प्रत्येक राज्य में एक सम्पूर्ण संस्थान की स्थापना की जा चुकी थी जिसका अध्यक्ष एक निदेशक होता है जिसके नीचे तकनीकी कर्मचारी होते हैं। कार्यालयों में राजपत्रित अधिकारियों का कोई जमाव नहीं है क्योंकि आमतौर पर इनको विस्तार-केन्द्रों में रखा जाता है जिनकी संख्या 60 से ऊपर है।

(घ) देश में लघु उद्योगों के विकास की समस्याएं इतनी अधिक हैं कि तकनीकी कर्मचारियों की किसी भी संख्या को बहुत अधिक नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार संतुलित प्रादेशिक विकास के लिए प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य को निगाह में रखते हुए प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों प्रकार के तकनीकी कर्मचारी राज्यों में रख गये हैं। उद्योगों का विकास अनेक बातों पर आधारित है जिसमें तकनीकी सहायता का प्रबन्ध भी शामिल है और इसीलिये यह कहना सही नहीं होगा कि पदाधिकारियों की कमी होने के कारण किसी राज्य में विकास की गति धीमी हो गई है।

कागज के रिम

4896. **श्री जेधे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रिम में कागज के 500 पन्ने (शीट) होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हर रिम में 20 दस्ते होते हैं लेकिन हर दस्ते में केवल 24 पन्ने होते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस भिन्नता के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां। जैसी कि भारतीय मानक संस्था द्वारा प्रतिमानित की गयी है।

(ख) पुरानी ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार पहले 24 तख्तों के दस्ते और 20 दस्ते की रीम का प्रचलन था।

(ग) पुरानी ब्रिटिश प्रणाली अब समाप्त की जा रही है। कुछ खुदरा व्यापारी ऐसे हो सकते हैं जो अब भी प्राचीन प्रणाली का पालन करते हों।

(घ) चूंकि बाट एवं पैमाना मानक अधिनियम, 1956 केवल बाट एवं पैमानों पर लागू होता है न कि संख्याओं पर, अतः खुदरा व्यापार में 500 तख्तों की रीम के कठोरता पूर्वक प्रवर्तन कराने के लिये कानूनी कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। सरकार 500 तख्तों की रीम को अपनाने की वांछनीयता के सम्बन्ध में व्यापारियों को केवल प्रभावित कर सकती है।

रेलगाड़ियों के डिब्बों में साइक्लोस्टाइल्ड इश्तहार

4897. **श्री जेधे** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों के डिब्बों में विभिन्न भाषाओं में लगाये गये साइक्लोस्टाइल्ड इश्तहार ठीक-ठीक पढ़े नहीं जा सकते क्योंकि प्रत्येक अक्षर तीन चार जगह कटा हुआ होता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के दोषपूर्ण स्टेंसिलिंग के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल गाड़ियों के डिब्बों में साइक्लोस्टाइल्ड इश्तहार नहीं लगाये जाते।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता। शीशे के चौखटों में छपे हुए इश्तहार, तूरे अक्षरों में पेंट किये हुए इश्तहार और स्टेंसिल अक्षरों में कुछ इश्तहार उपयुक्त ढंग से लगाये जाते हैं और इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है कि वे पढ़ने में आते हों।

Railway Bridge at Bakhtiarpur

4898. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the construction of a bridge at Bakhtiarpur station on the Eastern Railway has been completed;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) when the bridge is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No.

(b) Delay was due to late receipt of formal approval to the Plans and Estimates from the State Government. Revised Estimate has been prepared and will be sanctioned shortly.

(c) It is expected to be completed during 1967-68 subject to the funds being made available by the State Government towards their share of the cost.

रेलवे कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

4899. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आरा-ससराम तथा फुतवा-इस्लामपुर लाइट रेलवे के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है ;

(ख) क्या सेवा ठेके के आधार पर 64 के बाद उन्हें कोई बोनस नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या नियोजक 14 अक्तूबर, 65 के त्रिपक्षीय करार का भी उल्लंघन कर रहे हैं ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर 'हां' में हो, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) ये सरकारी रेलें नहीं हैं। मैनेजिंग एजन्टों ने जो सूचना दी है, उसके अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है। लेकिन महंगाई भत्ता कितना दिया जाय, यह प्रश्न इस समय एक श्रम-न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा कर्मचारियों को अंतरिम बोनस देने की पेशकश की गयी है।

(ग) सरकार को सूचना मिली है कि 14 अक्टूबर, 1965 को कोई त्रिपक्षीय समझौता नहीं हुआ।

(घ) सवाल नहीं उठता।

नारियल का निर्यात

4900. श्री वै० तेवर : क्या **वाणिज्य** मंत्री 5 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को देखते हुए कि पिछले एक वर्ष में नारियल, खोपरा और नारियल के तेल के मूल्य कम हो गये हैं, क्या इन वस्तुओं का विदेशों को निर्यात करने के लिये नारियल उत्पादकों को सहकारी आधार पर लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) उन देशों के क्या नाम है जहां इन वस्तुओं की मांग अधिक है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) खोपरा और नारियल के तेल का आयात करने वाले प्रमुख देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, भारत, फ्रांस, स्वीडन और नारवे हैं।

रेलवे में कल्याण निरीक्षक

4901. श्री सेझियान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में खेलकूद तथा सहकारी कार्य के निरीक्षकों के नि:संवर्ग पदों (एक्सकेडर पोस्ट्स) के अतिरिक्त कल्याण निरीक्षकों के कुल कितने पद हैं ;

(ख) 450—575 रुपये (ए० एस०) तथा 370—475 रुपये (ए० एस०) के वेतन-क्रम में कितने कल्याण निरीक्षक हैं तथा उनकी संख्या कुल संख्या का कितना प्रतिशत हैं ;

(ग) प्रत्येक जोनल रेलवे में ऊंचे पदक्रमों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या है ; और

(घ) क्या रेलव बोर्ड में कल्याण निरीक्षकों का संवर्ग निर्धारित करने के लिए भी यही सिद्धान्त अपनाया जाता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 627।

(ख) 21 (3.4%)।

(ग) कार्यभार के महत्व के आधार पर 5% तक।

(घ) जी नहीं।

सहायक सेविवर्गाधिकारी (असिस्टेंट पर्सनल आफिसर्स) तथा सहायक कल्याण अधिकारी

4902. श्री सेझियान : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे के सेविवर्ग विभाग में जोनवार मुख्य सेविवर्गाधिकारियों से सहायक सेविवर्गाधिकारियों तक के कितने पद हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कल्याण सेविवर्ग-निरीक्षकों की पदोन्नति इंजीनियरी चार्जमनों, निरीक्षकों, यातायात निरीक्षकों, वाणिज्यिक निरीक्षकों, लेखापालों तथा स्टाक सल्पापकों (वेरिफ़ायर्स) के साथ, जो सेविवर्ग-विभाग में कार्य नहीं करते हैं, की जाती हैं ; और

(ग) क्या रेलवे बोर्ड का सहायक सेविवर्गाधिकारियों/।सहायक कल्याण-अधिकारियों के पदों पर केवल सेविवर्ग विभाग के कर्मचारियों की ही पदोन्नति करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग): विभिन्न रेलों के प्रत्येक ज़ोन के कार्मिक विभाग के अधिकारियों के पदों की संख्या संलग्न विवरण में दी हुई है जिसमें मुख्य कार्मिक अधिकारी से सहायक अधिकारी तक के पद दिखाये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये सख्या एल०टी० 6248/66।]**

दक्षिण पूर्व रेलवे के स्टेशनों का स्वरूप परिवर्तन (रिमाडलिंग)

4903. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा सैक्शन के सभी स्टेंशनो के स्वरूप परिवर्तन (रिमाडलिंग) का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो यह काम कब पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या उन स्टेशनों पर मिट्टी का काम करने के लिये खेती वाली भूमि अर्जित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो स्टेशनों के अहातों को ऊंचा करने के लिये मिट्टी कहां से ली गई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) हवड़ा-खड़गपुर सेक्शन के सभी स्टेशन यार्डों के ढांचों में परिवर्तन करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) आशा है यह काम दिसम्बर, 1967 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) मिट्टी सम्बन्धी काम के लिए खेती की कोई ज़मीन नहीं ली गयी। सड़क के मार्ग-परिवर्तन और अतिरिक्त लाइनों के लिए आंडुल में 0.34 एकड़ और बाउरिया में 2.62 एकड़ ज़मीन ली गयी।

(घ) अधिकतर मिट्टी रेलवे परिसीमा से बाहर बंजर और खेती योग्य ज़मीन से ली गयी, जिसका प्रबन्ध ठेकेदारों ने स्वयं किया था। लेकिन कुछ जगहों पर जहां रेलवे की पर्याप्त ज़मीन उपलब्ध थी, रेलवे की मौजूदा ज़मीन से ही मिट्टी ली गयी।

उत्तर प्रदेश में हथकरघा उद्योगों का विकास

4904. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश में हथकरघे की वस्तुओं का कुल कितना उत्पादन किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में कुल कितने धागे की खपत हुई ; और

(ग) 1965-66 में हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को कुल कितनी धनराशि दी गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 4652 लाख मीटर।

(ख) 321 लाख कि० ग्रा०।

(ग) 8.73 लाख रु०।

उत्तर प्रदेश के लिये नालीदार जस्ती चादरें

4905. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उत्तर प्रदेश को नालीदार जस्ती चादरों की कितनी आवश्यकता थी ;

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य के लिये कितनी ऐसी चादरें नियत की गई ; और

(ग) 1965-66 में उस राज्य को वास्तव में कितनी ऐसी चादरें दी गई ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 25,940 टन।

(ख) प्रमुख उत्पादकों के पास पिछले बहुत आर्डर होने के कारण, 1965-66 में "स्टेट्स पूल्ड कोटे" के अन्तर्गत सामान्यत: किसी भी राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का कोई आवंटन नहीं किया गया, फिर भी कृषि तथा लघु उद्योग के लिए विशेष कोटे के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को 1358 टन नालीदार जस्ती चादरें नियत की गई थी।

(ग) 1965-66 में (अक्तूबर, 1965 तक) देश के उत्पादन में से 5,214 टन के लगभग नालीदार जस्ती चादर का प्रेषण किया गया। अक्तूबर 1965 के बाद के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश को अविकारी इस्पात (स्टैनलैस स्टील) की आवश्यकता

4906. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उत्तर प्रदेश को अविकारी इस्पात (स्टेनलैस स्टील) की कितनी आवश्यकता थी ; और

(ख) वर्ष 1965-66 में उस राज्य के लिये वास्तव में कितना अविकारी इस्पात नियत किया गया ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्री० ना० सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के अनुसार उनकी 1965-66 के वर्ष के लिए बेदाग इस्पात की आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं :—

बेदाग इस्पात की चादरें .	1400 टन
बेदाग इस्पात के छड़	430 टन

चूंकि साधारणत: यह मांग बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाई गई है अत: ऐसा अनुमान है कि वास्तविक आवश्यकताएं काफी कम है।

(ख) 1965-66 में किसी भी राज्य को बर्तन बनाने के लिए बेदाग इस्पात नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश को वास्तविक उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए सभी प्रकार के इस्पात का आयात करने के लिए 13.11 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा दी गई (इसमें बेदाग इस्पात भी शामिल है) राज्य सरकार ने बर्तन निर्माताओं के अलावा अन्य उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए इसमें से केवल 6,435 रुपये के मूल्य का बेदाग इस्पात का आयात करने के लिए सिफारिश की थी तदनुसार आयात लाइसेंस दे दिये गये हैं।

चीराफाड़ी (सर्जिकल) के औजारों के लिये विशेष इस्पात

4907. श्री कोल्ला वेंकेय्या :

श्री म० ना० स्वामी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्ही गैर-सरकारी भारतीय फर्मों को विशेष किस्म का इस्पात बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं जिसकी चीराफाड़ी के औज़ार बनाने के लिये आवश्यकता होती है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) ये लाइसेंस कितनी फर्मों को दिये गये हैं ;

(घ) इन फर्मों द्वारा इन योजनाओं की कार्यान्विति में देरी किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) उस इस्पात के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1955, 1957 और 1959 में कुछ इकाइयों को लाइसेंस दिए गए थे। इस अवधि में जो शेष रह गई थीं उनकी 1960 और उससे आगे से।

(ग) 21।

(घ) और (ङ) : मिश्र तथा विशेष इस्पात की योजनाओं की क्रियान्विति में देरी होने के मुख्य कारण हैं उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई तथा विदेशी मुद्रा की कमी। लाइसेंस की गई योजनाओं की प्रगति पर लगातार नज़र रखी जाती है और जहां कहीं सन्तोषजनक प्रगति नहीं होती वहां समय समय पर योजनाएं रद्द भी कर दी जाती हैं।

निर्यात प्रोत्साहन योजना

4908. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन फर्मों के मामलों की जांच की है जिन्होंने 1964-65 और 1965-66 में निर्यात प्रोत्साहन योजना के नियमों का तथा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन किया ; और

(ख) सम्बन्धित फर्मों के विरुद्ध सरकार तथा रिज़र्व बैंक द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) उन पार्टियों को, जिन्होंने निर्यात संवर्धन योजनाओं के नियमों का उल्लंघन किया था, की यह आदेश दिया गया था कि वे यह बतायें कि आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 और निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1962 के उपबन्धों के अधीन उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई क्यों न की जाये। उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर यथोचित विचार करने के पश्चात प्रत्येक मामले की योग्यता के अनुसार ये निर्णय किये गये थे कि क्या दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया जाय अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों/फर्मों को विशिष्ट अवधियों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाय और इसके अलावा आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5 के अधीन अभियोग चलाने के लिये उन मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया जाय। जो पार्टियां आयात व्यापार नियंत्रण/निर्यात व्यापार नियंत्रण संबंधी नियमों के अधीन अपराधी पायी गयी, उनका नाम निर्यात संवधन योजनाओं में भाग लेने वालों के रजिस्टर से भी काट दिया गया है। अतिदेय निर्यात आमदनी के बारे में विदेशी मुद्रा की वसूली का न होना भी आयात व्यापार नियंत्रण/निर्यात व्यापार नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन है और सरकार ने उपर्युक्त तरीके के अनुसार कार्रवाही की है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उन निर्यातकों के विरुद्ध भी इसी प्रकार की कार्रवाई की है जिन्होंने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन नियत अवधि के भीतर निर्यात आमदनी वसूल नहीं की है।

यहां यह ध्यान देने योग्य है कि निर्यातकों की भारी संख्या और निर्यात के विशाल परिमाण की तुलना में अपराध के ऐसे मामलों की संख्या थोड़ी ही है।

हावड़ा स्टेशन पर टिकट घर (बुकिंग आफिस)

4909. श्री सुबोध हंसदा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे ने हावड़ा स्टेशन पर एक नया प्लेटफार्म टिकट घर (बुकिंग आफिस) बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितना व्यय हुआ ; और

(ग) क्या यह निर्माण विभाग द्वारा किया गया था अथवा ठेकेदार द्वारा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं। लेकिन हावड़ा स्टेशन के "प्लैटफार्म-कम-केब रोड टिकट बूथ" के स्थान पर लगभग 16,000 रु० की लागत से एक लम्बा-चौड़ा बूथ बनाया गया है। इस बूथ का निर्माण एक ठेकेदार से कराया गया है।

News print and Paper-pulp Factory in North Bihar

4910. Shri Lahtan Chaudhary : Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a team of paper industry experts of America toured Bihar State recently with a view to examine the possibilities of setting up a newsprint and paper-pulp factory in North Bihar; and

(b) if so, the main features of the report submitted by the said team and the reaction of the Government thereto?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya): (a) No team of paper industry experts of America as such, visited Bihar. However, a team of experts from M/s. Simon Handling Engineers of U.K. and M/s. Cia Industrial de San Cristobal of Mexico came to this Country and visited some places in various States including Bihar.

(b) A report from the above team in awaited.

ब्रह्मपुर में फ्लैग स्टेशन

4911. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा बांध पूरा हो गया है और पंजाब सरकार को अपने प्रयोग के लिये रोपड़-नंगल बांध रेलवे लाइन की आवश्यकता नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रोपड़ से नंगल बांध वाली रेलवे लाइन से लाभ हो रहा है और नंगल बांध स्टेशन से लगभग 10 से 12 लाख रुपये तक मासिक आय होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण है कि रेलवे प्रशासन रोपड़-नंगल बांध सैक्शन पर नंगल बांध और भानुपाली के बीच ब्रह्मपुर में एक फ्लैग स्टेशन बनाने के लिये सहमत नहीं है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। भाखड़ा बांध के निर्माण कार्य के कुछ भाग, अर्थात् राइट बैंक पावर प्लांट में अभी काम हो रहा है।

(ख) रोपड़-नंगल डैम खण्ड घाटे में चल रहा है।

(ग) इस क्षेत्र के नवीनतम विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुर में एक फ्लैग स्टेशन खोलने के सवाल पर फिर से विचार किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

4912. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री महेश्वर नायक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की क्षमता का अप्रयोग बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) 1965 के अन्त में जो 18 एकक पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन कर रहे थे उनमें से बाद में 10 एककों ने अपने उत्पादन स्तर में सुधार की सूचना दी है।

(ख) बाकी 8 एकक इस प्रकार है।

(1) हिन्दुस्तान स्टील का राउरकेला फर्टिलाइजर प्लांट।

(2) हिन्दुस्तान स्टील का राउरकेला पाइप प्लांट।

(3) नेशनल कोल डैवल्पमेंट कारपोरेशन।

(4) फर्टिलाइजर कारपोरेशन के नागल एकक का भारी पानी का कारखाना।

(5) हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स का एलवाय का एकक।

(6) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का घड़ियों का कारखाना।

(7) हिन्दुस्तान साल्ट्स।

(8) खनन तथा सम्बंधित मशीनी निगम।

(ग) हर एक उपक्रम की समस्याओं का समाधान करके उत्पादन बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

Gang of bad Characters operating in Trains on the Western Railway

4913. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Daji :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a gang of bad characters travels between Gangapur and Bhawani Mandi stations in Up and Down parcel trains running between Mathura and Baroda and loots the passengers by displaying playing cards tricks and slips away after manhandling the persons who resist;

(b) whether it is also a fact that Railway Police and railway authorities are aware of the existence of this gang; and

(c) if so, the steps taken against those bad elements, the Railway Police and the Railway authorities?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhagh Singh): (a) & (b). The correct position is that on receipt of complaints from some Members of Parliament addressed to the Western Railway Administration about gambling in local trains in Ratlam-Mandsaur, Kota-Mahidpur and, Nagda-Baroda Sections, the matter was enquired into and five ring-leaders of a gang operating in the Division were arrested and chargesheeted in October, 1965.

(c) After the strong action taken by the Police, there have been no further complaints. As a preventive measure, the Govt. Railway Police are also escorting all day and night trains in the affected sector.

चाय उद्योग की लाभ देयता

4914. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि जब सभी उद्योगों में शुद्ध मूल्य पर कर के बाद लाभ का प्रतिशत 1960-61 में 10.9 से घटकर 1963-64 में 9.3 हो गया था तब चाय उद्योग के शुद्ध मूल्य में कर के बाद लाभ का प्रतिशत 1960-61 में 9 से घटकर 4.9 हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो अन्य उद्योगों की तुलना में चाय उद्योग की लाभ देयता में तीव्र ह्रास होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) अन्य उद्योगों की तुलना में चाय उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य उद्योगों की तुलना में चाय उद्योग की लाभदायकता में गिरावट होने के कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कुल बिक्री दर (उद्योग में लगी पूंजी की तुलना में बिक्री का कम होना ;

(2) वर्ष प्रतिवर्ष उत्पादन में घट-बढ़ होना ; और

(3) उत्पादन लागत में वृद्धि होना ।

(ग) सभी कम्पनियों की औसतों से चाय उद्योग के कार्य की तुलना करने से कोई व्यक्ति न तो सार्थक निष्कर्ष पर ही पहुंच सकेगा और न ही चाय बागानों और सभी कम्पनियों के बीच शुद्ध मूल्य पर कर के बाद लाभ की दर में समता रखने के लिये कोई कारगर कदम ही उठाया जा जा सकता है। फिर भी चाय उद्योग को और अधिक उत्पादन करने में सहायता देने के लिये राजकोषीय सहायता के रूप में निम्न उपाय किये गये हैं :—

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की 5 वीं अनुसूची के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले उद्योगों से संबंधित वस्तुओं और उत्पादों की सूची में चाय को 1-4-1966 से शामिल कर लेने का प्रस्ताव है।

(2) आयकर अधिनियम की धारा 33-ए के अधीन विकास भत्ते की दर को नये बागानों में चाय के पौधे लगाने की वास्तविक लागत के बारे में 40 प्रतिशत के वर्तमान परिमाण से बढ़ाकर 50 प्रतिशत और पहले से ही खेती के अन्तर्गत आये हुये क्षेत्र में चाय के पुनः पौधे लगाने के लिये 20 प्रतिशत के वर्तमान परिमाण से 30 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव है। साथ ही ऐसे भी व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है कि विकास भत्ता दो चरणों में दिया जायगा। पहला और दूसरा चरण वास्तविकरूप से पौधे लगाने अथवा पुनः पौधे लगाये जाने के क्रमशः दो वर्ष और चार वर्ष के पश्चात होगा।

(3) नये पौधे लगाने तथा क्षेत्रों का विस्तार करने और किराया खरीद योजना के अधीन कारखानों के लिये मशीनें तथा सिंचाई की सुविधाएं देने के लिये सरकार चाय कम्पनियों को अनुकूल शर्तों पर ऋण के रूप में धन दे रही है।

(4) कर उधार प्रमाण-पत्र योजना के अधीन कर उधार के रूप में निर्यात के लिये निम्न दरों पर सहायता दी जाती है :—

(क) सभी प्रकार की चाय 2 प्र० श०।

(ख) हरी चाय और पैकट बन्द चाय 5 प्र० श०।

आसाम में पर्ती लकड़ी (प्लाईवुड) उद्योग

4915. श्री रा० बरुआ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पर्ती लकड़ी उद्योग के विकास की कितनी संभावना है और अब तक इसने कितनी प्रगति की है ;

(ख) राज्य में वनोन्मूलन किये बिना जंगलों से इमारती लकड़ी के पेड़ों की सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या इमारत बनाने के कामों तथा राज्य की अन्य आवश्यकताओं के लिये उचित मुल्य पर इमारती लकड़ी की सप्लाई के संसाधनों का पता लगाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिक तरीके अपनाकर इमारती लकड़ी को उपयोग योग्य बना कर इमारत बनाने के कामों के लिये घटिया किस्म की इमारती लकड़ी का बेहतर उपयोग करवाने का है और यदि हां, तो इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि आसाम भुकम्प-कटिबन्ध में स्थित है और आसामी किस्म के मकानों के निर्माण में इमारती लकड़ी का बहुत इस्तेमाल किया जाता है, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) आसाम राज्य एक तो वनों की दृष्टि से काफी समृद्ध है दूसरे चाय बागानों में चाय की पैकिंग के लिए बड़ी मात्रा में परती लकड़ी की आवश्यकता होने

के कारण आसाम राज्य में परती लकड़ी के उद्योग के विकास की बड़ी संभावना है, पिछले पांच वर्षों में आसाम में परती लकड़ी का उत्पादन बढ़ा है और इस समय देश में कुल जितनी परती लकड़ी बनायी जाती है उसकी 50 प्रतिशत केवल इसी राज्य में तैयार होती है। 1965 में आसाम में कुल 114.7 लाख वर्ग मीटर परती लकड़ी का वास्तविक उत्पादन हुआ।

(ख) मेरा ख्याल है कि यदि यह प्रश्न खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से पूछा जाये तो अधिक उपयुक्त होगा।

(ग) इस बात का पता लगाने के लिए तो आसाम सरकार ने कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया प्रतीत होता है कि इमारतों और निर्माण कार्यों में काम आने वाली कितनी लकड़ी उपलब्ध हो सकेगी। हां, योजना आयोग ने पूरे देश भर में इमारती लकड़ी की उत्पादन क्षमता का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया है और यह संभव है की यह दल इस आशय का सुझाव दे कि इस बात का पता लगाने के लिए आसाम के वनों की बाकायदा जांच करायी जाये कि उनका मौजूदा उत्पादन कितना है और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है।

(घ) वन गवेषणा संस्था में किये गये अनुसंधान से यह सिद्ध हो गया है कि प्राकृतिक रूप से टिकाऊ लकड़ियों के अलावा, जो बहुत कम मिलती है आसाम के बारहमासी वनों में पायी जाने वाली अनेक किस्मों की लकड़ी सिझाने और परिक्षण-क्रिया के बाद निर्माण कार्यों में काम में लायी जा सकती है। निर्माण कार्यों में घटिया किस्म की इमारती लकड़ी के उपयोग को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (नेशनल बिल्डिंग्स आर्गनाइजेशन) ने अन्य राज्यों के साथ साथ आसाम राज्य को भी एक टिप्पणी भेजकर उसकी सम्मतियां मांगी हैं।

पंजाब में हस्तशिल्प उद्योग

4916. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 तथा 1966-67 में अब तक पंजाब सरकार को राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के विकास के लिये कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1965-66 :

	रु०
अनुदान	3,59,000
ऋण	1,21,000
योग .	4,80,000

1966-67 :

केन्द्रीय सहायता का परिमाण अब भी विचाराधीन है।

(ख) राज्य सरकार से अब तक ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं।

Export of Indian Films

4917. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Indian and Hollywood films are facing tough competition with each other in Africa and are in great demand there; and

(b) if so, the steps taken to promote the export of our film to other countries

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) Apart from setting up of Indian Motion Pictures Exports Corporation Limited to look after the export promotion of Indian films, the other more important steps taken are the holding of Film Weeks and Film Festivals in foreign countries, sending out film delegations and grant of licences for the import of raw stock, studio equipment, photographic chemicals etc. to the exporters under the Export Promotion Scheme for Cinematographic Films Exposed (black and white).

केन्या के साथ व्यापार समझौता

4918. **श्री फिरोडिया :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्या की सरकार के साथ एक व्यापार करार किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्या सरकार के प्रतिनिधि मंडल के कब नई दिल्ली आने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां। गत वर्ष जब मैं केन्या गया था तो व्यापार करार के मसौदों की अदला बदली की गयी थी। गत मास केन्या से एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल के भारत के दौरे पर आने की आशा थी जिससे विचार विमर्श को अंतिम रूप दिया जा सके और दोनों सरकारों के मध्य करार पर हस्ताक्षर किये जा सकें। परन्तु प्रतिनिधिमण्डल का दौरा स्थगित कर दिया गया और अब उस की नई तारीख की प्रतीक्षा की जा रही है।

गन्दे घने बाल और चमड़ी सफाई सम्बन्धी (फैल मोंगरिंग) उद्योग

4919. **श्री फिरोडिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1965 में हुई भारत-आस्ट्रेलिया वार्ता के फलस्वरुप भारत में एक गन्दे घने बाल और चमड़ी सफाई सम्बन्धी (फैल मोंगरिंग) उद्योग स्थापित करने के लिये कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार एवं आस्ट्रेलिया सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य आर्थिक सहयोग और सम्बद्ध मामलों पर नवम्बर, 1963 में हुई वार्ता के प्रथम दौर में, भारत में गन्दे बाल तथा चमड़ा सफाई उद्योग की स्थापना के बारे में विचार किया गया था। अक्तूबर, 1965 में हुई भारत-आस्ट्रेलिया वर्ता में भी इस विषय पर विचार हुआ था। उद्योग तथा आस्ट्रेलिया सरकार की सलाह से इस मामले पर अब भी विचार हो रहा है।

भावनगर डिवीजन के भूतपूर्व लेखा लिपिक द्वारा भूख हड़ताल

4920. **श्री मधु लिमये :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बाल्मीकी :
श्रीमती गंगा देवी :
श्री ना० नि० पटेल :
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती बसंत कुंवर बा :

श्री बडे :
डॉ० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री सोलंकी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्री याज्ञिक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के किसी कर्मचारी, जिसने भावनगर (गुजरात) में नगरपालिका का चुनाव लड़ा था, के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों से उन्हें 1959 से 1965 की अवधि के दौरान पत्र तथा अथवा अभ्यावेदन दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन अभ्यावेदनों की मुख्य बातें क्या हैं वे किस प्रकार के थे ;

(ग) क्या सरकार ने इन अभ्यावेदनों में उल्लिखित मामले पर विचार किया है और संसद सदस्योंको व्यक्तिगत रूप से प्रत्युत्तर दे दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रत्युत्तरों में क्या लिखा गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदनों का सारांश यह है कि श्री एम० टी० पारिख को चुनाव लड़ने के लिये छुट्टी दी गयी थी और उससे उन्होंने यह समझा कि उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गयी है और जिस पत्र में उन्हें अनुमति देने से इंकार किया गया था वह पत्र उन्हें चुनाव के बाद मिला।

(ग) जी हां, और सामान्यतया उत्तर दे दिये गये हैं।

(घ) उत्तर में लिखा गया कि नगरपालिका का चुनाव लड़ने की अनुमति देने के लिए श्री पारिख ने जो प्रार्थना की थी उसे मंजूर नहीं किया गया और श्री पारिख को तदनुसार सूचित कर दिया गया। यद्यपि श्री पारिख ने अपनी प्रार्थना की नामंजूरी की सूचना मिलने की बात मान ली, लकीन उन्होंने उम्मीदवारी से अपना नाम वापस नहीं लिया। चुनाव के बाद उनसे कहा गया कि व सदस्यता से त्यागपत्र दे दें लेकिन उन्होने उसे भी ठाल दिया। चूंकि उनसे इस्तीफा दिलाने की बारबार की गयी कोशिश निष्फल रही, इसलिए उनके विरुद्ध अनुशासन की कार्रवाई की गयी, जिसके फलस्वरुप उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। उनको हटाने के आदेश पर पुनर्विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

Paper Mill in Hoshiarpur

4921. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Yudhvir Singh :
Dr. L. M. Singhvi : Shri Bade :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a paper factory which was proposed to be set up at Kirtpur in District Hoshiarpur, is now proposed to be set up at some other place in Himachal Pradesh ;

(b) if so, when the construction work would be completed;

(c) the details of the material that will be imported for the factory; and

(d) the extent of gain that would accrue to the country annually by the setting up of that factory?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya): (a) to (d). Attention of Hon'ble Member is invited to the Unstarred Question No. 4210 answered on 22-4-66. Since then there has been no change in the position.

Fire in Loco Shed Store at Allahabad

4922. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Yashpal Singh
Shri Bade :
Shri Kindar Lal :
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that goods worth thousands of rupees were burnt in the Loco Shed Store of the Northern Railway at Allahabad on the 14th April, 1966 ;

(b) if so, the cause of the fire ;

(c) whether an enquiry has been conducted; and

(d) If so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is a fact that a fire did break out in the cotton waste godown of Loco Shed, Allahabad, on 12-4-66 and not on 14-4-66.

(b), (c) & (d). The cause of the fire can be known only after completion of enquiries by the Enquiry Committee appointed for the purpose; who have not yet submitted their findings.

Closure of Railway Line during Indo-Pak. Conflict

4923. Shri Onkar Lal Berwa :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yudhvir Singh :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of the railway lines which were closed during the Indo-Pak. Conflict ;

(b) whether they have been reopened ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). Consequent on the outbreak of hostilities between India and Pakistan, Valtoha-Khemkaran and Gadra Road-Munabao sections of Northern Railway and Bangaon-Petrapol sectior of Eastern Railway were closed to traffic. Of these sections, only Valtoha-Khemkaran section has been opened for traffic with effect from 9-4-1966.

पश्चिम जर्मनी में एक पाइप-लाइन की वैल्डिंग करने का ठेका

4924. **श्री रा० बरुआ :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि एक भारतीय फर्म को पश्चिमी जर्मनी एक फर्म से फ्रैंकफर्ट से माईज तक पाइप लाइन की वैल्डिंग करने का ठेका मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी और फर्मों को इसी प्रकार के आदेश प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन देने का विचार है, ताकि विदेशी मुद्रा कमाई जा सके ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। मे० डोडसल प्रा० लि०, बम्बई ने मे० मानेसमान डुसेलडार्फ, प० जर्मनी के साथ एक संविदा किया है जिसके अधीन मे० डोडसल फ्रैंकफर्ट से माइंज तक लगभग 120 कि० मी० की दूरी में 20 इंच प्रोडक्ट पाइप लाइन के वैल्डिंग करने का पूरा काम करेंगे।

(ख) जी, हां।

आसाम में सीमेंट कारखाना

4925. श्री रा० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सीमेंट निगम/सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का, जिसके लिये बोकाजन एक उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया था, कुछ भी कार्य आरम्भ न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सीमेंट कारखाने की कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और उसमें कब से उत्पादन कार्य आरम्भ होने लगेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) से (ग) : चेरापूंजी में जून 1966 तक 250 मी० टन प्रतिदिन की क्षमता वाले एक सीमेंट के कारखाने में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की संभावना है। आसाम सरकार का इस एकक के उत्पादन को 500 मी० टन प्रति-दिन तक बढ़ाने का सुझाव है। इस विस्तार के लिए उन्होंने आशय पत्र जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजा है और इस पर विचार किया जा रहा है। जहां तक बोकाजन का सम्बन्ध है सीमेंट निगम आसाम सरकार के साथ निरंतर सम्पर्क बनाये हुए है। आसाम के मिकिर पहाड़ी क्षेत्र में चूने के पत्थर के सर्वेक्षण के नक्शों और खुदाई के द्वारा विस्तृत जांच का कार्य राज्य के भूगर्भीय और खान निदेशालय द्वारा किया जा रहा है। कुल 448.10 मीटर के क्षेत्र में दस जगह खुदाई की गई है। नमूनों की अन्दरुनी जांच का काम कार्य क्षेत्र की प्रयोगशाला में किया जाता है। सीमेंट का कारखाना लगाने का फसला पूरी जांच हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

विदेशों में व्यापार आयुक्त

4926. डा० श्री निवासन : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे देश भी हैं जहां भारत ने अपने व्यापार आयुक्त नहीं नियुक्त किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा उन देशों में व्यापार आयुक्त नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : कुछ देश ऐसे हैं, जहां भारत ने अभी तक व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किये हैं। जिन देशों में भारत के व्यापार प्रतिनिधि हैं तथा जहां पर वाणिज्यिक कार्य की देख-भाल भारत के राजनयिक मिशनों द्वारा की जाती है, उनके नाम वाली दो सूचियां संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 6249/66।]** व्यापार परिमाण, व्यापार सम्भावनाओं, हमारे सीमित विदेशी मुद्रा के साधनों तथा अन्य राजनैतिक आर्थिक कारणों से अन्य देशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधि नियुक्त करना व्यावहारिक दृष्टि से अभी तक उपयुक्त नहीं समझा गया है।

भारत उत्पादिता वर्ष

4928. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत उत्पादिता वर्ष 1966 का अब तक क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : संलग्न विवरण में जानकारी दी जा रही है। **[पुस्तकालय में रखा गई । देखिये संख्या एल० टी० 6250/66 ।]**

आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्क

4929. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : का यह सच है कि पश्चिम रेलवे में ग्रेड 150–240 रु० में आरक्षण तथा पूछताछ क्लर्क तथा ग्रेड 110–180 रु० में तीसरी श्रेणी के भोजन व्यवस्था कर्मचारियों के पदों के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव 1965 में किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम घोषित कर दिये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है और इस मामले में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

तालाण्डू स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर प्रदर्शन

4930. **श्री पन्नालाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालाण्डू स्टेशन पर कुछ यात्रियों द्वारा रेल की पटरी पर प्रदर्शन स्वरूप धरना दिये जाने के कारण 19 अप्रैल, 1966 को पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीज़न में रेलगाड़ियों के चलने में बाधा उत्पन्न हो गई थी और वे लगभग आठ घंटे तक रुकी रही ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) कारण यह था कि नं० एम 138 डाउन बर्दवान-हवड़ा लोकल गाड़ी तालांडू स्टेशन पर 08–48 बजे पहुंचने के बाद वहां रुकी रही, क्योंकि तालांडू और मगरा के बीच एक मालगाड़ी के अलगअलग भागों में बंट जाने से हुई दुर्घटना के कारण आगे की लाइन रुक गयी थी ।

(ग) यात्रियों के धरना देने के कारण बण्डेल-बर्दवान खण्ड पर गाड़ियों का आना जाना रुक गया था। सिविल और पुलिस अधिकारियों को स्थिति की तुरन्त सूचना दे दी गयी। इस खण्ड से होकर जाने वाली लम्बे सफ़र की गाड़ियों को, हवड़ा-बर्दवान कार्ड लाइन के रास्ते भेज दिया गया। रेलवे लाइन से यात्रियों के हट जाने के बाद, 16-47 बजे से गाड़ियों का सामान्यरूप से आना-जाना फिर शुरू हो गया।

रेलपथ निरीक्षक (पी० डब्ल्यू० आई०)

4931. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे में जुलाई, 1965 में रेलपथ निरीक्षकों के पदों के लिये अभ्यर्थियों का चुनाव किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम कब तक घोषित कर दिया जायेगा ; और

(ग) रिक्त स्थान कितने हैं और अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित आदिम जातियों के लिये कितने पद सुरक्षित रखे गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चुनाव बोर्ड की कार्यवाही को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जोधपुर के हाई कोर्ट द्वारा रोध आदेश जारी कर दिया गया है। फलस्वरूप, परिणाम घोषित करने का सवाल नहीं उठता।

(ग) इस समय 10 जगहें खाली हैं, लेकिन दो साल में जितनी जगह खाली होने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए 25 व्यक्तियों का पेनल बनाया जाना है। अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए 6 जगहों का कोटा आरक्षित है।

रेलपथ निरीक्षक (परमानेंट वे इंस्पैक्टर्स) तथा कर्मान्ति निरीक्षक (इंस्पैक्टर्स आफ वर्क्स)

4932. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी श्रेणी के रेलपथ निरीक्षकों तथा कर्मान्ति निरीक्षकों के पदों के लिये उत्तर रेलवे में कुछ समय पहले कोई चयन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) ऐसे चयन के कब तक करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कर्म-निरीक्षकों (I.O.Ws.) का पेनल पहले से मौजूद है। जहां तक रेल पथ निरीक्षकों (P.W.Is.) का सवाल है, 250-380 रु० (अधिकृत वेतन-मान) के ग्रेड के लिए जुलाई, 1965 में चनाव शरू किया गया था लकिन जोधपुर हाईकोर्ट के रोध आदेश के कारण उसे अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

(ग) कम निरीक्षकों का चुनाव मौजूदा पेनल समाप्त हो जाने के बाद किया जायेगा। जहां तक रेल पथ निरीक्षकों के चुनाव का सवाल है, इस संबंध में रोध आदेश रद्द किये जाने के बाद कार्रवाई की जायेगी।

भारी गैस-सिलिंडरों का निर्माण

4933. **श्री जसवन्त मेहता :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले दो वर्षों में भारी गैस-सिलिंडरों के, जो घरेलु कामों के लिये उपयोगी नहीं है, निर्माण के लिये कितने लाइसेंस दिये हैं ; और

(ख) इस क्षेत्र में वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : गैस के सिलिंडरों का उत्पादन उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नही आता और इसके लिए केवल सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता ही है। हाई प्रैशर गैस सिलिंडरों के उत्पादन के लिए अभी किसी क्षमता के लिए लाइसेंस नही दिए गए हैं। लेकिन कुल 127000 संख्या की वार्षिक क्षमता की दो योजनाएं लगभग दो वर्ष पूर्व स्वीकृत की गई थी और इनको क्रियान्वित किया जा रहा है।

Majhaula Halt

4934. **Shri Kishen Pattnayak :**
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a request was received from the public regarding the shifting of Majhaula Halt at Gate No. 40 to Gate No. 41 in between Chandausi and Bajhoi which was accepted by the Railway administration and the people constructed the Halt and the platform by 'Shramdan' but the same is not being used uptil now;

(b) if so, tne reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that a survey was made and a plan was prepared by the Railway Administration for this halt ; and

(d) the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) to (d). Consequent upon certain requests received from the public, it was proposed to shift Majhola halt from Gate No. 40 to a site near Gate No. 41 and the people of the area did provide some earth work at the new site. Later, however, representations against the proposal were received and the matter had to be further examined. Taking into account, the data which became available during the further examinations, it has been decided to retain the half at its existing site.

उड़ीसा में कागज बनाने के कारखाने

4935. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री घुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा राज्य में कागज बनाने के नये कारखाने स्थापित करने अथवा वर्तमान कारखानों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

4936. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में औद्योगिक विकास की गति बहुत धीमी तथा असन्तोषजनक रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) और (ख) : किसी राज्य अथवा प्रदेश की औद्योगिक प्रगति की गति भारत सरकार, राज्य सरकार और गैर-सरकारी पार्टियों के प्रयासों समेत अनेक बातों पर निर्भर है। देश के अन्य राज्यों के साथ उड़ीसा राज्य के भी शीघ्र और संतुलित औद्योगिक विकास के लिए भारत सरकार ने हर सम्भव प्रयास किया है।

यात्री किराया तथा माल भाड़ा

4937. श्रीमती जोहराबेन चावडा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के भीलड़ी-रानीवाडा सैक्शन पर यात्री किराया तथा माल भाड़ा 195 प्रतिशत की दर से लिया जाता है ;

(ख) क्या इस भाड़े को कम करने के लिये जनता जोरदार मांग करती रही है ताकि इसे सामान्य रूप से चलने वाले अन्य रेल मार्गों के समान किया जा सके ;

(ग) इस भाड़े को कम करने के लिये सरकार का कब निर्णय करने का विचार है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे के भीलड़ी रानीवाड़ा खण्ड पर यात्री किराया और माल-भाड़ा वास्तविक दूरी को 90 प्रतिशत बढ़ाकर लिया जाता है।

(ख) इस बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(ग) यह निश्चय किया गया है कि 1-8-66 से कोचिंग यातायात के सम्बन्ध में दूरी बढ़ाकर किराया लेना बंद कर दिया जाय और माल यातायात के सम्बन्ध में वर्तमान से आधी, अर्थात् 45 प्रतिशत, दूरी बढ़ाकर भाड़ा लिया जाये।

उत्तर रेलवे में कारीगर कर्मचारी

4938. श्री ओंकार सिंह :

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे प्रशासन ने इंजीनियरी विभाग में कारीगर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये सब-ओवरसियर मिस्त्रियों के पदों का 33-1/2 प्रतिशत कोटा निर्धारित किया है ;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन के कारीगर कर्मचारियों की पदोन्नति उपरोक्त कोटे के अनुसार की जाती है ;

(ग) क्या उत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा पदोन्नति के लिये सीधे भर्ती किये गये व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में कमर्शल क्लर्कों का तबादला

4939. **श्री सोलंकी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में कमर्शल क्लर्कों का प्रति वर्ष तबादला कर दिया जाता है और इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि जिन स्थानों पर उनको बदला गया है वहां पर उनके रहने के लिये क्वार्टर हैं अथवा नहीं ;

(ख) 1965 में बड़ौदा डिवीजन में ऐसे कितने तबादले हुए ; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का इस नियम को समाप्त करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1965 में कोई नहीं ।

(ग) हर पांच वर्ष बाद स्थानान्तरण करने की नीति पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के रेलवे गार्ड

4940. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों ने अपने वेतन, भत्तों तथा दर्जे के सम्बन्ध में अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिये एक संस्था बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मांगें क्या हैं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

केरल में लघु उद्योग

4941. **श्री अ० व० राघवन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिजली न मिलने के कारण फैक्टरियां बन्द हो जाने के कारण किराया-खरीद योजना के अधीन केरल के छोटे-मोटे उपक्रमियों को धन लौटाने में कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का विचार दण्डरूप ब्याज लिये बिना धन लौटाने की अवधि को बढ़ाने का है ; और

(ग) केरल में छोटे पैमाने के ऐसे कितने कारखाने हैं जिनके बिजली के कनेक्शन 1966-67 में अब तक केरल बिजली बोर्ड द्वारा काट दिये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) सरकार जानती है कि बिजली की कमी होने के कारण केरल में लघु उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम इस प्रश्न पर विचार कर रहा है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायेगी।

गुजरात में सीमेंट के कारखाने

4942. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं और वे कहां-कहां खोले जायेंगे और उनकी क्षमता कितनी होगी ;

(ख) क्या यह सच है कि लाइसेंस लेने वाले कुछ लोगों ने इन कारखानों को स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) उन परियोजनाओं की, जिनके लिये पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके हैं, अविलम्ब क्रियान्विति करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) एक विवरण साथ नत्थी किया जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6251/66।]**

(ख) तथा (ग) : यह सच है कि कुछ लाइसेंस प्राप्त पार्टियों द्वारा संतोषजनक प्रगति नहीं की गई है। सरकार इन पार्टियों से लगातार सम्पर्क कायम किए हुए है तथा समय समय पर उनके द्वारा की जाने वाली उन्नति का पुनर्वलोकन करती है। आशय पत्र/लाइसेंसों की अवधि में बढ़ोतरी उसी समय ही की जाती है जब विलम्ब के कारणों की पूरे तौर पर जांच कर ली जाती है। प्रयोजना के क्रियान्विन में विलम्ब न होने देने के लिए पहले ही सभी सम्भव कार्यवाही कर ली गई है।

गुजरात में मशीनी औजार कारखाना

4943. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में भावनगर में मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना खर्च आयेगा ; और

(ग) वहां किस प्रकार की मशीनें बनाई जायेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैय्या) : (क) भावनगर, गुजरात में मशीनी औजार का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अप्रैल 1965 में चैकोस्लोवाकिया की मेसर्स टेक्नोइक्सपोर्ट के साथ एक समझौता हुआ था। रिपोर्ट के शीघ्र ही मिलने की सम्भावना है। रिपोर्ट के प्राप्त होने तथा उस की जांच कर लेने के बाद ही आगे कार्रवाई की जा सकती है। गुजरात सरकार ने इसी बीच प्रायोजना के लिए जमीन लेने के हेतु कार्रवाई की है तथा उसका कुछ भाग हस्तगत कर लिया है प्रायोजना को क्रियान्वित करने के लिए एक कम्पनी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ख) भावनगर परियोजना की पूंजीगत लागत (ढलाई घर समेत) का अनुमान 11.16 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ग) कारखाने में मशीनी औजारों को बनाने की तफसीलों को अभी अन्तिम रूप दिया जाता है। अस्थायी तौर पर निम्न प्रकार उत्पादन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है :—

सैंटेर खरादें वर्ष में 450 सं० में

टरेट खरादें वर्ष में 250 सं० में

हारीजेंटल बोरिंग तथा मिलिंग मशीनें 150 सं० में।

अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति

4944. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी समिति के प्रधान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल अपनी कठिनाइयां बताने के लिये हाल ही में सरकार से मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या कठिनाइयां बताई और क्या मांगें पेश कीं ; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने निवेदन किया था कि :—

(1) एन एफ 34 (पुराने 40 नम्बर) और इससे कम के सूत पर से उत्पादन शुल्क हटा दिया जाय और एन एफ 34 पर पिछले वर्ष के स्तरों पर शुल्क पुनः लगा दिया जाय ;

(2) नकली रेशम, रेयन और ऊन के कपड़ों पर सूत-अवस्था के बजाय कपड़ा-अवस्था में शुल्क लगाने का पुराना तरीका अपनाया जाय ;

(3) चार और उससे कम की इकाइयों में लगे 'कुटीर शक्तिचालित करघों' को दी गयी रियायतें समाप्त कर दी जायें ;

(4) एपेक्स हैण्डलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटीज पर लगे आयकर को हटा दिया जाय ;

(5) महाराष्ट्र सरकार द्वारा हथकरघा कपड़े पर लगाये गये बिक्री कर को हटा दिया जाय ; और

(6) रंगीन साड़ियों और 60 तथा उससे कम नम्बर की धोतियों का उत्पादन केवल हथकरघों के लिये ही सुरक्षित कर दिया जाय।

(ग) 22–33 एन एफ नम्बर वर्ग की गुण्डियों के रूप में साफ किये गये सूत पर लगा शुल्क अब बजट-पूर्व स्तर पर पुनः लगा दिया गया है अर्थात् 22 एन एफ अथवा इसके अधिक किन्तु 29 एन एफ नम्बर वर्ग की सूती की गुण्डियों को पूर्णतः छूट दे दी गयी है और 29 एन एफ अथवा इससे अधिक किन्तु 34 एन एफ से कम नम्बर वर्ग पर से शुल्क हटाकर 5 पैसे प्रति कि० ग्रा० कर दिया गया है।

उपर्युक्त (ख) भाग के (2) से (4) उपभागों में की गयी मांगों की जांच की गयी है और सरकार ने इन्हें स्वीकार नहीं की जा सकने वाली पाया है।

बिक्री कर का प्रश्न महाराष्ट्र सरकार के समक्ष उठाया गया था किन्तु उसने हथकरघा कपड़ों पर से बिक्री कर हटाया जाना स्वीकार नहीं किया है।

हथकरघों के लिये कुछ उत्पादन-क्षेत्र सुरक्षित करने का प्रश्न पहले से ही विचाराधीन है और इस विषय में सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किये जाने की आशा है।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों का दिल्ली में नियुक्त रहना

4945. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मुख्यालय के कुछ अधिकारी पिछले 10–15 वर्षों से, चाहे विभिन्न शाखाओं में और विभिन्न पदों पर, दिल्ली में ही नियुक्त हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) भण्डार विभाग में ऐसे कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां। प्रशासनिक ज़रुरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें दिल्ली में रखा गया है।

(ख) ग्यारह।

(ग) कोई नहीं।

कलकत्ता-बम्बई डाकगाड़ी के भोजन-यान में आग लग जाना

4946. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री घुलेश्वर मीना :

श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 अप्रैल, 1966 को मध्य रेलवे के इटारसी-भुसावल सेक्शन में वानपुरा और पगढाल स्टेशनों के बीच कलकत्ता-बम्बई (बरास्ता इलाहाबाद) डाकगाड़ी के भोजन-यान में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, लेकिन 23-4-1966 को।

(ख) प्रवर वेतन-मान अधिकारियों की एक समिति दुर्घटना के कारण की छानबीन कर रही है।

(ग) छानबीन का परिणाम मालूम होने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

रेलवे में सहाय्यक सेवावर्गाधिकारी (असिस्टैंट पर्सनल आफसर) तथा सहायक कल्याण-अधिकारी

4947. **श्री सेज़ियान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने सहायक सेवावर्गाधिकारियों तथा सहायक कल्याण-अधिकारियों के दूसरी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति के लिए यह शर्त लगा दी है कि उक्त पदों के लिये केवल उन्हीं कर्मचारियों को उपयुक्त समझा जायेगा जो 325–425 रुपये तथा उससे ऊपर के वेतन क्रमों में कम से कम तीन वर्ष तक कार्य कर चुके हों ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिवर्तन का कल्याण निरीक्षकों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उनमें से अधिकतर निरीक्षक निम्नतम वेतन क्रमों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का विचार नियमों में परिवर्तन करने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) वर्तमान नियमों के अधीन निम्नलिखित वर्गों के स्थायी कर्मचारी सहायक कार्मिक अधिकारी/सहायक कल्याण-अधिकारी के पदों के लिए चुने जाने के पात्र हैं :—

335–425 रु० और इससे ऊपर के ग्रेड में काम करने वाले सभी कर्मचारी, बशर्ते उन्होंने 335 रु० पर पहुंचने के बाद इन ग्रेडों में या किसी निम्नतर ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो ।

(ii) 270–475 रु० (अ०) वेतनमान में कनिष्ठ लेखापाल ।

(iii) 210–425 रु० (अ०) वेतनमान में स्टेनोग्राफर ।

(iv) 250–380 रु० (अ०) वेतनमान में निरीक्षण और डिपो कर्मचारी ; और

(v) 210–380 रु० (अ०) वेतनमान में कार्यालय क्लर्क ।

ऊपर (ii) से (vi) तक उल्लिखित कर्मचारी 335 रु० पर पहुंचने के बाद 3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर ही पात्र होते हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम रेलवे लाइन

4948. **श्री मुथिया** : क्या रेलवे मंत्री 25 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न सं० 1115 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुनवेली-कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवदन रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे बोर्ड ने उन पर विचार कर लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना में इस रेलवे लाईन के प्रथम चरण के निर्माण के लिये, अर्थात् तिरुनवेली से कन्याकुमारी तक, आवश्यक कार्यवाही कर ली है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) सर्वे रिपोर्ट पर विस्तार पूर्वक विचार करने के बाद ही इस लाइन को बनाने के संबंध में फैसला किया जायेगा । चौथी योजना में इस लाइन का शामिल किया जाना इस बात पर निर्भर है कि सर्वे का क्या परिणाम निकलता है, चौथी योजना में नयी लाइनें बनाने के लिए कितना धन नियत किया जाता है, और इसी तरह के विभिन्न प्रस्तावों की तुलना में इस लाइन को कितनी अग्रता मिलती है ।

इटारसी स्टेशन पर ऊपरी पूल

4949. **श्री हरि विष्णु कामत :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के इटारसी रेलवे स्टेशन के निकट दो रेलवे फाटकों पर ऊपरी पुल बनाने के सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है, जिससे वहां पर मोटर गाड़ियों के बढ़ते हुए यातायात के गुज़रने में होने वाली असुविधा तथा असाधारण विलम्ब दूर किया जा सके ;

(ख) तीन वर्ष पुराने प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का काम आरम्भ भी न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह ऊपरी पुल कब बन कर यातायात के लिये खुल जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) वर्तमान समपारों की जगह ऊपरी/निचले सड़क पुल बनाने की ज़िम्मेदारी रेलवे और सड़क प्राधिकरण दोनों पर है ।

मध्य प्रदेश सरकार ने 1963-64 में केवल मील नं० 463/12–13 के वर्तमान समपार की जगह इटारसी स्टेशन के उत्तरी सिरे पर एक ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव किया था । इटारसी के दूसरे समपार की जगह ऊपरी पुल बनाने का सुझाव न तो राज्य सरकार की ओर से मिला है और न स्थानीय नगर निकाय की ओर से ।

लेकिन पुल के लिए स्थान निर्धारित करने का प्रश्न बड़ी देर तक राज्य सरकार के विचाराधीन रहा । इसके बारे में अन्तिम सुझाव और आवश्यक तकनीकी ब्यौरा रेलों को फरवरी, 1964 में ही प्राप्त हो सका । इस स्कीम को 1965-66 के रेलवे कार्यक्रम में शामिल किया जा चुका है । इस स्कीम का सामान्य नक्शा राज्य सरकार को अप्रैल, 1965 में भेजा गया था जिसे उन्होंने नवम्बर, 1965 में मंजूर किया । स्कीम की लागत का ब्यौरेवार अनुमान अन्तिमरूप से तैयार करके अपने हिस्से की लागत की मंजूरी देने के लिए फरवरी, 1966 में राज्य सरकार को भेजा गया था । इस सम्बन्ध में स्मरण पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन राज्य सरकार से अभी तक इसकी मंजूरी नहीं मिली है ।

(ग) लागत के अनुमान की मंजूरी राज्य सरकार से मिलते ही रेलवे अपने हिस्से का काम शुरू कर देगी और लगभग एक साल के अन्दर ही उसे पूरा कर लेगी । लेकिन ऊपरी सड़क पुल यातायात के लिए तभी खोला जा सकेगा जब राज्य सरकार अपने खर्चे पर पहुंच मार्ग बनाने का काम पूरा कर लेगी ।

इटारसी स्टेशन पर पूछताछ कार्यालय

4950. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि इटारसी स्टेशन (मध्य रेलवे) एक बड़ा और महत्वपूर्ण जंक्शन है, किन्तु वहां पर दिन-रात खुला रहने वाला पृथक पूछताछ कार्यालय नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) वहां पर उस जंक्शन के अनुरूप पूरा पूछताछ कार्यालय कब खोलने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : इटारसी में पहले ही 6.00 बजे से 10.00 बजे तक और 18 बजे से 22 बजे तक एक पूछताछ कार्यालय काम कर रहा है। 24 घंटे काम करने वाला पूछताछ एवं आरक्षण कार्यालय खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बम्हपुर में झंडी स्टेशन

4951. श्री दलजीत सिंह :

श्री साधू राम :

क्या रेलवे मंत्री रोपड़-नंगल बांध सैक्शन पर ब्रह्मपुत्र में झंडी स्टेशन के बारे में 18 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2426 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोपड़-नंगल बांध संक्शन लाभ में चल रहा है और केवल एक रेलवे स्टेशन, नंगल बांध, से लगभग 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये प्रति मास की आमदनी होती है ; और

(ख) यदि हां, तो आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार से इतनी थोड़ी सी राशि क्यों मांगी जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं। कुल मिलाकर रोपड़-नांगल डैम खंड घाटे में चल रहा है।

(ख) इस क्षेत्र के नवीनतम विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मपुत्र में एक स्टेशन खोलने के सवाल पर फिर से विचार किया जा रहा है।

मसूर राज्य में सीमेंट के कारखाने

4952. श्री लिंग रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय सीमेंट के कितने कारखाने चल रहे हैं उनके क्या नाम हैं, उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और वे कितनी अवधि से चल रहे हैं ;

(ख) मैसूर राज्य को सीमेंट की कितनी आवश्यकता है और ये कारखाने कितने सीमेंट का उत्पादन कर सकते हैं और वस्तुतः वे कितना सीमेंट तैयार कर रहे हैं ;

(ग) राज्य सरकार ने उस राज्य में सीमेंट के नये कारखाने स्थापित करने की मंजूरी दिये जाने के लिये कितने और किन-किन स्थानों की सिफारिश की है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (घ) : विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6252/66]**

बंगलौर में अंगूर की शराब (वाइन) बनाना

4953. श्री लिंग रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री 22 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में तथा उसके आस-पास कितनी एकड़ भूमि में अंगूरों की खेती की जाती है ;

(ख) क्या बंगलौर में अंगूर उगाने वाली एक सहकारी संस्था है जो अंगूर उत्पादकों को विपणन सम्बन्धी सुविधा को छोड़कर अनेक प्रकार से सहायता दे रही है ;

(ग) क्या राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों ने किन्हीं उद्योगपतियों को अंगूर की शराब बनाने के लिये लाइसेंस दिये हैं और यदि हां, तो राज्य तथा राज्य से बाहर के किन-किन लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(घ) क्या इससे पहले भी अंगूरों से कोई शराब बनाई जा रही है और यदि हां, तो कितनी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE

सदस्य के भाषण के संबंध में कथित ग़लत समाचार छापने के बारें में

स्टेटसमैन से पत्र

अध्यक्ष महोदय : 3, मई 1966 को सरदार कपूर सिंह ने विशेषाधिकार का एक नोटिस दिया था जिसका सम्बन्ध उनके लोक सभा में 27 अप्रैल में 1966 के भाषण को "स्टेटसमैन" द्वारा ग़लत रूप में छापने तथा उस पर टिप्पणी करने से है । यह मामला मैंने "स्टेटसमैन" के सम्पादक को भेजा कि उन्हें इसके बारे में क्या कहना है । उसके सम्पादक ने मुझे पत्र लिखा है कि 3 मई को कलकत्ता संस्करण तथा 4 मई को दिल्ली संस्करण में इस वृत्तान्त को शुध्द करने वाला श्री कपूर सिंह का पत्र छपा है और आशा है कि इस से वह संतुष्ट हो जायेंगे । उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि उनका विचार माननीय सदस्य का अनादर करने का नहीं था ।

मुझे आशा है कि "स्टेटसमैन" के सम्पादक से जो स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस मामले को समाप्त समझा जाये ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इस पत्रसे संतुष्ट नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा ।

पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र भेट किये जाने के बारे में

RE: PRESENTATION OF PORTRAIT OF JAWAHARLAL NEHRU

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : कल जब पं० जवाहरलाल नेहरू के चित्र का संसद भवन के सेन्ट्रल हाल में अनावरण किया गया तो मुझे यह देख कर अचम्भा हुआ कि श्री रघुनाथ सिंह ने यह चित्र भेट किया था । उन्हे ऐसा क्यों करने दिया गया ? हमें इसे एक दल का प्रश्न नहीं बनाना है । इसका निर्णय किसने किया ?

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय मेरा है । मुझे दुःख है कि इसे ऐसा समझा जा रहा है । वह चित्र-समिति के सदस्य थे इस लिये उन से इसके बारे में कहा गया था । और कोई बात उसमें नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्यात किस्म नियंत्रन तथा निरीक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :

(एक) तेल निकली चावल भूसी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 25 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 969 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) काजू गिरी का निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 26 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1023 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) इस्पात तथा इस्पात उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1966 जो दिनांक 30 मार्च, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1041 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6233/66।]

(2) (एक) आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6234/66।]**

(दो) सरकारी संकल्प संख्या एफ० 2 (5)/65–ओ एण्ड एम, दिनांक 5 मई, 1966 की एक प्रति, जिसमें उक्त प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार के निश्चय प्रकाशित किये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6235/66।]**

कोयला बोर्ड के लेखें

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : श्रीमन्, मैं कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षितता) अधिनियम, 1952 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कोयला बोर्ड के वर्ष 1964–65 के लेखों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 6236/66।]**

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स आदि की वार्षिक रिपोर्ट

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : श्रीमन्, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बम्बई, का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6237/66।]**

(दो) गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता, का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6238/66।]**

(तीन) माजगांव डौक लिमिटेड, बम्बई का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 6239/66]**

प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : श्रीमन्, श्री शफी कुरेशी की ओर से मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (3) के अन्तर्गत प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड, कोट्टयम, के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सहित सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० 6240/66]**

सदस्य की रिहाई

RELEASE OF MEMBER

Shri A. K. Gopalan

श्री ए० के० गोपालन

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे केन्द्रीय जेल, वियुर के अधीक्षक ने 30 अप्रैल 1966 के एक सन्देश द्वारा श्री अ० कु० गोपालन की रिहाई के बारे में सूचित किया है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह किस तारीख का है ?

अध्यक्ष महोदय : यह 30 अप्रैल का है । यह चार दिन पश्चात् भेजा गया था । इसके बारे में मालुम किया जाना चाहिये ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : मैं इसकी जांच करूंगा ।

लोक लेखा समिती

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तिरपनवां प्रतिवेदन

श्री मुरारका (झुंझनू) : मैं विनियोग लेखे (रेलवे), 1963–65 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (रेलवे) 1965 के बारे में लोक लेखा समिति का तिरेपनवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से 9 मई 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) आज के सरकारी कार्य से बचे हुए सरकारी कार्य पर विचार;

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना :
उत्पाद उपकर विधेयक, 1966

उड़ीसा विधानसभा (कार्यविधि का बढ़ाया जाना) विधेयक 1966

एशियन डेवलपमेंट बैंक विधेयक, 1966

संविधान (उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 1966

दिल्ली प्रशासन विधेयक, 1965 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(3) उड़ीसा में अकाल की स्थिति तथा भूख से लोगों की मृत्यु के बारे में श्री किशन पटनायक तथा अन्य सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली चर्चा बुधवार, 11 मई 1966 को 2.30 बड़े म० प० पर ली जायेगी ।

(4) वर्तमान पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बारे में 18 अप्रैल, 1966 को गृह-कार्य मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा अन्य सदस्यों द्वारा गुरुवार, 12 मई, 1966 को 3.30 बजे म० प० पर एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर की जायेगी ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान सतर्कता आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिस पर अभी पूरी तरह विचार नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसी बात न कही जाये जिस से दोनों सदनों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो ।

श्री हरि विष्णु कामत : इस मामले पर उस सदन में पूरी तरह विचार हो चुका है । उस सदन के नेता ने भी कुछ कहा है यहां परन्तु बाद में अपना बयान बदल दिया । इस लिये इसे सम्मान का प्रश्न मत बनाईये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हम नहीं चाहते कि दोनों सदनों के बीच इस प्रकार का झगड़ा चलता रहे । मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस सदन के क्या अधिकार हैं क्योंकि वह मैत्री पूर्ण होने चाहियें परन्तु यह सच है कि वित्तीय मामलों में इस सदन के अधिकार उस सदन से अधिक हैं ।

प्रश्न उस सदन का नहीं आपितु सरकार का है जो दोनों सदनों में बहुसंख्या में है । उसे संवैधानिक मामले में अच्छा व्यवहार करना चाहिये । मैं यह चाहता हूं कि क्या आप इस सरकार से कोई आश्वासन ले रहे हैं कि वह इन मामलों को इस प्रकार न करें कि दोनों सदनों के बीच कोई झगड़ा चले और यह मामला संविधान के अनुसार ठीक हो जावे ।

श्री रंगा (चित्तूर) : हमें इस सदन के नेता के भी विचार सुन लेने चाहियें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): This controversy has arisen because we are not following Article 113 of the Constitution and Rules Nos. 208 and 210 of the Rules of Procedure which pertain to the demands for grant of Rajya Sabha and Lok Sabha and you have given a ruling matter. I request you to reconsider your ruling.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : मैं ने यह नहीं कहा कि वह सदन सरकार द्वारा उत्पन्न किया हुआ है । मैं इस बात से पीछे नहीं हटा हूं । उस सदन के दो सिद्धान्त हैं : एक तो यह कि दोनों सदनों के बीच आपसी समझौता हो । दूसरे यह कि दोनों सदनों के सम्बन्ध आपस में अच्छे हों । दोनों सदनों में अच्छे सम्बन्ध रखे जाने चाहियें परन्तु इस प्रकार के भाषणों से तो यह बिगड़ेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मुकर्जी के साथ सहमत हूं कि जब सरकार का दोनों सदनों में बहुमत हो उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि मामले ठीक प्रकार चलते रहे। उसे दोनो सदनों के अध्यक्षों से भी बात कर लेनी चाहिये।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : अध्यक्ष महोदय यह मामला आपको भी सौंपा था और आप राज्य सभा के अध्यक्ष से मिल रहे हैं। आशा है कि कोई समझौता निकल आयेगा। यदि ऐसा न हो सका तो सरकार को दखल देना होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके सचिवालयसे मेरे पास 1953 का श्री चारुचन्द्र विश्वास का मामला है।

उस समय भी इसी प्रकार की घटना हुई थी और उसे उस समय के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सुलझाया गया। मैं यह कागज आपके पास भेज रहा हूं।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यह तो ठीक है कि कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिस से दोनों सदनों के सम्बन्ध खराब हों। परन्तु यह सदन वित्त के मामलें में अधिक अधिकार रखता है और इस लिये इस मामले में उसका हाथ ऊपर रहना चाहिये। इसलिये लोक सभा तथा राज्य सभा के प्राक्कलन एक समिति द्वारा जांचे जाये जिसे आप दूसरे लोगों से मिलकर नियुक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा था कि सदन के नेता इस बात पर तैयार हैं कि राज्य सभा के प्राक्कलन दोनों सदनों की संयुक्त समिति जांचेगी। परन्तु कल मुझ से राज्य सभा के सभापति मिले और उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिये तैयार नही हुए थे। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि सदन के नेता वहां उपस्थित थे और उनकी बातों से मुझे ऐसा ही आभास हुआ था और इसी कारण मैं ने यहां अपने विचार प्रकट किये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : संविधान सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न है। यह कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है।

श्री मु० क० चागला : सभापति ने मुझे यह बताया था कि यदि संयुक्त समिति बनाई गई तो यह दोनों सदनों के प्राक्कलनों की जांच करेगी। एक उपाय यह भी है कि अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय और दोनों सदनों के नेता आपस में मिलकर बातचीत करें और इस समस्या को दूर करें।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई समझौता हो जाये तो बहुत अच्छा है परन्तु संविधान की भावना की ओर ध्यान देना होगा।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know how the spirit of the Constitution is not going to be prepared by appointment of a committee ?

Mr. Speaker : We have decided that we are not appearing before a Committee.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I would like to know whether the Constitution (Amendment) Bill regarding tribal people and the Crop Insurance Bill would be introduced during this session.

श्री रंगा (चित्तूर) : खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा दिये गये भूख-हड़ताल के नोटिस के बारे बारे में क्या खाद्य मंत्री अथवा गृह-कार्य मंत्री कोई वक्तव्य देंगे ?

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : May I know when the Banaras Hidu University Bill would be taken up ? There is no mention in the Business announced by you.

श्री सत्य नारायण सिंह : जब तक कि सभा देर तक बैठने के लिये सहमत नहीं होती, हमारे लिये यह सम्भव नहीं कि हम इस सत्र में अन्य बातों पर विचार करें।

गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने की योजना समाप्त करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : DISCONTINUANCE OF BLANKING OFF OF ALARM CHAINS IN TRAINS

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : 25-4-66 को उत्तर रेलवे के उग्रसेनपुर स्टेशन के पास वाराणसी–बम्बई एक्सप्रेस के एक डिब्बे में आग लग जाने के बारे में 26-4-66 को लोक सभा में मैंने एक बयान दिया था। उस बयान के बाद पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि अब नीति विषयक एक निर्णय यह किया गया है कि गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने की योजना समाप्त कर देनी चाहिये।

2. मैं यह बताना चाहूंगा कि गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने के बारे में 1961 में लोक सभा में जो विचार-विमर्श हुआ था, उसके फलस्वरूप रेलों ने इस प्रश्न पर फिर से विचार करके यह निश्चय किया था कि खतरे की जंजीर कम से कम गाड़ियों में नाकाम रखी जाये। तदनुसार भारतीय रेलों की लगभग 150 गाड़ियों में खतरे की जंजीर फिर से लगा दी गयी थी। लेकिन अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बहुत बढ़ जाने के कारण गाड़ियों द्वारा समय की पाबन्दी पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसलिये 1962 में इस समस्या पर एक बार फिर विचार किया गया। इस पुनर्विचार के फलस्वरूप बहुत-सी गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम कर दी गयी।

3. जैसा कि इस दुर्घटना में हुआ, जब डिब्बे में आग लग गयी तो यात्री लम्बे सफर की इस गाड़ी को रोक न सके और इस वजह के कई यात्री हताहत हो गये। मैंने सोचा कि हमें खतरे की जंजीर नाकाम रखने की योजना समाप्त कर देनी चाहिये। तदनुसार यह हिदायत दी जा चुकी है कि सभी अनुपनगरीय गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने की योजना तत्काल समाप्त कर दी जाये।

4. लेकिन माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उपनगरीय गाड़ियों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। उपनगरीय गाड़ियों के स्टेशन एक दूसरे के निकट होते हैं और आग लगने या कोई और दुर्घटना हो जाने पर उसकी ओर ध्यान जाने में कुछ मिन्टों से ज्यादा समय नहीं लगता। रेल प्रशासन अभी कई उपनगरीय गाड़ियों में खतरे की जंजीर की व्यवस्था नहीं करते और मैं समझता हूं कि न चाहते हुए भी उपनगरीय गाड़ियों में खतरे की जंजीर को नाकाम रखना जारी रहेगा, ताकि रेल गाड़ियां निर्बाध रूप से चलती रहे। उपनगरीय खण्डों पर गाड़ियां एक के पीछे एक जल्दी-जल्दी चलती हैं और अनुचित रूप से खतरे की जंजीर खींचकर गाड़ी खड़ी करने से तुरंत गाड़ियों की एक लाइन सी लग जायेगी और गाड़ियों का आवागमन अस्तव्यस्त हो जायेगा। इससे उपनगरीय गाड़ियों द्वारा समय की पाबन्दी पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कई समस्यायें उठ खड़ी होंगी।

मैंने सोचा कि गाड़ियों में खतरे की जंजीर नाकाम रखने के बारे में 26 अप्रैल को मैंने जो घोषणा की थी, उसके सम्बन्ध में अपना आशय स्पष्ट कर दूं।

भुसावल के गुड्स यार्ड में विस्फोट के बारे में

RE : EXPLOSION IN GOODS-YARD AT BHUSAWAL

अध्यक्ष महोदय : रेल-दुर्घटना के बारे में जिन-जिन सदस्यों ने सूचना भेजी है वह स्पष्टीकरण सम्बन्धी कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Vishram Prasad (Lalganj) : May I know whether the wagons had been loaded according to the red traffic rules framed by Railways?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : Yes Sir.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : May I know whether there is a band of Pakistani elements or some other elements in such accidents?

Dr. Ram Subhag Singh : Everything is being looked into, Sir.

Shri Bade : May I know whether all precautions against sabotage had been taken?

Dr. Ram Subhag Singh : Yes, Sir.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : ऐसा समाचार है कि सहारनपुर में एक नाले में 13 बम पाये गये। देश में इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं उनकी दृष्टि से क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रारम्भिक जांच हुई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसाकि मैंने पहले कहा, इस सारे मामले की जांच हो रही है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to submit that the Hony. Prime Minister should not make such statements here which may absolve the offenders of their guilt. Secondly, may I know whether any estimate of the property damaged in this accident has been made ?

Dr. Ram Subhag Singh : The damage is being estimated and relevant figures would be supplied to the House.

श्री स्वैल (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : क्या इस दुर्घटना में किसी विदेशी तत्व का हाथ है ?

डा० राम सुभग सिंह : इस मामले की जांच हो रही है, इसलिये मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता।

Shri A. N. Vidyalankar (Hoshiarpur) : May I know the make of the Bombs which had been loaded in the wagons?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : यह विस्फोटक पदार्थ हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी थे। हमें यह ज्ञात नहीं कि यह कहां बने थे तथा इस प्रकार की सूचना देना उचित भी नहीं होगा।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : यह वैगन 23-4-66 को पठानकोट से पुलगांव के लिये बुक किये गये थे और विस्फोट 2-5-66 को भुसावल स्टेशन पर हुआ। मैं जान सकता हूं कि यह वैगन कब पठानकोट से चले, कब भुसावल पहुंचे और कितने दिन भुसावल खड़े रहे ?

डा० राम सुभग सिंह : वैगन 2-5-66 को भुसावल पहुंचे।

श्री अ० प्र० शर्मा : इसके लिये नौ या दस दिन लग गये। इतने विलम्ब के क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या विस्फोटक पदार्थ लाने-ले-जाने के लिये कोई सावधानी नहीं बरती जाती ?

श्री स० का० पाटिल : इस सम्बन्ध में नियम पुस्तिका है परन्तु उसमें समय के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है। हम इस सम्बन्ध में जांच करेंगे और यह भी जांच करेंगे कि इतना अधिक समय कैसे लगा।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हममें से अधिकतम सदस्यों का यह विचार है कि इस दुर्घटना में शत प्रतिशत तोड़-फोड़ का कार्य करने वाले तत्वों का हाथ है। मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में कुछ अन्य प्रकार की जांच की जायेगी ?

डा० राम सुभग सिंह : इस बात की पूरी सावधानी बरती जायेगी कि क्या इसमें इस प्रकार का कोई हाथ था।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : क्या स्टेशन पर इन डिब्बों की देखरेख के लिये कोई प्रबन्ध किया गया था ?

डा० राम सुभग सिंह : हां, श्रीमन। इस का उचित प्रबन्ध किया गया था।

वक्तव्य में अशुद्धि के बारे में निदेश 115 के अन्तर्गत वक्तव्य तथा उसका उत्तर

STATEMENT UNDER DIRECTION 115 RE : INACCURACY IN STATEMENT AND REPLY THERETO

श्री दाजी (इन्दौर) : भारतीय तांबा निगम पर चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि भारतीय तांबा निगम का तकनीकी प्रबन्ध "न्यू कन्सालिडेट गोल्डफील्डस् साउथ अफ्रीका लिमिटेड" के नियंत्रणाधीन है और मैंने भारत के भू-सर्वेक्षण के समाचार-पत्र के पृष्ठ 55 का उल्लेख किया था। अपने उत्तर में माननीय मंत्री श्री संजीव रेड्डी ने इस वक्तव्य से इन्कार कर दिया था और कहा था कि यह गलत जानकारी पर आधारित है।

इसके बाद मैंने संसदीय पुस्तकालय से बुलेटिन की प्रति प्राप्त करने का प्रयत्न किया परन्तु मुझे सूचित किया गया कि उसे वापीस ले लिया गया है। अब मुझे सम्बद्ध भाग तथा उसकी एक फोटो कापी मिल गई है जिससे मेरे द्वारा कही गई बात सिद्ध हो गई है। मंत्री महोदय के वक्तव्य के आधार पर यह महत्वपूर्ण है। बुलेटिन में प्रकाशन का वर्ष 1965 बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि मंत्री महोदय का व्यक्तव्य तथ्य को दबाने और गलत बात का सुझाव देने के समान है। इस सम्बन्ध में यह भी महत्वपूर्ण है कि बुलेटिन की प्रतियां वापिस ले ली गई हैं। मंत्री महोदय ने तथ्यों को दबाने का प्रयत्न किया है। मैंने जो वक्तव्य दिया था वह ठीक है और भारत के भू-सर्वेक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये बुलेटिन पर आधारित है।

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : 22 नवम्बर, 1965 को माननीय सदस्य श्री दाजी ने भारत के भूसर्वेक्षण विभाग द्वारा "1964 में प्रकाशित" ताम्बे सम्बन्धी पुस्तक का उल्लेख किया था और कहा था कि उस पुस्तक में दी गई जानकारी के अनुसार इंडियन कापर कार्पोरेशन का, जिसके प्रत्यक्ष मालिक बिड़ला है, प्रबन्ध दक्षिण अफ्रीकी विदेशी कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है जोकि रोडेशिया के प्रधान मंत्री, मिस्टर इयान स्मिथ, के बैंकर है। इस्पात तथा खान मंत्री, श्री संजीव रेड्डी ने अपने भाषण के दौरान इस बात का खण्डन किया था कि इण्डियन कापर कार्पोरेशन का प्रबन्ध रोडेशिया की पूंजी से किया जा रहा है और उन्होंने कहा था कि कम्पनी की परामर्शदाता एक अंग्रेजी फर्म है।

महा-निदेशक ने आवश्यक जांच के बाद कहा था कि उस बुलेटिन में दी गई सूचना गलत और पुरानी है। मालूम होता है कि बिना जांच किये किसी पुरानी पुस्तक से यह सूचना ले ली गई है।

उस बुलेटिन में दी गई गलत सूचना से माननीय सदस्य तथा अन्य लोगों को जो गलत-फहमी तथा असुविधा हुई है, उसका हमें खेद है। ठीक प्रकार से शुद्धि-पत्र जारी करने के प्रबन्ध किये गये हैं।

खान तथा धातु मंत्रालय को संसद पुस्तकालय से उस बुलेटिन को हटाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उस बारे में ठीक सूचना को दबाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। तथ्य तो यह है कि माननीय मंत्री ने जो जानकारी दी थी, वह ठीक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मेरा यह विचार है कि आप इस बात की पूरी पूरी जांच करें कि संसद के पुस्तकालय से वह बुलेटिन किस प्रकार गायब हो गया।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी जिम्मेवारी है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : दूसरी बात यह कि श्री संजीव रेड्डी को, जिन्होंने उस समय कड़ी भाषा का प्रयोग किया था, खेद प्रकट करना चाहिये।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं इस बात पर फिर बल दूंगा कि मंत्री महोदय को खेद प्रकट करने के लिये यहां उपस्थित रहना चाहिये था। यह आपत्तिजनक बात है कि ऐसे अवसरों पर माननीय मंत्रीगण सभा में नहीं होते।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस बात की पूरी पूरी जांच की जानी चाहिये कि संसद के पुस्तकालय से यह बुलेटिन कैसे गायब हो गया तथा इस बारे में भी कोई नियम बनाया जाये कि जब कभी भविष्य में वक्तव्य में गलती सम्बन्धी स्थिति उत्पन्न हो, तो सम्बद्ध मंत्री आपकी अनुज्ञा बिना सभा से बाहर न जाय।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : जिन अधिकारियों ने यह गलत सूचना बुलेटिन में दी है क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रंगा (चित्तूर) : मंत्री महोदय को स्वयं इस बारे में खेद प्रकट करना चाहिये। भविष्य में ऐसा होना चाहिये कि जिस मंत्री ने गलत वक्तव्य दिया हो उसकी शुद्धि उसे स्वयं करनी चाहिये और सभा में उस समय उपस्थित रहना चाहिये।

श्री दाजी : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि नियम समिति को निदेश 115 की पुनः जांच करनी चाहिये। मैं एक बार फिर यह कह देना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने गलत सूचना दी है और अधिकारियों ने भी उन्हें गलत सूचना दी है। क्या अधिकारियों ने अप्रत्यक्ष रूप से सभा का अपमान नहीं किया है ? मैं यह भी कहना चाहता हूं कि क्या उस बुलेटिन को संसद के पुस्तकालय से वापस लिया जा सकता है ? क्या यह एक गम्भीर मामला नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यह बुलेटिन पुस्तकालय में ही था; इसे शुद्धि के लिये वापस ले लिया गया था और इसके बाद उसे फिर यहां भेज दिया गया था। मेरा विचार है कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि जब कभी किसी वक्तव्य का सम्बन्ध किसी मंत्री विशेष से हो तो उस मंत्री को सभा में उपस्थित रहना चाहिये।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री यहां से जान-बूझ कर नहीं गये हैं। शायद उन्होंने यह सोचा कि अब उनका विभाग बदल गया है। मेरे विचार में हम भविष्य में आपके अभिकथन का पालन करेंगे।

श्री बैरो (नामनिर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : शुद्धि के लिये एक किताब कैसे हटाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करूंगा कि किताब किस प्रकार हटाई जा सकती है।

श्री हेम बरुआ : श्रीमन्, जो बात मैं जानना चाहता हूं वह यह है (क) कि जौरहट जीप दुर्घटना जो 7 मार्च को हुई थी उसके बारेमें सभा में तथ्य कब प्रकट किये गये थे. . . .

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में अब किस प्रकार पूछा जा सकता है ?

श्री हेम बरुआ : आप ने माननीय मंत्री को निदेश दिया था कि वह जानकारी प्राप्त करके हमें दें। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि वह जानकारी अब मिल गई है अथवा नहीं।

(ख) जब यह बात खुल गई थी कि दो प्रतिनिधिमण्डल––एक नागा विद्रोहियों का और दूसरा मिजो विद्रोहियों का––ढाका गये हुए हैं और वहां मार्शल चेन ई और डाक्टर भुट्टो से मिले हैं तो भी माननीय वैदेशिक-कार्य मंत्री के पास जानकारी नहीं थी। यदि माननीय मंत्री को जानकारी मिल गई है तो वह सभा को भी बतायें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अभी अभी जानकारी देने के लिये नहीं कह सकता। यदि उनके पास जानकारी हो तो वह बाद में उस समय दे सकते हैं जब वह बोलें।

केरल में राष्ट्रपति का शासन जारी रखने के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : CONTINUANCE OF PRESIDENT'S RULE IN KERALA

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : श्रीमन्, श्री नन्दा की ओर से मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं:

"कि यह सभा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 24 मार्च, 1965 की उद्घोषणा को 11 मई, 1966 से छः मास की आगेतर अवधि के लिये लागू रखे जाने का अनुमोदन करती है।"

"That the House approves the continuance in force of the Proclamation dated 24th March, 1965, in relation to the State of Kerala, issued under article 356 of the Constitution by the Vice-President of India, discharging the functions of the President, for a further period of six months with effect from May, 11, 1966".

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

में इस उद्घोषणा को उप-राष्ट्रपति द्वारा 24 मार्च को जारी किये जाने के बारे में इतिहास को दुहराना नहीं चाहता। क्योंकि सभा ने इसका अनुमोदन 7 मई 1965 को किया था। इस उद्घोषणा की अवधि को इस सभा के 8 नवम्बर 1965 के संकल्प द्वारा 11 नवम्बर 1965 से छः महीने के लिये बढ़ा दिया गया था। यह अवधि 10 मई को समाप्त होती है। सभा को उन कारणों की पूरी जानकारी है जिनसे इस उद्घोषणा को जारी रखना पड़ रहा है और सभा ने इसका अनुमोदन भी किया है।

यह स्वाभाविक ही है कि माननीय सदस्य इस बात के लिये इच्छुक होंगे कि केरल राज्य में यथासम्भव शीघ्र लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाये। सरकार के भी वैसे ही विचार हैं क्योंकि राज्यपाल तथा उनके अफसरों द्वारा राष्ट्रपति का शासन कितनी ही अच्छी प्रकार से क्यों न चलाया जा रहा हो, वह शासन लोकतंत्रीय उत्तरदायी सरकार का स्थान नहीं ले सकता। केरल की जनता यही सोचती होगी कि उसे लोकतंत्रीय उत्तरदायी सरकार से वंचित रखा जा रहा है। अतः सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि केरल में राष्ट्रपति के शासन को आवश्यकता से अधिक समय के लिये जारी नहीं रखा जाये।

सरकार ने सभी सम्भावनाओं पर विचार किया है और सभी सम्बन्धित बातों पर विचार करने के पश्चात सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि केरल में राष्ट्रपति के शासन की अवधि को और 6 महीने के लिये बढ़ाया जाये। सरकार ने ऐसा निश्चय इसलिये किया है कि यदि वर्तमान उद्घोषणा की समाप्ति के तुरन्त बाद चुनाव कराये जायें तो सरकार के विचार में कोई भी राजनैतिक दल निश्चित रूप से नहीं जीत सकता।

यदि यह भी मान लिया जाये कि सरकार की यह राय गलत है और यह उद्घोषणा समाप्त हो जानी चाहिये तो भी मान्सून वर्षा की समाप्ति तक अर्थात अक्तूबर-नवम्बर, 1966 तक नये चुनाव कराना सम्भव नहीं है। यह देखते हुए कि फरवरी 1967 में आम चुनाव होने वाले हैं, केरल में उन चुनावों से पहले चुनाव कराना लाभदायक नहीं होगा। अतः इन परिस्थितियों में, मैं यह संकल्प बड़ी अनिच्छा से प्रस्तुत कर रहा हूं।

इस वर्ष के दौरान हम लगभग पांच बार केरल के सदस्यों से मिले हैं और इनमें से दो बार हमने त्रिवेन्द्रम में ही सलाहकार समिति की बैठक कराई है ताकि समिति के सदस्य स्थानीय समस्याओं के बारे में जान सकें और स्थानीय लोगों से विचार विमर्श कर सकें। अनाज, सिंचाई तथा विद्युत् के क्षेत्र में केरल के आर्थिक विकास सम्बन्धी एक दर्जन से अधिक विधेयकों पर चर्चा की गई। विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा के लिये समिति ने खाद्य मंत्री, रेल मंत्री, योजना आयोग के उप-अध्यक्ष और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री से बातचीत की।

इन सब वर्षों में केरल सरकार के सम्मुख जो चिन्ताजनक तथा महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है वह सरकारी वन भूमि पर अनधिकृत कब्जे की समस्या का है। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, इस मामले की जांच के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। उसकी रिपोर्ट आ गई है और सरकार के विचाराधीन है। इससे जो निर्णय निकलेगा वह नीति सम्बन्धी निर्णय होगा और इस पुरानी समस्या के हल करने के लिये एक राज्य नीति बनाई जायगी। परन्तु यह भी निर्णय किया गया है जब तक रिपोर्ट पर विचार समाप्त नहीं हो जाता, स्थिति ऐसे ही रहने दी जायेगी और किसी को भी बेदखल नहीं किया जायेगा। यदि किसी परियोजना के लिये भूमि अर्जित की जायेगी तो स्वाभाविक है कि बेदखली करनी पड़ेगी परन्तु अनधिकृत कब्जे के कारण नहीं। परियोजना के लिये भूमि शीघ्र ही अर्जित की जा सकती। समिति के निर्णय तक स्थिति को ऐसे ही रहने दिया जायेगा और किसी को बेदखल नहीं किया जायेगा। अन्य प्रश्नों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अगले दो दिनों में केरल राज्य के बजट पर चर्चा के दौरान इन पर विचार किया जा सकेगा। मेरा संकल्प केरल राज्य में राष्ट्रपति के शासन को और 6 महीनों के लिये जारी रखने के पक्ष में है।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। यह बड़े खेद की बात है कि केन्द्रीय सरकार ने लोकतंत्र का आधार बनने की बजाय स्वयं को तानाशाही तथा अत्याचारी सरकार बना लिया है। सरकार यह कहती है कि वह अत्याचार तथा तानाशाही नहीं पसंद करती परन्तु वास्तव में जो कुछ वह कह रही है वह एक तानाशाह ही कर सकता है। इससे यह पता चलता है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल को आम चुनावों में और राज्यों में भी बहुमत प्राप्त हो जाता है या कुछ मतों से ही सफलता मिल सकती हैं तब ही वह लोकप्रिय संस्थाओं को कार्य करने देगी अन्यथा नहीं। यदि उनका बहुमत नहीं है तब भी उन्होंने कार्यकारी बहुमत बनाने के लिये शक्ति को दूसरे दलों के सदस्यों में बांटने तथा बेचने का यत्न किया है और सरकार को चलाने का यत्न किया है। जब वह असफल हो गये तो उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था का आश्रय लेकर लोकप्रिय तथा उत्तरदायी सरकार को समाप्त कर दिया।

सरकार ने केरल राज्य में बहुमत प्राप्त करने के जो निष्फल प्रयत्न किये हैं उसके लिये उसकी निन्दा की जानी चाहिये। केरल राज्य के वामपंथी साम्यवादी नेताओं को सरकार ने अनुचित रूप से जेल में डाला है। सरकार ने ऐसा कदम उठा कर बहुमत की आशा की थी। परन्तु केरल की जनता ने इन लोगों के विरुद्ध सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं किया और फिर उन्हीं नेताओं को विधान सभा के लिये चुन लिया।

सरकार लोगों को गद्दार समझती थी। परन्तु अब उन लोगों को छोड़ दिया गया है। इससे पता चलता है कि जो कदम उस समय सरकार ने उठाये थे वह स्वयं सरकार द्वारा ही उचित नहीं समझे गये हैं।

तीसरी बात यह है कि सरकार इस समय चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती। जब सरकार ने ऐसी ही परिस्थितियों में पिछले आम चुनावों से पहले उड़ीसा में चुनाव कराया था तो केरल राज्य में चुनाव न कराने का कोई कारण नहीं है। वह अपना बहुमत बनाने के लिये कुछ और समय चाहती है। इस काल में सरकार राज्य के लिये कोई विकास कार्य इत्यादि नहीं करना चाहती। सरकार निधियों, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का गैर-जुम्मेदार ढंग से उपयोग कर के अपने दल का ही भला करना चाहती है। हम सरकार को ऐसा नहीं करने देना चाहते।

इस दौरान में केरल राज्य के विकास में भी बाधा हो रही है। यदि वहां पर कोई उत्तरदायी सरकार होती तो वह केन्द्रीय सरकार से बातचीत करके अपने राज्य के विकास के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक वर्ष की योजना को मंजूर करा सकती थी। किसी और राज्य में नहीं बल्कि केवल केरल में बिजली की कटौती के कारण उद्योगों को हानि उठानी पड़ रही है। इस कारण उद्योग कुल क्षमता की तुलना में केरल 50 प्रतिशत तक कार्य कर रहे ह। इसके कारण 50,000 मजदूर बेकार हो गये हैं और मालिक इनको जबरी छुट्टी का मुआवजा दे रहे हैं। यदि केरल में लोकशासन होता तो यह जो कुछ वहां हो रहा है, नहीं होता।

सरकार तथा माननीय मंत्री अपने पक्ष में केवल एक ही बात कह सकती है और वह यह है कि किसी भी एक दल के लिये किसी भी एक दल द्वारा बहुमत प्राप्त करने की आशा नहीं थी। परन्तु किसी एक दल द्वारा बहुमत प्राप्त करने तक सरकार को प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। वह एक सर्वदलीय सरकार बना सकती है। इस प्रकार की सरकार का स्विटजरलैंड में उदाहरण मिलता है। इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ऐसी सरकार शीघ्रतापूर्ण निर्णय नहीं ले सकती। परन्तु यह सरकार ही केरल राज्य के बारे में क्या निर्णय ले रही है?

आज केरल में किसी प्रकार का विकास नहीं चल रहा है।

अब सब नेता रिहा कर दिये गये ह। यदि सरकार अब भी वह संयुक्त सरकार नहीं बना सकती तो यह निश्चय है कि वह लोकशासन तथा लोकतंत्र की शत्रु है। 1967 के चुनाव तक संयुक्त सरकार को ही कार्य चलाना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री रंगा से सहमत हूं और इस संकल्प का विरोध करता हूं। सरकार ने केरल के बारे में जो निर्णय लिया है वह केरल के लोगों के किसी दोष के कारण नहीं बल्कि इसलिय लिया है कि सरकार शक्ति की आदी हो गई है। और शक्ति से चिपटी रहना चाहती है। देश के सत्तारुढ़ दल में यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है।

श्री हाथी ने कहा है कि वह बड़ी अनिच्छा से इस संकल्प को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब उन्होंने यह कहा कि अपने साथियों की तरह वह संसदीय प्रणाली की सरकार में विश्वास रखते हैं तो मुझे बहुत हंसी आई। मेरी समझ में नहीं आता कि जब श्री हाथी इस संकल्प को अनिच्छा से प्रस्तुत कर रहे हैं तो केरल राज्य में ऐसी नीतियों को क्यों अपनाते हैं जो न केवल प्रजातंत्र बल्कि शिष्टाचार के भी विरुद्ध हैं। सरकार ने 1959 में केरल की साम्यवादी सरकार को हटाकर जो ग़लती की है उसका दंड वह अभी तक क्यों उठाना चाहती है? उसी समय से उनके अन्त: करण को शान्ति नहीं मिली है और न वे देश को अथवा अपने आप को इस बारे में सन्तुष्ट कर पाये हैं कि केरल राज्य में जो कुछ भी किया जा रहा है, वह ठीक किया जा रहा है।

माननीय मंत्री अब यह चाहते हैं कि केरल में राष्ट्रपति का शासन और 6 महीने के लिये बढ़ाया जाय। इस सम्बन्ध में वह संविधान के अनुच्छेद 356 का सहारा ले रहे हैं। सरकार संविधान के आपातकालीन उपबन्धों पर अब तक निर्भर करेगी? यह उपबन्ध उसी प्रकार के हैं जैसे स्वाधीनता से पूर्व भारत सरकार के 1935 के अधिनियम की धारा 45 और 93 थीं। केरल में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?

संविधान के अन्त:कालीन उपबन्धों में भी अधिकतम अवधि तीन वर्ष रखी गई है। यह सरकार तीन वर्ष से अधिक समय से आपातकाल की घोषणा को जारी रखे हुए है। सरकार ने आपातकाल की भावना का खाद्यान्न, आर्थिक पुनर्गठन आदि की समस्याओं के लिये तथा आर्थिक प्रगति के लिये प्रयोग नहीं किया है। सरकार ने इसका प्रयोग सारे भारत में अपनी शक्ति को बनाये रखने तथा अपने विरोधियों को दबाने के लिये किया है। सरकार नहीं चाहती कि कोई अन्य दल चाहे वह साम्यवादी ही हो, सरकार की कमजोरी का लाभ उठा कर उसे उखाड़ फेंके।

श्री रंगा ने उड़ीसा का उदाहरण ठीक ही दिया है। इस बात का कोई कारण नहीं है कि केरल में छ: महीनों तक चुनाव न कराये जायें। ब्रिटेन में तीन सप्ताह में चुनाव कराये गये थे। यह सब टाल-मटोल है और वह भी बुरे उद्देश्य से की जा रही है।

जो कुछ श्री हाथी ने कहा है उससे कांग्रेस की गतिविधियों में सिद्धांतहीनता का पता चलता है। उनका यह कहना ठीक नहीं है कि कोई भी दल बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता है। सरकार बनाने के लिये हम वामपक्षी साम्यवादियों के साथ मिलने के इच्छुक हैं। इसके अतिरिक्त अन्य दल भी सरकार बनाने के लिये मिलने को तैयार थे। अत: सरकार का यह कहना गलत है कि कोई दल बहुमत नहीं प्राप्त कर सकता। सत्तारूढ़ दल ने ऐसा विचार सत्तारूढ़ बने रहने के लिये बताया है। सरकार यह दावा करती है की उसने केरल में बहुत ही संतोषजनक प्रशासन स्थापित किया है। परन्तु वहां कुछ और ही हो रहा है। इस समय केरल के अराजपत्रित अधिकारी युद्ध के पथ पर हैं। वे कई महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं। वे 24 मई को हड़ताल करने जा रहे हैं क्योंकि वेतन आयोग की सिफ़ारिशें निराशाजनक है और सरकार अभी तक उन्हें दबाने का विचार कर रही है। सरकार समस्याओं को सुलझाने की बजाय लोगों को दबाना जानती है। सरकार का यह अत्याचारी रवैया ठीक नहीं है।

अध्यापक भी 22 जून से हड़ताल करने जा रहे हैं। महाविद्यालयों के अध्यापकों को बहुत समय से बहुत कम वेतन मिल रहा है। उनको आश्वासन दिया गया था कि उन्हें अखिल भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन-क्रम दिये जायेंगे परन्तु उनको दिये जाने वाले आश्वासन अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं।

[श्री० ही० ना० मुकर्जी]

केरल में लगातार राजनैतिक अस्थिरता के कारण लोगों में यह भावना उत्पन्न हो गई है कि समय-समय पर चुनाव करने से किसी के लिये परिणाम प्राप्त करना संभव नहीं है। परन्तु केरल में राष्ट्रपति के एक वर्ष के शासन के पश्चात सभी लोग यह महसूस करते हैं कि वहां पर यथाशीघ्र लोकतंत्रात्मक संस्था को स्थापना होनी चाहिये।

केरल में मूलनीति के प्रश्नों का निर्णय वे लोग करते हैं जो केवल क्रियान्वित करने वाली 'एजेन्सी' से अधिक कुछ नहीं हैं। वहां नौकरशाही खूब फल-फूल रही है। मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि राज्यपाल ने कहा है कि वह नीति सम्बन्धी निर्णय लेने का अधिकार रखते हैं। हो सकता है मुझे गलत सुना हो।

केरल के बारे में जो संसदीय समिति है, वह प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति तथा अन्य समितियों की भांति ही है परन्तु इस समिति के प्रतिवेदन को संसद के सम्मुख क्यों नहीं रखा गया है? संसद केरल की देखभाल किस प्रकार कर रहा है?

यह स्पष्ट है कि केरल सम्बन्धी समिति स्वतन्त्र वातावरण में कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार से देश में अच्छे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती।

इस आपात को निरन्तर चालू रखा रहना हम अधिक देर तक सहन नहीं कर सकते। केरल में राष्ट्रपति का शासन भी लोगों के लोकतंत्रीय अधिकारों से खिलवाड़ है। यदि उड़ीसा में हमारी सरकार चुनाव करवा सकती थी तो केरल में भी करवा सकती है। हमारी सरकार ने वाम पंथी साम्यवादियों को देशद्रोही कह कर जेलों में डाला और आज उन्हें मुक्त किया जा रहा है। अच्छा ही है कि आखिरकार सरकार ने जनता के दबाव को स्वीकार किया है। मैं यह बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि यदि चुनाव होते तो वामपंथी लोग फिर चुन लिए जाते। इससे पूर्व कि सदस्यों को एक बार मिलने, शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञा करने का अवसर दिया जाता विधान सभा को भंग करना बहुत ही अलोकतंत्रीय कार्य था। सरकार इस पथ पर काफी काल से चल रही है, देश को यह रास्ता स्वीकार नहीं है। आशा है कि आने वाले आम चुनावों में जनता इस प्रकार की सरकार को पिछाड़ फेकगी।

श्री रवीन्द्र वर्मा (तिरूवल्ला) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे कि यह गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है। हम सब ही लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। और राष्ट्रपति शासन लोकप्रिय शासन का विकल्प कभी भी नहीं हो सकता। हम यह जानते हैं कि हमारे संविधान का आधार लोकतंत्र है। लोकतंत्र की बात केवल विरोधी पक्ष के लोगों को ही समझ में नहीं आती, हमें भी आती है। केवल विरोध करने से ही काम नहीं चलता। यह कहना बिल्कुल गलत है कि सरकार ने अपने व्यवहार से यह व्यक्त किया है कि वह केवल उसी हालत में चुनाव कराने को तैयार होगी जब उसे विश्वास हो जायेगा कि कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ होगी। यह भी तथ्य है कि केरल में एक से अधिक बार गैर-कांग्रेसी सरकारें बनी है। और भी बहुत से राज्यों में गैर-कांग्रेसी दल सत्तारूढ़ हुए थे। और केरल में तो ये चुनाव आपातकालीन स्थिति में हुए थे। सरकार की इच्छा होती तो चुनाव स्थगित हो सकते थे। परन्तु सरकार ने यह नहीं किया पर बाद में उसे राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। स्थिति यह निर्माण हुई कि वहां कोई एक दल अथवा कुछ दल मिल कर विधान सभा में बहुमत नहीं प्राप्त कर सकते थे। प्रोफेसर रंगा की इस बात में भी कोई तुक नहीं कि सरकार वामपंथी साम्यवादियों से बड़ा नर्म व्यवहार कर रही है और साथ ही यह भी कहा कि सरकार बहुमत प्राप्त करने के लिए इन लोगों को जेलों में डाल रही है।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह बात बिलकुल निराधार है कि सरकार ने वामपंथियों को कारावास में डाल कर विधान सभा में बहुमत प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें इस बात को स्पष्ट देखना चाहिए कि वामपंथियों की गिरफ्तारियां सारे देश में ही हुई है। वह तो मामला ही दूसरा है। यह तर्क भी सारहीन है कि लोगों ने वामपंथियों को मत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि वे सरकार का वामपंथियों

को गद्दार कहना उन्हें पसन्द नहीं है। हमें इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि चुनाव इस विषय पर नहीं लड़े गये थे। सरकार ने यह बात कभी भी नहीं कही थी कि वामपक्षी साम्यवादियों की गिरफ्तारी के समय जो सन्देह था वह इस सूचना पर आधारित था। इसके विपरीत सरकार की स्थिति तो इस बारे में यह थी कि हालात बदल गये है और देश पर हमले का खतरा काफी कम हो गया है, अतः सरकार ने इन लोगोंको मुक्त करना स्वीकार कर लिया है। यह बात बिल्कुल नहीं है कि सरकार ने अपने शब्द वापिस ले लिये हैं। वास्तविक बात यह है कि श्री रंगा और श्री मुकर्जी के सम्मुख प्रत्येक समय आने वाले चुनाव रहते हैं। वे इसी चिन्ता में है कि कांग्रेस को आने वाले चुनावों में बहुमत नहीं मिलना चाहिये।

श्री रंगा तो हमेशा ही यह कहते रहे हैं कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त नहीं होगा, और समय समय पर वह कांग्रेस को चेतावनी देते रहते हैं। हम तो वास्तव में चाहते हैं कि कोई दल कहीं पदासीन हो। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि स्विटजरलैंड की तरह के प्रशासन को केवल एक राज्य में ही लागू नहीं किया जा सकता। देश के लिए यह स्थिति तो बहुत ही भयंकर होगी कि यदि भविष्य में बहुत से राजनीतिक दल बन जाते हैं और कोई भी दल अथवा बहुत से दल मिल कर स्थायी सरकार के लिए बहुमत प्राप्त नहीं करते है। इस प्रकार की विकट स्थिति पर सारे देश को बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। इस बात को तो स्वीकार करना होगा कि साम्यवादी मंत्रिमंडल को हटाना बहुत ही अपराधवाली बात है। परन्तु यह बात गलत है कि इस तरह के अपराधों से कांग्रेस को लाभ हो रहा है। घटनाओं के विश्लेषण से यह बात सिद्ध नहीं होती। यह बात भी रिकार्ड पर है कि लोकतंत्र का पूर्णतया उल्लंघन करके जब साम्यवादी सरकार हटाई गयी तो उसके बाद वहां एक सरकार बनी जो पूरी अवधि तक चलती रही।

संसद ने केरल राज्य के लिए आय-व्ययक पारित किया है। यह भी एक तथ्य है कि केरल सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च की लोक-लेखा समिति ने कई बार छानबीन की है। यह उस हालत में जब कि वहां पर कोई लोकप्रिय सरकार काम नहीं कर रही। अतः कुछ माननीय सदस्यों का यह कहना निराधार है कि केरल में जो कुछ खर्च हो रहा है उस पर कोई संसदीय नियन्त्रण नहीं है। इस संदर्भ में मुझ यह भी निवदन करना है कि परस्पर परामर्श से सलाहकार समिति के कार्यक्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। यह उचित ही है कि संसदीय सलाहकार समिति के प्रतिवेदनों को सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए। अतः यह बात स्पष्ट है कि पिछली सलाहकार समिति के विपरीत वर्तमान सलाहकार समिति ने केरल राज्य के लोगों के लगभग सारे मामलों पर विचार किया है। जो भी स्थिति राज्य में चल रही थी उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि स्थिति के अनुसार हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था कि वहां राष्ट्रपति का शासन जारी रखा जाये।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : जो स्थिति केरल में है, उसे देखते हुए राष्ट्रपति के शासन के अतिरिक्त वहां कोई चारा नहीं। राष्ट्रपति का शासन वहां कुछ समय और चलना चाहिए। सिद्धान्त रूप में यह ठीक है कि राष्ट्रपति का शासन साधारण परिस्थितियों अथवा राजनीतिक लाभ के मामले के रूप में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पंजाब में भी राष्ट्रपति के शासन के बारे में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। एक बात यह है कि जब एक राज्य विधान मंडल में किसी राजनीतिक दल का बहुमत होता है तो इस बात का कोई कारण नहीं है कि राष्ट्रपति का शासन केवल अन्तरिम कठिनाइयों को ही हल करने के लिए किया जाना चाहिए।

मेरा कहना है कि यदि हम लोकतंत्रीय आदर्शों की आकांक्षा रखते हैं तो इस प्रकार की स्थिति के फलस्वरूप हमें दुःख होना चाहिये। राष्ट्रपति शासन लागू करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हमें जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हमेशा अपना अधिकार समझना चाहिए कि हम समस्याओं को हल करें। कुछ भी हो जाय कोई आसमान से आ कर तो हमारी समस्याओं को हल नहीं करेगा। यदि

[श्री अ० ना० विद्यालंकार]

इंग्लैंड में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय जबकि संसद में किसी दल का बहुमत न हो तो राजा और रानी को संसद को भंग करके नये चुनाव कराने की सिफारिश करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

अठासीवां प्रतिवेदन

श्री ओनारायण दास (दरभंगा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठासीवें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अठासीवें प्रतिवेदन से, जो 5 मई, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

आपात की उद्घोषणा तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : PROCLAMATION OF EMERGENCY AND DEFENCE OF INDIA ACT

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी द्वारा 22 अप्रैल, 1966 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर और आगे चर्चा करेंगे :—

"यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि वह आपात की उद्घोषणा का प्रतिसंहरण करने और भारत प्रतिरक्षा अधिनियम का निरसन करने के लिए अविलम्ब कार्यवाही करे।"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : इस आपात में और कुछ हुआ हो अथवा न एक बात जरूर देखने में आई है कि शक्ति बहुत सी राज्य सरकारों और मुख्य मंत्रियों के हाथों में चली गई है। यह बात सचमुच बड़े आश्चर्य की है कि आपातकाल तथा भारत रक्षा नियमों के सम्बन्ध में भी भारत सरकार ठीक प्रकार से निर्णय नहीं कर पा रहीं। आपात काल के अन्तर्गत जो अधिकार राज्य सरकारों को दिये गये हैं, उससे वह बहुत प्रसन्न है। अतः वे इन प्राप्त अधिकारों को छोड़ने में काफी संकोच से काम ले रही है। आज सारे देश में आपात काल को समाप्त करने की मांग हो रही है परन्तु आपातकाल के प्रति सरकारी नीति के बारे में गृह-कार्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, उससे पता चलता है कि वह देश में आपात को किसी न किसी रूप में जारी रखने के पक्ष में है। यह बात भी बड़ी स्पष्ट है कि जब जब भी देश में विषम तोड़-फोड़ की स्थिति पैदा हुई तो सरकार को उसका सामना करने के लिए अपेक्षित अधिकार दिये, परन्तु आपात को स्थायी रूप से जारी रखना तो आवश्यक सिद्ध नहीं किया जा सकता।

यह बात तो सही है कि सीमाक्षेत्रों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो देश के हित की दृष्टि से खतरनाक कार्यवाहियां करते हैं परन्तु उनका मुकाबला करने के लिए देश का प्रचलित कानून बहुत काफी है। मेरे विचार में ऐसा करके हम संविधान के आशय के भी विरुद्ध जा रहे हैं। संविधान में इस बात की बिलकुल स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि केवल गम्भीर स्थिति में ही आपातकाल की घोषणा होनी चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि यदि हम सचमुच चाहते है कि देश में स्वस्थ रूप में लोकतंत्र का विकास हो तो

अब समय आ गया है कि सारी स्थिति पर बहुत ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। यदि सरकार का यह विचार है कि वर्तमान विधि के अन्तर्गत इसे नहीं निपटा जा सकता तो इस प्रकार के विधान का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के तत्वों का मुकाबला करने के लिए स्थायी रूप से निपटा जा सके। परन्तु जो कुछ श्री नन्दा इस संदर्भ में कह रहे हैं वह बिलकुल दूसरी बात है। उनके वक्तव्य के अनुसार देश में एक क्षेत्र में अपराध की जो स्थिति होगी वह दूसरे क्षेत्र में नहीं होगी। विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की स्थिति भिन्न भिन्न होगी।

जो वक्तव्य मंत्री महोदय ने दिया है उसके अनुसार केवल कुछ क्षेत्रों में ही आपातकाल जारी नहीं रहेगा, प्रत्युत सारे देश में ही कायम रहेगा। आज राज्यों में बहुत ही साधारण मामलों में भी भारत रक्षा नियम प्रयोग में आ जाते हैं। राज्य सरकारें आपात की सभी शक्तियों का खुलेआम प्रयोग कर रही है। असैनिक प्रशासन हर छोटी सी घटना पर सेना को बुला लेते हैं। इससे लोग न केवल अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित हो रहे हैं, प्रत्युत यह भावना तीव्र हो रही है कि देश का असैनिक शासन असफल हो गया है। लगता यह है कि शायद सरकार अगले चुनाव तक आपातकालीन स्थिति को कायम रखे। वह लोगों को पूरी तरह आतंकित करके यह विचार देना चाहती है कि देश में यही हालत रही तो स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नितान्त असफल हो जायेंगे।

देश में सर्वत्र, और संसद में यह आम राय है कि आपात को और नहीं बनाये रखा जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध यह है कि संसद को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए और इस संकल्प को जो कि हमारे समक्ष है एक मत से स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें सरकार को कहना चाहिए कि वह आपात स्थिति को अविलम्ब समाप्त करने की घोषणा करे और नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों को पुनः बहाल करे। मुख्य मंत्री चाहे कुछ भी क्यों न कहते रहे हमें इस बारे में अपना निर्णय लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी और डा० सिंघवी यहां नहीं हैं। अतः प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों ही सदन के समक्ष है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : सभी इस बात से सहमत हैं कि जिस समय आपात-काल की घोषणा की गई थी वह इसके लिये उचित था और जहां केन्द्र ने इसका उचित प्रयोग किया वहां कई राज्य सरकारों ने इन अधिकारों का अनुचित उपयोग करके जनता को इनके विरुद्ध कर दिया। म यहां अपने राज्य की सरकार की कुछ कार्यवाहियों की ओर संकेत करता हूं। वहां उन ईमानदार राजनैतिक तत्वों का, जो भारत के प्रति निष्ठ हैं और जो कई वर्षों से देश के हित के लिये कार्य कर रहे ह, भारत रक्षा नियमों द्वारा दमन किया गया और उन्हें जेलों में डाल दिया गया। यद्यपि इन नियमों को क्रियान्वित करना केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है परन्तु फिर भी उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन द्वारा राज्य सरकारें कोई अनुचित लाभ न उठा पातीं और इनका पालन उसी भावना से किया जाता जिस भावना से इन्हें बनाया गया था।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि गुप्तचर सेवायें, विशेषकर जम्मू और काश्मीर में सरकार की असफलता का कारण बनी हैं। समय आ गया है जब माननीय मंत्री को इस संबंध में काफी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। प्रतिरक्षा मंत्री ने सेना की गुप्तचर सेवाओं में काफी सुधार किया है और इसके लिये वह बधायी के पात्र हैं। विश्वभर में इन सेवाओं में सुधार किये गये हैं परन्तु हमारे देश में इनके प्रति अभी तक वही पुराना पुलिस वाला दृष्टिकोण अपनाया जाता है। यहां इस सेवा का वैज्ञा-निक ढंग अपना कर आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये।

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

लोकतंत्रात्मक ढांचे में मंत्री, जनता और प्रशासन के बीच सम्पर्क स्थापित करने का कार्य करते है इसलिये दोनों को मिलकर ईमानदारी से कार्य करना चाहिये। इसी प्रकार देश की सच्ची सेवा हो सकती है। मंत्रियों तथा सरकार को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिये उचित प्रथायें बनानी चाहिये।

सरकार ने एक प्रकार से जो आपातकाल की स्थिति को समाप्त करने की घोषणा की है वह एक बहुत ही उचित और उत्साह का काम है। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में इसे लागू रखने का भी मैं पूरा समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही मैं चाहता हूं कि इस घोषणा और इन नियमों का उपयोग राजनैतिक मनोर्थों की सिद्धि के लिये कदापि नहीं किया जाना चाहिए।

श्री दाजी (इंदौर) : मैं श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी के संकल्प का समर्थन करता हूं और मेरे विचार में आपातकाल को स्थिति को एक मिनट भी और बनाये रखना अनैतिक, कानूनी तौर पर असंवैधानिक और राजनैतिक तौर पर लोकतंत्र के विरुद्ध है। चीन के आक्रमण के समय जिन राजनैतिक दलों ने इस उद्घोषणा के लिये सरकार का समर्थन किया था वही अब इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, इसलिये इसे बनाये रखने का कोई नैतिक आधार नहीं है। वह सभी राजनैतिक दल जिन्होंने भारत रक्षा नियमों का अनुमोदन किया था गैर-जिम्मेदार नहीं कहे जा सकते।

स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के विपरीत इन नियमों का प्रयोग राजनैतिक विरोधियों का दमन करने के लिये किया गया है। स्वयं मुझे गेंहू के दाम में बढ़ोतरी किये जाने का विरोध करने के लिए बन्दी बनाया गया और बम्बई में भंगियों की हड़ताल फैल करने के लिये भी इन्हीं नियमों का प्रयोग किया गया। वह बात दूसरी है कि यह हड़ताल सफल रही और सरकार को बातचीत करनी पड़ी। इसलिये सरकार यह दावा नहीं कर सकती कि इन नियमों का कभी दुरुपयोग नहीं किया गया। संवैधानिक रूप से आपातकालीन स्थिति की घोषणा, चाहे वह किसी खतरे के कारण चाहे यह खतरा कितना ही शीघ्र उत्पन्न होनेवाला ही क्यों न हो, उचित नहीं ठहरायी जा सकती। इसे उचित तभी ठहराया जा सकता है जब यह स्थिति वास्तव में पैदा हो जाये जिसमें आन्तरिक अव्यवस्था त ा विदेशी आक्रमण के कारण असैनिक प्रशासन सामान्य रूप से चला पाना संभव न हो। गृह-मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायोचित सिद्ध करने के लिये वास्तव में कोई राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति नहीं है, अतः इसे जारी रखना असंवैधानिक है। संवैधानिक रूप से आपातकालीन स्थिति के दो प्रभाव होते हैं—एक नागरिक के अधिकारों में कटौती और दूसरे राज्यों के अधिकारों में कटौती। जब वास्तव में ऐसी स्थिति न हो तो कोई भी सरकार अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती।

आश्चर्य है कि आपातकाल की घोषणा करते समय विरोधी दलों की सलाह ली गई थी परन्तु इसे हटाते समय राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सलाह ली जा रही है। मुख्य मंत्रियों से भला यह आशा कैसे की जा सकती है कि वह अपनी ही शक्तियों को घटाने की किसी बात का समर्थन करें ? यह नियम तो उन्हें लंगड़े की लाठी का काम दे रहे हैं और उन्हें इनकी लत पड़ गई जान पड़ती है। सरकार को अब यह समझ लेना चाहिये कि ऐसे ओच्छे अस्त्रों से अब वह लोकप्रिय आंदोलनों का दमन नहीं कर पायेगी और न ही इनके द्वारा लोगों से सरकार के राजनैतिक पृथक्करण को रोका जा सकता है। अन्त में मुझे यही कहना है कि लोकतंत्र तथा नागरिकों के मूल अधिकारों के नाम पर आपात स्थिति को तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिये और मैं आशा करता हूं कि अगले चुनाव होने से पूर्व इन्हें अवश्य वापिस ले लिया जायेगा और जनता के मूल अधिकार उन्हें पुनः वापिस मिल जायेंगे।

Shri Shree Narayan Dass : No lover of democracy would differ from the idea behind the resolution now before the House. Though it was necessary to promulgate the D.I.R. at the time of Chinese Aggression in 1965 and there continuance was also amply justified by Pakistani aggression in 1965. But whereas the

fundamental rights are the bed-rock of democracy but when democracy itself is imperilled we might have to curtail them to tide over the crisis created by a foreign aggression or internal disruption.

We have now to examine the situation in the context of continuation of emergency or not. We find that while external danger from China and Pakistan continues to exist, we are threatened with internal danger from Nagas and Mizos in the East. In my opinion it is wrong to say (as the mover has chosen to point out) that Government wants to continue such a situation and hold the coming General Election under its umbrella. Also, when once Government have allowed unprecedented liberty of thought and expression as also of action to various opposition parties it is wrong to surmise that now it would put fetters on the activities of opposition parties and hold election under the shadow of D.I.R. and emergency which would hardly be free and fair.

In the light of what the hon. Home Minister has said, we now feel that we need not press for the total lifting of emergency and scrapping the D.I.R. because he has assured the House that these powers would be exercised in those areas only where there is internal disruption and threat of foreign agression.

With these words, I would request the hon. Minister to accept my substitute resolution.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैं अपना स्थानापन्न संकल्प प्रस्तुत करने के लिये आपकी विशेष अनुमति के लिये प्रार्थना करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं अपना स्थानापन्न संकल्प संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि भारत रक्षा नियमों का बहुत ही अनुचित प्रयोग किया जाता रहा है और पटना उच्च न्यायालय ने भी वहां की राज्य सरकार के विरुद्ध यही आरोप लगाया है। इन नियमों का प्रयोग जहां कार्मिक संघ के नेताओं, समाचारपत्रों के संपादकों और दूसरे बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध किया गया है वहां वास्तव में जिनके कारण यह नियम बनाये गये थे उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है--यहां मेरा संकेत वामपक्षीय साम्यवादियों से है। बहुत से मामलों में न्यायालयों ने इन नियमों के अन्तर्गत जारी किये गये सरकारी आदेशों को अवैध ठहराया है और अब जबकि ताशकन्द समझौता हो गया है और वास्तव में आपात की स्थिति समाप्त हो गई है तो इन्हें लागू रखना संविधान के साथ धोखा है। यह "संवैधानिक तानाशाही" न होकर "असंवैधानिक तानाशाही" कही जा सकती है।

आपात की उद्घोषणा करने के साथ ही कार्यपालिका को तानाशाही अधिकार मिल जाते हैं और मूल मानवीय अधिकार छीन लिये जाते हैं। इसलिये मेरा कहना है जब तक स्थिति वास्तविक रूप से अपात की न हो ऐसा कभी नहीं होना चाहिये और अब स्थिति ऐसी नहीं है जब यह नियम लागू रखे जा सकें क्योंकि अब सरकार ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है और हम इसे क्रियान्वित करने जा रहे हैं।

वास्तव में राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इन नियमों से बहुत अनुचित लाभ उठाये हैं और अब वे नहीं चाहते कि इन्हें समाप्त किया जाये और जैसा श्री द्विवेदी ने कहा कि इस समय

[श्री नि० चं० चटर्जी]

देश में दो प्रकार के लोग हैं--एक वे जिन्हें मूल अधिकार प्राप्त हैं और दूसरे वे जिनसे ये अधिकार छीन लिये गये हैं। किसी भी देश में यह स्थिति खतरनाक हो सकती है।

जैसा हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति ने एक मामले में निर्णय देते समय कहा था कि "मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वे यह सब कानून मूल अधिकारों के विरुद्ध बना रहे हैं और संविधान के अधीन ये गैर-कानूनी है और इनके हटते ही सरकार को कई असंवैधानिक कार्यों के लिये दोषी ठहराया जायेगा।"

अब जबकि हम ने पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया है और चीन से भी आक्रमण का निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है, इसलिये मैं पूरा बल देकर कहता हूं कि आपात की उद्घोषणा और भारत रक्षा नियमों को पूर्णरूपेण हटा लिया जाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मेरे पूर्व वक्ता मूलभूत अधिकारों का सैद्धान्तिक स्वरूप ही हमारे समक्ष प्रस्तुत करते रहे है। जैसे किसी कालिज की श्रेणी में राजनीति के सिद्धान्तों पर चर्चा हो रही हो। मुझे लगता है कि श्री द्विवेदी का संकल्प किसी ने पढा नहीं। वह तो स्वयं ही यह चाहते हैं कि आपात को पूरी तरह न हटाया जाय और एकदम भारत प्रतिरक्षा अधिनियम को समाप्त न किया जाय। मेरा इस दिशा में यह मत है कि आपातकाल को समाप्त करने की दिशा में हमारे गृह-कार्य मंत्री पग उठाते रहे हैं।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAM LAL SARAF *in the Chair*]

गृह-कार्य मंत्री ने यह कहा है कि आपात की व्यवस्था केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की जायेगी। अतः मेरा कहना यह है कि आपात की उद्घोषणा को समाप्त करने के लिये उन्होंने एक बहुत ही बड़ा पग उठाया है। यह काम तो भारत सरकार के निर्णय करने का है कि भारत रक्षा अधिनियम को कब हटाया जाय। एक संवैधानिक प्रश्न भी समक्ष आया है कि संविधान में आपात को कोई मान्यता प्राप्त नहीं जो कि बाहर से आई हो। आपात बाहर से भी हो सकती है और भीतर से भी। आज तो सारे देश में अराजकता फैल रही है। और हो सकता है कि यह व्यापक असन्तोष बड़े भारी विस्फोट के रूप में सामने आ जाय।

देश में जो आज अशांति का वातावरण है, उसे कई एक तत्व भड़का रहे हैं। देश में जो हड़तालों और बन्धों का रोग चल रहा है वह बहुत ही पुरानी व्याधि के लक्षण है। एक बात आपको यह भी समझनी चाहिये कि आंतरिक व्याधि विदेशियों द्वारा फैलाई जाती है। आज जो देश में स्थिति है, उसके बारे में मेरा मत यह है कि देश में आपात को जारी रखना बहुत ही जरूरी है। जब देश में ऐसे तत्व हैं जो कि देश में निरन्तर गड़बड़ फैलाने को तैयार रहते हों तब आपात को बनाये रखना देश के सामूहिक हित के लिये बड़ा जरूरी है।

एक बात इस संदर्भ में मैं जरूर निवेदन करूंगा। वह यह कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि कई एक मुख्य मंत्रीयों ने भारत प्रतिरक्षा नियमों का अनुचित प्रयोग किया है। मैंने भी इस तरह के कुछ मामलों की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करवाया था। उन्होंने यह कह कर सारा मामला ठप्प कर दिया कि यह राज्य सरकारों का मामला है। मेरा निवेदन यह है कि यदि राज्य के मुख्य मंत्रियों ने भारत रक्षा नियमों का दुरुपयोग किया है तो उन मामलों पर विचार किया जाना चाहिये। मेरे विचार में गृह-कार्य मंत्री इस मामले की ओर ध्यान देंगे और इस दिशा में अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय : इस वाद-विवाद के लिए 4 बज कर 16 मिनट तक समय रखा गया है। उस समय के अन्दर ही इसे पूरा करना है।

श्री सेझियान (पेरम्बूर) : मेरा सुझाव है कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाये।

Shri Ram Sevak Yadav (Barabanki) : Several hon. members want to speak on it. I beg to move that time be extended.

श्री सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस संकल्प के लिये समय पौने पांच बजे तक बढ़ा दिया जाये।"

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पांच बजने में पांच मिनट तक।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस संकल्प के लिये समय पांच बजने में पांच मिनट तक बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मेरे विचार में कांग्रेस दल के भी अनेक सदस्य इस मत के हैं कि आपात को हटा दिया जाय। वे नहीं चाहते कि भारत रक्षा अधिनियम चलता रहे, परन्तु उन लोगों को किसी न किसी दबाव में ला कर सरकार के समर्थन के लिये राजी कर लिया जाता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय के कई वक्ता भी इस तरह के विधान को हटा देने के पक्ष में है। यह भी तथ्य है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय सभी विरोधी दलों ने भारत रक्षा नियमों को वापिस लिये जाने के पक्ष में एक मत से आवाज उठाई थी। राज्यों के मुख्य मंत्रीयों ने इस विधि के अन्तर्गत खूब मनमानियां की है। अतः आज की स्थिति को देखते हुए मेरा अनुरोध यह है कि गृह-कार्य मंत्री को यह संकल्प स्वीकार कर लेना चाहिये। इस बात को नहीं भूल जाना चाहिये कि राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत ऐसे अपराधों पर इन्हें लागू किया है जिनका आपात की स्थिति अथवा देशद्रोही विचारों तथा गतिविधियों से कोई सम्बन्ध नहीं था।

यह सही है कि आपात की स्थिति को हटाये जाने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है। परन्तु खेद का विषय यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने आपको इस स्थिति तक नीचे गिरा लिया है कि वह मुख्य मंत्रियों से परामर्श लिये बिना इस मामले में कोई पग नहीं उठाती। मुख्य मंत्री आपात का बड़ा काफी लाभ उठा रहे हैं अतः वे आपात तथा भारत रक्षा नियमों को हटाने के बारे में कैसे सहमत हो सकते है? वे लोग तो उसका लाभ उठाकर बिना किसी कठिनाई के वह किसी को भी जेल में डाल सकते है। मेरा अनुरोध है गृह-कार्य मंत्री बुद्धिमत्ता से काम लेंगे और इस सत्ता को समाप्त कर देंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : देश पर आक्रमण का प्रश्न तथा आन्तरिक सुरक्षा की समस्या किसी दल विशेष का सिरदर्द नहीं है। आपात की स्थिति का फैसला हमने सोच-विचार कर एक मत से किया था। मेरे विचार में यदि यह संकल्प कुछ महीने पहले आता तो बहुत अच्छा रहता। मेरे विचार में भारत रक्षा नियम तथा आपातकाल की स्थिति का अन्त उस वर्ष 20 अप्रैल को हो गया था जबकि कांग्रेस दल की कार्यकारिणी में इस पर चर्चा हुई थी और यह निर्णय किया गया था कि इसे समाप्त कर दिया जाय। इस विचार में इसका मुख्य मंत्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह निर्णय अखिल भारतीय आधार पर किया गया था। संसद ने इस बारे में जो परामर्श सरकार को दिया, उसे सरकार ने स्वीकार किया। परन्तु इसे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्य मंत्रियों पर था। अतः उनसे इस बारे में परामर्श करना बहुत जरूरी था। अतः मुख्य मंत्रियों के बारे में शिकायत करना ठीक नहीं कहा जा सकता। हमें सारी स्थिति को सन्तुलित रूप से देखना चाहिये।

[श्री हरिश्चंद्र माथुर]

संसद के रूप में हमारा यह उत्तरदायित्व है कि इस बात को देखें कि केन्द्रीय सरकार ठीक प्रकार के निर्णय करे। मेरा कहना यह है कि यह उचित ही होगा कि गृह-कार्य मंत्री इन सभी बातों पर तथा भारत रक्षा नियमों को तुरत हटाने के बारे में कठिनाइयों पर विचार करने के लिये तथा इस सम्बन्ध में कार्य प्रणाली का निर्णय करने के लिये विरोधी दल के नेताओं तथा अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ बातचीत करे। इस में कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में कुछ हो रहा है और जो भी कठिनाइयां है उनका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हमें इस समस्या को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हल करने का प्रयास करना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, on the 18th of March while putting forward my amendment to the Constitution, I pointed out certain incidents of misuse of power by the party in power. There were certain charges against the Home Minister of Maharashtra. The reply received by the Chie Minister of Maharashtra in this connection is very unsatisfactory. Changes are very serious and there should be independent inquiry to probe into this matter. Home Minister Shri Nanda should see that my charges are fully inquired into.

Under the Defence of India Rules vast powers are vested in the Home Ministers of Satates. People are simply horrified, they have lost the courage of saying spade a spade. People cannot afford to invite the wrath of those who are in the seat of power. People get demoralized like this and they are troubled if they don't act up to their wishes. On the one hand people are given this advice that they should observe fast on Monday and on the other hand we see that 4 to 5 thousand people eat lavishly on the occasion of the marriage of Home Minister's Son. How can such persons create an ideal for the common people to follow?

I don't see any reason to continue this emergency but to keep these people in the seats of power. I want to urge that such a situation should be done away with. I support the resolution put forward by Shri Dviwedy and appeal to the House that emergency and D.I.R. should be deleted from the Statute Book.

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा (खम्मम) : लोकतंत्र की रक्षा के लिये सरकार को कार्यवाही करनी होती है। यह कहा गया है कि पलिस सदा गोली चलाने के लिये लालायित रहती है। परन्तु यह बात देखने में आई है और इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिये कि किसी कठिन पर स्थिति में पुलिस को अपना काम करना पड रहा है। जनता की सम्पत्ति तथा जीवन रक्षा करते समय उन पर लोग टूट पड़ते हैं, उन्हें पत्थर मारते हैं और बुरी तरह से घायल कर देते हैं। हालांकि कि ये लोग लोगों की जीवन-रक्षा में ही लगे रहते हैं। आज देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि यह चाहता हो कि यह भारत रक्षा नियम जारी रखे जाये। यह भी तथ्य है कि इन को समाप्त करने के लिये पहले ही कुछ कार्यवाही की जा चुकी है। बहुत से नजरबन्द व्यक्तियों को पहले ही छोड़ दिया गया है। पर इस सन्दर्भ में जो समाचार सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहे है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आपात को समाप्त करना राष्ट्र के हित में नहीं है। यह आरोप भी निराधार है कि भारत रक्षा नियमों का गलत प्रयोग किया गया है।

केवल उन लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है जिन पर कि अवांछनीय गतिविधियों के आरोप है। श्री निम्बूद्रीपाद का वक्तव्य, कुछ लोगों के अपने हित के कारण है। पश्चिमी बंगाल में भी गड़बड़ हो रही है। चीन की प्रेरणा पर पश्चिमी बंगाल में पहले से बनाई गई

तोड़ फोड़ की बहुत सी गतिविधियां हो रही हैं। देश में आपात को हटाया जा सकता है, परन्तु इसका आधार वामपंथी साम्यवादीयों का व्यवहार है। यदि उनका व्यवहार अच्छा हुआ तो आपात को समाप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यह हमारे हाथ की बात नहीं है।

श्री मुहम्मद इस्माइल (मंजरी): मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं जो कि इस समय सभा के समक्ष है। आपात तथा भारत रक्षा नियमों को तुरन्त समाप्त किया जाना चाहिये। सरकार को भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफतार किये गये लोगों की गिरफतारी के कारण तथा यह जानने के लिये कि क्या गिरफतारी उचित थी या नहीं न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिये।

मेरा संकल्प भले ही स्वीकार न हो परन्तु जिस समिति का मैंने सुझाव दिया है उसे नियुक्त किया जाना चाहिये ताकि देश में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो सके।

मेरे माननीय मित्रों ने यहां यह कहा कि सफाई कर्मचारियों को गिरफतार किया गया। सरकारी क्षेत्र के एक कारखाने में सात-आठ वर्षों से काम कर रहे बहुत से श्रमिकों को अचानक ही नोकरी से निकाल दिया गया। कहा गया है कि यह उपाय देश की सुरक्षा के हित में किये गये हैं। परन्तु ऐसा उनके मुसलमान होने के कारण किया गया है। ऐसे भी कई उदाहरण हैं कि उन लोगों को जिनकी कलैक्टर ने एक ही दिन पहले प्रशंसा की थी, कलेक्टर की जानकारी के बिना पुलिस ने दूसरे दिन गिरफतार कर लिया। और ऐसा आंध्र प्रदेश में हुआ, जो सीमांत राज्य नहीं है। मुख्य मंत्रियों तथा प्रशासकों को यह पता नहीं होता कि वह किन लोगों को गिरफतार कर रहे हैं। यह सब कार्य पुलिस द्वारा किया जाता है।

श्री सेझियान (पेरम्बलूर): माननीय सदस्य श्री द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प की ओर समूचे सदन को ध्यान देना चाहिये। जिन लोगों का देश के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों में विश्वास है, वे निश्चय ही इसका समर्थन करेंगे।

विचार करने योग्य मूलभूत बात यह है कि इन दो विधियों द्वारा नागरिकों को संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों से वंचित किया गया है और इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 14, 21 तथा 22 के अन्तर्गत इन अधिकारों के उल्लंघन के बारे में न्यायालय में मामला उठाने से वंचित कर दिया गया है। आपात की स्थिति जारी रखने में यही मूल दोष है। यद्यपि इसे जारी रखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

उच्च-न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों से इस बात में कोई संदेह नहीं रहा है कि कुछ मामलों में पुलिस ने लोगों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में विधिकी सामान्य प्रक्रिया द्वारा दोष सिद्ध न होने पर भारत रक्षा नियमों का लाभ उठाया और उन्हें गिरफतार कर लिया। यदि सरकार ईमानदारी से यह अनुभव करती है कि लोग देश की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो उन्हें इस संबंध में एक अधिनियम बनाना चाहिये। परन्तु इस बात का निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिये, गृह-कार्य मंत्री द्वारा नहीं। आपात की उद्घोषणा तथा भारत रक्षा नियमों को वापस लेने के लिये यही उचित समय है। यह नियम असंवैधानिक तथा अलोकतन्त्रीय है। श्री सेन, जो इन नियमों को लागू करने के लिये उत्तर-दायी हैं, का भी यही विचार है कि अब इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। भारत के भूत-पूर्व महान्यायवादी श्री सीतलवाद ने यह मत व्यक्त किया है कि कांग्रेस सरकार दल के हितों के लिये इन नियमों का प्रयोग कर रही है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): इसमें कोई संदेह नहीं कि हम आपातकाल के समूचे प्रश्न को राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न मानते हैं। इसलिये किसी विशेष शक्ति को आवश्यकता से एक भी दिन अधिक रखने का कोई प्रश्न नहीं है।

[श्री नन्दा]

हमने हाल ही में नीति सम्बन्धी एक वक्तव्य दिया था जिससे देश के 9/10 भाग से आपात की स्थिति हटा दी गई है और उसे कुछ सीमा क्षत्रों तक ही सीमित रखा गया है। यह कहा गया है कि यदि आपातकाल की स्थिति कुछ क्षत्रों में ही जारी रखना आवश्यक समझा गया है तो उसे केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित क्यों न रखा जाये? यदि ऐसा कहना सम्भव हुआ तो हम इसपर विचार करेंगे। परन्तु मुझे यह परामर्श दिया गया है कि किसी भाग में भी ऐसी स्थिति पदा हो सकती है।

वर्तमान अधिवेशन के दौरान हम विधान बना रहे हैं जिससे उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनके लिये उपबन्ध किया गया है, किसी अन्य क्षेत्र में विशेष शक्तियों का किसी प्रकार का भी प्रयोग बन्द कर दिया जायेगा।

वाद-विवाद के दौरान यह भी कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति इतने वर्षों तक रही है तथा जनता में इसके बारे में असंतोष है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि आपात की घोषणा के बाद क्या कुछ नहीं हुआ? क्या कच्छ पर आक्रमण हुए केवल एक ही वर्ष नहीं हुआ है और क्या पाकिस्तान के साथ केवल कुछ ही महीने पहले युद्ध नहीं हुआ है?

विदेशों से खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है फिर भी विश्वास के कारण हम यह विशेष शक्ति अपने हाथ में नहीं रखना चाहते हैं। यदि कोई स्थिति पैदा हुई तो उस शक्ति का प्रयोग करने में कोई कठिनाई नहीं होगी और यदि भविष्य में उसकी मिजो पहाड़ियों अथवा जम्मू तथा काश्मीर जैसे क्षेत्रों के लिये भी आवश्यकता न समझी जाये तो हम यह सीमित शक्तियां छोड़ने से संकोच नहीं करेंगे। इन शक्तियों की आवश्यकता है या नहीं, यह प्रश्न स्थिति के अनुमान से सम्बन्धित है और इसका निर्णय हम मिलकर कर सकते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इस बात का इच्छुक है कि ऐसी कोई बात न हो जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो।

प्रस्तावक महोदय अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य ने यह कहा है कि सेना का उपयोग किया जाता है। मैं भी यह अनुभव करता हूं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था परन्तु यह भिन्न प्रश्न है। हमें यह भी सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिये कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जहां पुलिस पर्याप्त न रहे और सेना बुलानी पड़े। मिजो पहाड़ियों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वहां व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेना बुलानी पड़ती है। इन बातों को रोकने के लिये निवारक निरोध अधिनियम जैसे अधिनियम का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु ऐसे मामले भी है जहां यह अधिनियम काफी नहीं रहता। जम्मू तथा काश्मीर में भी राष्ट्र-विरोधी लोगों को गिरफतार करने के लिये इन विशेष शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा।

जहां तक राज्यों का प्रश्न है उनके कर्तव्यों के बारे में गलतफहमियां हैं। नियमों में राज्यों को भी कुछ शक्तियां दी गई है। जब आपात की स्थिति हो तो राज्यों को यह बोझ सहन करना होगा और अपना कर्तव्य निभाना होगा। यह ठीक नहीं है कि उन्होंने आपात की स्थिति हटाने के किसी प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने अपनी कठिनाइयां बताई हैं। विभिन्न राज्यों में भिन्न स्थिति है। कुछ राज्यों को कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अन्य राज्य कहते हैं कि उनकी विशेष कठिनाईयां है। इसलिये विचारविमर्श के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है जिसके बारे में सभी सहमत है।

कुछ क्षेत्रों में शक्ति का अधिक प्रयोग किया गया है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम इस दृष्टि से स्थिति पर पुनर्विचार का प्रयत्न का रहे हैं। अधिक कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा दुरुपयोग बहुत कम हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राष्ट्रीय सुरक्षा

खतरे में न पड़े और शक्ति के इस प्रकार दुरुपयोग की अनुमति न दी जाय। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये इसकी आवश्यकता हो, तो भी उसका प्रयोग न किया जाये।

एक माननीय सदस्य ने शक्तियों के दुरुपयोग के बारे में कहा है। जहां तक महिला के मामले का सम्बन्ध है मैं इस मामले की जांच स्वयं करूंगा और इस बारे में यथासम्भव कार्यवाही करूंगा।

जिस समय संविधान बना था, मैं यहां नहीं था। यह सभी सदस्यों द्वारा बनाया गया था। मैंने स्थिति के अनुसार इसका प्रयोग किया है। यह प्रयोग अच्छा था या बुरा यह तो भविष्य में ही पता लगेगा।

मैं आपात की स्थिति को समाप्त करने के लिये कुछ ही दिनों में नेताओं से बातचीत करूंगा। मैं प्रस्तावक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सुझाव को स्वीकार करें।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि भारत रक्षा अधिनियम के हटाये जाने तथा आपात को समाप्त किये जाने के बारे में सारी सभा एकमत है। देश में लोग आपात को एक मिनट तक भी जारी रखने के विरुद्ध है। गृह-कार्य मंत्री ने भी अनुभव किया है कि इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिये। परन्तु उन्होंने कुछ कठिनाइयां बताई है जिनसे सभा को संतोष नहीं हुआ है।

देश को जो आन्तरिक तथा विदेशों से खतरा है उससे हम सब अवगत हैं। उन खतरों का मुकाबला करने के लिये हम सबने सरकार का समर्थन किया था परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हमें भविष्य में भी आपात स्थिति को बनाये रखना चाहिये।

इस मामले पर गृह-कार्य मंत्री को पुनः विचार करना चाहिये। संसद् के स्थगन होने से पूर्व ही उन्हें भारत रक्षा अधिनियम तथा आपात स्थिति को समाप्त कर देना चाहिये। यदि आवश्यक हो तो विशष स्थिति से निपटने के लिये इनको विशेष कानून बनाने का प्रस्ताव पेश करना चाहिये।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री ने यह नहीं कहा कि क्या वह संकल्प स्वीकार कर रहे हैं अथवा नहीं।

श्री नन्दा : जब तक कि मैं विभिन्न वर्गों से नहीं मिलता, मेरे लिये यह कहना गलत न होगा कि मैं इस समय इसे स्वीकार नहीं करता।

स्थानापन्न संकल्प संख्या 4 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।/*The substitute Resolution No. 4 was, by leave, withdrawn.*

स्थानापन्न संकल्प संख्या 5 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The substitute Resolution No. 5 was put to vote and negatived.*

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का संकल्प सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।/*The Resolution of Shri Surendranath Dwivedi was put to vote and negatived.*

भारत-अमरिकी प्रतिष्ठान क बारे में संकल्प

RESOLUTION RE : INDO-U.S. FOUNDATION

श्री० ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान की प्रस्तावित परियोजना का निरनुमोदन करती है और भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह अग्रतर कार्यवाही न करे।"

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

देश के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहले ही भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान के बारे में अनेक संदेह व्यक्त किये हैं। इस तथाकथित भारत-अमरीकी प्रतिष्ठान से हम अमरीका के और दास बन जायेंगे। इस परियोजना की शर्तें आदि ऐसी हैं जो भविष्य में बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। मैंने अपने संकल्प में यही कहा है कि इस समझौते को रद्द किया जाये।

सभापति महोदय : अब इस संकल्प पर अगली बार चर्चा होगी।

राजस्थान विधान-सभा के सदस्यों के विधान-सभा से निकाल दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE : EXPULSION OF RAJASTHAN M.L.As. FROM VIDHAN SABHA

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सभापति महोदय, गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के विधान-सभा से निकाल दिये जाने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 71 का जो उत्तर दिया है उसपर मुझे बड़ी चिन्ता है। उन्होंने यह कहा कि अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत राज्यपाल ऐसी उचित रीति से कार्यवाही कर सकता था जो सभा की गरिमा तथा प्रतिष्ठा के अनुसार हो और ऐसे उपाय कर सकता था जो व्यवस्था तथा शिष्टाचार के लिये आवश्यक थे।

इस उत्तर के बाद सभा में बड़ी बहस हुई और काफी समय तक वातावरण गम्भीर रहा। मेरा विचार है कि राज्यपाल ने संविधान की भावना के अनुसार कार्यवाही नहीं की है और इसलिये इस पर आगे चर्चा होनी चाहिये। प्रश्न पूछे जाने पर श्री हाथी ने बताया कि जो उत्तर दिया गया है, वह विधि मंत्रालय के परामर्श पर आधारित है।

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। सभा सोमवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 9 मई, 1966/19 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 9, 1966, Vaisakha 19, 1888 (Saka).

ला० स०मु०ना०—से 4—70 लोक सभा/66—10-10-67—565.